रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)--78

REGISTERED No. D-(D)—78

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 24 MAY

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8, 1978 (चैत्र 18, 1900)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8, 1978 (CHAITRA 18, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	227
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	459
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	303
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .	अप्राप्त
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	अप्राप्त
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	अप्राप्त
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1831
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	249
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	85
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	939
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	57

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations. Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	227
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	459
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments. Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	303
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ..	N.A.
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	N.A.
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	N.A
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1831
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	249
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	85
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	939
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	57

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1978

सं० 13 प्र० प्रेज/78—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उत्कृष्ट वीरता के लिये 'कीर्ति चक्र' प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री कंवर लाल गरीन,
पाईपलाईन इंजीनियर,
(रिफाइनरीज एण्ड पाईपलाईन डिवीजन)
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 13 मई, 1974)

10 मई, 1974 को मूरीग्राम संस्थान के टैंक नम्बर 3 जिसमें उच्च कोटि के मिट्टी के तेल तथा नेफ्था का 12,000 किलो लीटर मिश्रण भरा था पर बिजली गिरी और उसमें आग लग गई। मूरीग्राम स्थित अग्नि शमन दल, पूर्वी बंगाल राज्य अग्निशमन दल, पत्रमना अग्निशमन एकक तथा दुर्गापुर उर्वरक एकक की कोशिशों के बावजूद आग पर 3 दिन तक काबू नहीं किया जा सका। पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं था और टेलिफोन लाईन खराब होने के कारण अग्निशमन दल को तुरन्त सूचित करना भी संभव नहीं था। तेल में लगी आग को फेन छिड़कने वाला यंत्र ही बुझ सकता था। परन्तु यह यंत्र भी प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सका क्योंकि जमीन से 35 फुट ऊंचे टैंक पर फेन नहीं पहुंच सकती थी। टैंक के गिरने अथवा फटने की आशंका हो गई थी जिससे विभिन्न प्रकार के पैट्रोल से भरे 10 टैंक और जन जीवन की हानि हो सकती थी।

13 मई, 1974 को पाईपलाईन इंजीनियर श्री के० एल० गरीन वाटर जेट पहन कर धधकते हुए टैंक के ऊपर पहुंच और टैंक के उस स्थान पर फेन यंत्र लगाने में सफल हो गये जहां से टैंक के ऊपरी भाग में फेन छिड़कना संभव हुआ। इससे आग बुझाने में सहायता मिली और संस्थान को और अधिक नुकसान होने से बचा लिया गया। किसी जान की हानि नहीं हुई और न ही कोई और न ही कोई घायल हुआ और लाखों रुपये का पैट्रोल बचा लिया गया।

इस कार्रवाई में श्री कंवर लाल गरीन ने अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. कुमार कुरपति,
सुपुत्र श्री कुमार मुन्दी,
भालगुन्डा पारा,
गांव उलनार, पुलिस स्टेशन नगरनार,
जिला बस्तर,
मध्य प्रदेश।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 29 मई 1977)

29 मई, 1976 की रात को देशी पिस्तौलों और अन्य घातक शस्त्रों से लैस सात डाकू मनोरथ मुन्दी के मकान में घुसे। उनमें से चार ने घर वालों को मारा पीटा और एक डाकू ने मार वालों पर गोली चलाने के लिये अपनी पिस्तौल से गोली चलाई। डाकुओं ने भाग जाते बन्द कर दिये थे। घर के कुछ आदमियों ने भागने का प्रयास किया तो डाकुओं ने उन्हें मारा। लेकिन कुमार कुरपति जिसकी आयु 14 वर्ष थी किसी प्रकार से घर से भागने में सफल हो गया और एक लाठी लेकर मुकाबला करने को उद्यत हो गया। जब डाकू लूट का माल लेकर भाग रहे थे तो कुमार कुरपति ने छिपकर अकेले उनका पीछा किया और एक डाकू पर पीछे से लाठी का प्रहार किया। लाठी के अचानक प्रहार के बाद डाकू ने लूटी गई सम्पत्ति के बकस को जमीन पर गिरा दिया और लड़के पर अपनी पिस्तौल से गोली चलाई लेकिन सौभाग्य से गोली चूक गई। उस डाकू ने भागने का प्रयास किया लेकिन कुमार कुरपति ने उसका पीछा किया और गांव वालों की मदद से जो कि अब तक उसकी सहायता के लिये आ गये थे उस डाकू के हथियार छीन लिये और डाकू को जिन्दा पकड़ लिया। इस डाकू की गिरफ्तारी से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के भयंकर अपराधियों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ जिसने कुछ दिन पहले समीपवर्ती गांव में डकैती डाली थी।

इस कार्रवाई में कुमार कुरपति ने अदम्य साहस सूझबूझ और उत्तम दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

3. स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव (8991),
उड़ान (पायलट)। (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 28 सितम्बर, 1976)

स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव को 1964 में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया था। 6 वर्ष तक उन्होंने एक सक्रियात्मक लड़ाकू स्क्वाड्रन में स्क्वाड्रन पायलट के रूप में काम किया। 1971 के भारत–पाक संघर्ष के दौरान उन्होंने अथक उत्साह और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए शत्रु के क्षेत्र में अन्दर दूर तक जाकर 20 सक्रियात्मक उड़ानें कीं। इसके लिये उनका विशेष नामोल्लेख किया गया। अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान वे शानदार लड़ाकू स्क्वाड्रन पायलट रहे और बाद में उन्होंने अपनी सेवायें उड़ान परीक्षण के लिये अर्पित कीं और परीक्षण उड़ान और स्वदेशी वायुयान के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

28 सितम्बर 1976 को वे एक वायुयान की एक विशिष्ट समस्या की जांच करने के विचार से उसकी परीक्षण उड़ान कर रहे थे। इस कठिनाई का अनुभव उन्होंने स्वयं दो पिछली उड़ानों में किया था। इस परीक्षण उड़ान के दौरान वायुयान में एक मशीनी खराबी आ गयी और इस कारण विमान पर से नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस दुर्घटना के कारण स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव का देहान्त हो गया। स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव ने परीक्षण उड़ान के लिये अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव ने उत्कृष्ट साहस, दृढ़ निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

4. 2857207 लांस नायक होशियार सिंह,
राजपूताना राइफल्स। (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 3 नवम्बर, 1976)।

2 नवम्बर, 1976 को यह सूचना मिली कि 70 विरोधियों का एक सशस्त्र दल दक्षिणी मिजोरम के रास्ते से सीमा क्षेत्र की ओर जा रहा है। इस दल को रोकने के लिये एक गश्ती टुकड़ी भेजी गई जिसमें

लांस नायक होशियार सिंह भी थे। 3 नवम्बर, 1976 को विरोधी दल दिखाई दिया और इस गश्ती टुकड़ी ने उस पर तत्काल धावा कर दिया। लांस नायक होशियार सिंह को उस मजबूत ठिकाने को नष्ट करने के लिये आदेश दिये गये जहां से विरोधी प्रभावी ढंग से गोलाबारी कर रहे थे। भारी गोलाबारी के बीच लांस नायक होशियार सिंह आगे बढ़े और इन्होंने तोप का मुंह बन्द कर दिया। विरोधियों को अपने ठिकानों से भागते देखकर इन्होंने उनका पीछा किया और उन्हें हताहत किया। विरोधी दल के एक घायल सदस्य की बहुत ही पास से चलाई गई गोली से लगी चोटों की परवाह न करते हुए इन्होंने गोलीबारी जारी रखी और आगे बढ़ते गये। इनके व्यक्तिगत साहस से प्रेरित होकर गश्ती टुकड़ी के अन्य सदस्यों ने भागते हुए विरोधियों का पीछा किया। इसी बीच उन पर गोलियों की एक और बौछार हुई जिससे वह वीरगति को प्राप्त हो गये। अकेले लांस नायक होशियार सिंह की कार्रवाई से विरोधियों के कई सदस्य मारे गये और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया।

इस कार्रवाई में लांस नायक होशियार सिंह ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति, दृढ़ निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

5 14208539 सिगनलमैन राम राव दत्तात्रेय देशमुख,
सिगनल्स। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख. 11 नवम्बर, 1976)।

सिगनलमैन राम राव दत्तात्रेय देशमुख उत्तरी क्षेत्र के एक जनरल अस्पताल में अंतरंग रोगी थे। 11 नवम्बर, 1976 को अस्पताल के एक खंड में आग लग गई और थोड़े ही समय में लगभग सारे अस्पताल में फैल गई। इससे वह वार्ड जिसमें सिगनलमैन देशमुख दाखिल थे जल्दी ही धुयें और आग की लपटों की चपेट में आ गये।

यद्यपि सिगनलमैन देशमुख एक रोगी थे परन्तु वे बिस्तर से उठ सकने में समर्थ थे और चल फिर सकते थे। वे तुरन्त बिस्तर से उठ खड़े हुए और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बिस्तर पर पड़े उन रोगियों को वार्ड से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहायता करने लगे। वे दो रोगियों को ही बाहर निकाल पाये थे कि लपटें इतनी तेज हो गई किवाड़ के पास जाना एकदम असंभव हो गया। परन्तु वे इससे भयभीत नहीं हुए और कुछ और जानें बचाने की प्रबल इच्छा से एक बार फिर वार्ड में घुस गये। दुर्भाग्यवश वे जलते हुए वार्ड से बाहर नहीं निकल सके। बाद में जब आग बुझा दी गई तो उनका जला हुआ शरीर मिला।

इस प्रकार सिगनलमैन राम राव दत्तात्रेय देशमुख ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की जनसेवा की भावना का परिचय दिया।

6 13922218 सिपाही धन सिंह,
सेना चिकित्सा कोर। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख . 11 नवम्बर, 1976)

11 नवम्बर, 1976 को उत्तरी क्षेत्र के एक जनरल अस्पताल में आग लग गई। सिपाही धन सिंह उस समय अस्पताल के रसोईघर में ड्यूटी पर थे। आग लगने की खबर सुनते ही सिपाही धन सिंह चिकित्सा निरीक्षण कमरे की ओर दौड़े जहां से आग लगी थी और उसे बुझाने का भरसक प्रयत्न किया। इन्होंने यह तुरन्त भांप लिया कि आग काबू से बाहर है और तेजी से फैल रही है। सीनियर जे० सी० ओ० ने इन्हें एक्यूट मर्जीकल वार्ड में जाकर बिस्तर से उठ सकने में असमर्थ रोगियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया। ये जलते हुए वार्ड में दो बार अंदर गये और दो रोगियों को वार्ड से बाहर लाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये फिर तीसरी बार अंदर गये परन्तु वापस बाहर नहीं आ सके। बाद में जब आग बुझा दी गई तो उनका जला हुआ शव मलबे में मिला।

इस कार्रवाई में सिपाही धन सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ निश्चय तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

7 1515952 नायक अजीत सिंह, इंजीनियर्स। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 2 जून, 1977)।

इंजीनियर रेजीमेंट के नायक अजीत सिंह को उत्तरी क्षेत्र में एक अत्यन्त सामरिक महत्व की सड़क के निर्माण-कार्य में लगाया गया था। यह कार्य इस दृष्टि से विशेषरूप से खतरनाक था कि सड़क की सीध में आगे एक ऐसी ढाल आ रही थी जो बहुत पथरीली थी और जहां से बड़े-बड़े पत्थर फिसलकर नीचे गिरते रहते थे। इस चट्टान के एकदम नीचे सिन्धु नदी बहती है। इसलिये इस भाग में सड़क के निर्माण के लिये खड़ी चट्टानों को विस्फोटक गोलों की सहायता से काटना था। चट्टानों की जड़ों तक पहुंचना साधारण साधनों की सहायता से असंभव था और इन स्थानों पर बारूद रखना और फिर विस्फोट कराने में बहुत चातुर्य और साहस की आवश्यकता थी। बाद में एक स्थिति ऐसी आई थी, जब अत्यंत खतरनाक काम को बन्द करने पर विचार करना पड़ा था। लेकिन इस स्थिति में इस सड़क की सीध को बदलने से इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में बहुत अधिक विलम्ब हो सकता था। इन चट्टानों को गिराने के काम के लिये स्वेच्छा से काम करने वाले व्यक्तियों को बुलाया गया। नायक अजीत सिंह ने इस कार्य के लिये स्वयं को प्रस्तुत किया। 4 मई, 1977 से 2 जून, 1977 तक नायक अजीत सिंह इन चट्टानों को तोड़ने के काम में अथक परिश्रम करते रहे और अपने जीवन को जोखिम में डालकर इन्होंने लगभग 100 विस्फोट किये। 2 जून, 1977 को नायक अजीत सिंह एक विस्फोट की तैयारी में सुरक्षा फ्यूज को चार्ज कर रहे थे कि अचानक पहले ही वह फट गया जिससे उनके टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गये।

इस प्रकार नायक अजीत सिंह ने साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

8 मेजर प्रेम चन्द (आई० सी० 21802),
विशिष्ट सेवा मेडल, डोगरा रेजिमेन्ट।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 16 जून, 1977)।

मेजर प्रेम चन्द सन् 1970 में भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी चोमालहारी पर 1975 में नन्दा देवी शिखर पर और 1976 में नन्दा देवी के पास पूर्वी चोटी पर चढ़े। मार्च 1977 के बीच इन्होंने थलसेना के कचनजंगा अभियान की सफलता में सबसे अधिक योगदान दिया। इस अभियान के दौरान मुख्यतः इन्होंने ही अग्रिम बेस शिविर खोला, हिमपात के दौरान आगे रास्ता ढूंढ निकाला, पहले शिविर में पहुंचने के लिये रास्ता बनाया और दूसरे शिविर में पहुंचने के लिये रास्ता निकालकर दूसरा शिविर स्थापित किया। इस अभियान के दौरान एक दुर्घटना में हवलदार सुखविन्दर सिंह की मृत्यु हो गई। इससे दल के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और दल के सदस्य उत्तर-पूर्व के पहाड़ी टीले को देखकर ही डरने लगे और उस पर चढ़ना उन्हें असंभव सा लगने लगा। यद्यपि पर्वत पर जाने के लिये मेजर प्रेम चन्द की बारी नहीं थी फिर भी इसके लिये ये स्वयं आगे आये और टीले पर चढ़ना शुरू किया। इस काम के लिये अदम्य साहस की आवश्यकता थी। कई बार जोखिम उठाते हुए इन्होंने तीसरे शिविर के बिल्कुल नीचे एक जगह पर पहुंचने के लिये रास्ता बनाया और जब इनका दल तीसरे और चौथे शिविर के बीच कई तकनीकी कठिनाइयों के कारण आगे न बढ़ सका तो ये फिर वापस टीले पर लौटे और टीले के सबसे मुश्किल हिस्से से एक रास्ता बनाया जिससे होकर दल आगे बढ़ सका।

इन्हें प्रथम शिखर दल का नेता चुना गया और ये पार होकर उत्तरी टीले पर पहुंचे। यदि ये समय पर निर्णय न लेते तो प्रथम शिखर दल को सभारिकी मदद न मिल पाती। इन्होंने दल को शिखर तक ले जाने में साहस, कुशलता और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया और अंत में ये 1900 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हो गये। इससे हिमालय पर्वतारोहण के इतिहास में सर्वदा साहसपूर्ण अभियान के रूप में याद किया जायेगा।

इस प्रकार मेजर प्रेम चन्द ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

9. 5840308 नायक नीमा दोरजी शेरपा,
3 गोरखा राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 जून, 1977)।

नायक नीमा दोरजी शेरपा कामेत अभियान दल, नंदाघुंटी अभियान दल, रेन्ती अभियान दल तथा त्रिशूल अभियान दल के सदस्य थे और 1975 में हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी "सिकरमाथा" पर चढ़ने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। मार्च 1977 में सेना के कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान के दौरान ये उस दल के सदस्य थे जिसने जेमू ग्लेशियर की बर्फ को हटाया। इस कार्य को करते समय ये एक हिम दरार में जा गिरे और वहां से निकाले जाने से पूर्व ये काफी देर तक वहीं पड़े रहे। इस दुर्घटना में इन्होंने अदम्य साहस तथा धैर्य का परिचय दिया। इसके बावजूद ये बर्फ में काम करते रहे और इन्होंने शिविर तक पहुंचने का रास्ता बनाने में सहायता की। हवलदार सुखविन्दर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद ये ऊपर आये और कठिन तथा जोखिमपूर्ण बचाव कार्य के दौरान इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बाद में इन्होंने दो शिविरों के मध्य स्थित एक टीले के बहुत ही मुश्किल हिस्से से रास्ता निकालने में मेजर प्रेम चन्द की मदद की। इस महान् कार्य के करने पर इन्हें मेजर प्रेम चन्द के साथ चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम दल का सदस्य चुना गया। छठे शिविर के बाद एक आशातीत व्यवधान यह आया कि चाकू की नोक की भांति एक तीक्ष्ण पर्वत-शिखा को कैसे पार किया जाये। हालांकि इन्हें चोटी पर चढ़ने का मौका था फिर भी इन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक काम किया और दो दिन में ही उस व्यवधान को दूर कर डाला जबकि और यह सोच रहे थे कि इस काम को करने में 10 दिन लगेंगे। चोटी पर चढ़ते समय इन्होंने करीब 2000 फुट की दूरी तय की जो कि इतनी ऊंचाई पर एक असाधारण काम है।

इस प्रकार नायक नीमा दोरजी शेरपा ने अदम्य साहस, दृढ़-निश्चय तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

सं० 14-प्रेज/78—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को वीरता के लिये "शौर्य चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. 1368 (ग्राम रक्षक), जमादार इमतीसुंगबा फोम।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 13 अक्तूबर, 1971)।

जमादार इमतीसुंगबा फोम नागालैंड में एक चौकी के सिलेक्ट गार्ड कमाण्डर थे। 11 अक्तूबर 1971 को इन्हें यह सूचना मिली कि 70–80 सशस्त्र विरोधी पिछली रात को दोयांग नदी पार करके सीमा की ओर चले गये हैं। इन्होंने तत्काल गांव के सभी गार्डों को एकत्रित किया। ये कुल मिलाकर लगभग 20 व्यक्ति थे। ये गिरोह का पता लगाने के लिये जंगल की ओर चल पड़े। खोज करते हुए 13 अक्तूबर को कुछ ही दूरी पर उनका पता लगा। इस बात का आभास होने पर कि उनका पीछा किया जा रहा है, उक्त गिरोह ने भागना शुरू कर दिया। जमादार फोम ने उस गिरोह पर गोली चला दी। उक्त गिरोह ने भी जवाब में बहुत बड़ी मात्रा में गोलियां चलाईं। जमादार फोम इस बात की परवाह किये बिना कि उनके पास सीमित गोलाबारूद है और आदमी भी कम हैं, गिरोह का पीछा करते रहे। इन्होंने एक स्वयंभू सार्जेंट को घायल कर दिया और अपने से काफी बेहतर हथियारों से लैस गिरोह पर नियंत्रण कर लिया। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ ही दूरी पर स्थित इन्फैन्ट्री रेजीमेंट की एक बटालियन घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ी और उसने विरोधियों का पीछा किया।

इस कार्रवाई में जमादार इमतीसुंगबा फोम ने उच्चकोटि की पहल शक्ति, साहस और दृढ़ता का परिचय दिया।

2. श्री हरि करण,
पुत्र श्री जगमन गूजर,
ग्राम पापारानी, पुलिस चौकी करहाल
जिला मुरैना।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 मार्च, 1975)।

15 मार्च, 1975 को श्री रामदेव सिंह और श्री हरि करण ग्राम पापारानी, जिला मुरैना के नजदीक के जंगल में जानवरों को चराने के लिये ले गये। उस समय जंगल में डाकुओं का एक कुख्यात दल और उनके द्वारा एक अपहृत व्यक्ति मौजूद थे। श्री रामदेव सिंह को देखकर डाकुओं ने बुरी भावना से उसे बुलाया ताकि वे उसे मार सकें या उसका अपहरण कर सकें। परन्तु उसने जाने से इन्कार कर दिया। इस पर डाकू क्रुद्ध हो गये और उनमें से एक ने रामदेव सिंह के सिर पर जोर से लाठी मारी परन्तु अपनी सुरक्षा की तनिक भी चिन्ता किये बिना रामदेव सिंह ने उस डाकू को पकड़ लिया और उसे नीचे गिराने का प्रयास किया। इस बीच, दूसरे डाकू ने रामदेव सिंह के पेट में एक लम्बा छुरा भोंक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। श्री हरि करण ने तुरन्त श्री रामदेव सिंह की जीवन रक्षा के लिये घटनास्थल पर पहुंच कर अपनी कुल्हाड़ी से डाकुओं पर प्रहार करना शुरु कर दिया और एक कुख्यात डाकू को घटनास्थल पर ही मार दिया। इस बीच तीन अन्य ग्रामीण उनकी सहायता के लिये आ गये और उन्होंने लाठियों और कुल्हाड़ियों से डाकुओं पर आक्रमण कर दिया जिसके फलस्वरूप डाकू अपहृत व्यक्ति को छोड़कर भाग गये।

इस कार्रवाई में श्री हरि करण ने अनुकरणीय साहस और दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

3. स्क्वाड्रन लीडर कैलाश सिंह परिहार (9071),
उड़ान (पायलट)।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 7 अगस्त, 1976)।

स्क्वाड्रन लीडर कैलाश सिंह परिहार को 1964 में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया था और तब से इन्होंने विभिन्न वायुयानों पर 2197 घंटों की बिना किसी दुर्घटना के उड़ानें की हैं। अगस्त, 1976 में जोधपुर जिले में लूनी नदी में भयंकर बाढ़ आ गई और कई गांवों से सम्पर्क टूट गया। नदी की प्रचण्डता के कारण बचाव नौकायें चलाना सम्भव नहीं था। इसलिये बाढ़ में घिरे हुए ग्रामीणों को बचाने के लिये वायुसेना को सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने को कहा गया। स्क्वाड्रन लीडर परिहार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में असहाय ग्रामीणों को बचाने के लिये अपनी सेवाएं अर्पित कीं। गांव में पहुंचने पर यह देखने में आया कि लम्बा गांव और उसके आस-पास के कई मकान पानी में बह गये हैं और लगभग 60 ग्रामीणों ने गांव के मन्दिर के ऊपर शरण ले रखी है। मन्दिर का अगला भाग बह गया था और नदी की भयंकरता को देखते हुए यह भय था कि शेष भवन भी किसी समय गिर सकता है और मन्दिर के ऊपर चढ़े सभी लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि मन्दिर की चोटी पर हेलिकोप्टर को उतारना सम्भव नहीं था, इसलिये स्क्वाड्रन लीडर परिहार ने निर्णय किया कि हेलिकोप्टर को मन्दिर की चोटी पर मंडराते रखकर वह उन लोगों को हेलिकोप्टर में चढ़ने में सहायता देंगे। यह जानते हुए भी कि मामूली सी गलती भी भयानक हो सकती है, ये हेलिकोप्टर से जो काफी ऊंचाई पर था, मन्दिर की चोटी पर कूद पड़े। अपनी स्थिति सम्भालते हुए ये हेलिकोप्टरों को एक के बाद एक मन्दिर की छत से सभी नजदीकी ठिकानों के बारे में निर्देश देते रहे। हेलिकोप्टर ने लगभग 18 उड़ानें कीं और सभी 60 व्यक्तियों को बचा लिया।

इस कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर कैलाश सिंह परिहार ने अनुकरणीय साहस, व्यावसायिक कुशलता, दृढ़-संकल्प और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

4. फ्लाइट लैफ्टिनेंट रमेश चन्द्र घिल्डियाल (9031),
उड़ान (पायलट)। (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 28 सितम्बर, 1976)।

फ्लाइट लैफ्टिनेंट रमेश चन्द्र घिल्डियाल को 1964 में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया था। पायलट के रूप में इन्होंने पूरी कुशलता के साथ हताहतों को निकालने, राहत-संक्रियाओं, युद्ध में सहायता पहुंचाने और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दुर्गम क्षेत्र की हवाई यात्रा

के लिये 1650 घन्टो तक उड़ान की। वे 1971-72 मे फ्लाइट इन्स्पेक्टर कोर्स के लिये स्वयं आगे आये और उनके प्रदर्शन और रुझान को देखते इन्हें 1974 मे फ्लाइट एक्सपेरिमेंट टेस्ट पायलट कोर्स के लिये चुना गया था। उन्होंने इस कोर्स को बड़ी योग्यता के साथ पूरा किया था। इनको 1975 मे वायुयान और प्रणाली परीक्षण स्थापना मे नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने स्थिर पखों वाले वायुयान के विकास और परीक्षण में गहरी रुचि दिखायी और उनकी परीक्षणो उड़ानो मे नियमत रूप से सहायता की। 25 सितम्बर, 1976 को एक उड़ान परीक्षण के दौरान स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव की सहायता करते समय इनके वायुयान मे कुछ मशीनी खराबी आ गयी और उसके परिणामस्वरूप वायुयान पर इनका नियत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद होने वाली घटना मे फ्लाइट लैफ्टिनेंट घिल्डियाल की मृत्यु हो गयी और इस प्रकार उड़ान परीक्षण के लिये इन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

इस प्रकार फ्लाइट लैफ्टिनेंट रमेश चन्द्र घिल्डियाल ने साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

5 जी-60121 ई० ई० एम० रामनाथ शर्मा, (मरणोपरान्त) जी० आर० ई० एफ०।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 18 अक्तूबर, 1976)।

रामनाथ शर्मा, मणिपुर मे सिजाल नामक स्थान पर फील्ड वर्कशाप की एक टुकड़ी के इन्चार्ज थे। 17 अक्तूबर, 1976 को इस क्षेत्र मे तेज तूफान आया और साथ मे मूसलाधार वर्षा भी हुई। इस तूफान के कारण एक स्टोर शेड, जिसमे कीमती उपस्कर और फालतू पुर्जे रखे हुए थे, की छत उड़ गई। भारी वर्षा और घनघोर अंधेरा होते हुए भी श्री रामनाथ शर्मा ने अपने साथियो की मदद से कीमती सामान वहा से हटाना शुरू किया और अधिकांश सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने मे सफल हुए। अभी सामान हटाने का काम चल रहा था, कि इतने मे अचानक एक बड़ा पेड़ शेड के ऊपर आ गिरा और श्री रामनाथ शर्मा उसके नीचे दब गये। काफी कठिनाई के बाद, उनके साथी उन्हे बाहर निकाल सके। परन्तु तब तक वे बुरी तरह जख्मी हो गयी थे और तत्काल डाक्टरी सहायता न मिलने के कारण, दूसरे दिन सुबह उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार श्री रामनाथ शर्मा ने अनुकरणीय साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

6 जे० सी० 60328 सूबेदार नदराम, राजपूताना राइफल।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 3 नवम्बर, 1976)।

2 नवम्बर, 1976 को सूबेदार नदराम उस गश्ती दल के सैकड-इन-कमांड थे जिसे सीमापार कर भाग जाने वाले 70 विरोधियो के एक दल को रोकने का काम दिया गया था। 3 नवम्बर, 1976 को गश्ती दल ने विरोधियो के शिविर को देखा और तत्काल आक्रमण कर दिया। भारी गोलीबारी के बावजूद आक्रमक दल की कमान करते हुए सूबेदार नदराम ने विरोधियो की हल्की मशीनगन को बेकार कर दिया। गोली लगने से घायल होने और भारी मात्रा मे खून बहने के बावजूद ये तबतक आगे बढ़ते गये जब तक कि दूसरी बार इन पर गोली नही लगी। अपने घावो की परवाह न करते हुए सूबेदार नदराम एक ठिकाने की ओर रेगते हुए आगे बढ़े और हथगोले फैक कर विरोधियो को नुकसान पहुंचाया। इनके बहादुरी के कार्य से काफी मात्रा मे हथियार और गोलाबारूद पकड़ा गया।

इस कार्रवाई मे सूबेदार नदराम ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व, दृढ़ता और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

7 श्री मोहिन्द्र सिंह, सिविलियन ड्राइवर।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 11 नवम्बर, 1976)।

11 नवम्बर, 1976 को सायं 5 बजे ट्रक ड्राइवर श्री मोहिन्द्र सिंह, श्रीनगर से लेह मार्किट के लिये माल लेह पहुचे। शाम को जब ये लेह के बाजार मे थे, तो इन्होंने जनरल अस्पताल की तरफ आग लगी हुई देखी। श्री मोहिन्द्र सिंह तुरन्त मदद करने के विचार से अपना भरा हुआ ट्रक लेकर घटनास्थल की ओर भागे।

आग अस्पताल के गैस प्लांट की ओर बढ़ रही थी। गैस प्लाट के फट जाने के खतरे को देखते हुए श्री मोहिन्द्र सिंह ने अपने ट्रक की टक्कर अस्पताल के ब्लाक और गैस प्लाट के बीच के गलियारे मे लगाकर उसे तोड़ दिया। यद्यपि इस कार्रवाई मे इनके ट्रक का नुकसान हुआ, लेकिन गैस प्लाट का आग लगने से बचा लिया गया और इस प्रकार लागो का जाने और सरकारी सम्पत्ति नष्ट होने से बच गई।

इस कार्रवाई मे श्री मोहिन्द्र सिंह ने उच्चकोटि की पहलशक्ति, साहस और दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की जनसेवा की भावना का परिचय दिया।

8 स्क्वाड्रन लीडर शिवचरण सिंह तोमर (8059), लाजिस्टिक्स। (पुरस्कार की प्रभावी तारीख 25 नवम्बर, 1976)।

24 और 25 नवम्बर, 1976 की साधारण रूप से भारी वर्षा के कारण मद्रास शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गये थे और बहुत से लोग पानी से घिर गये थे। 25 नवम्बर, 1976 को वायुसेना स्टेशन, आवडी से स्क्वाड्रन लीडर शिवचरण सिंह तोमर को पानी से घिरे लोगो का निकालने मे सिविल प्राधिकारियो की सहायता करने के लिये बुलाया गया। किसी अन्य असतोषजनक साधन के अभाव मे इन्होने कुछ डोगियों का ही काम चलाऊ नावो के रूप मे उपयोग किया। इन डोगियो की अत्यन्त सीमित क्षमता, बाढ़ के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियो तथा लगातार वर्षा एवं शाम के बढ़ते अंधेरे की अड़चन की परवाह किये बगैर स्क्वाड्रन लीडर तोमर ने बचाव कार्यों को जारी रखा। ये 25 और 26 नवम्बर, 1976 के दिन और रात को लगातार बचाव कार्य जारी रखे रहे और तीन सौ सड़सठ लोगो का बचाने मे सफल हुए।

इस भारी कार्रवाई मे स्क्वाड्रन लीडर शिवचरण सिंह तोमर ने महान नेतृत्व, निपुणता और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

9 9410300 लास नायक सोरमन राय, 11 गोरखा राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 6 दिसम्बर, 1976)।

6 दिसम्बर, 1976 को मिजोरम मे तैनात गोरखा राइफल्स बटालियन के लास नायक सोरमन राय को एक गश्ती दल का सदस्य बनाया गया। उस दल को काफी बड़े क्षेत्र मे फैले हुए घने जंगलो मे विरोधियो के छिपने के स्थान का पता लगाने और उस पर धावा बोलने का काम सौंपा गया था। आरम्भ से ही लास नायक राय अगवानी करते रहे और ऊबड़-खाबड़ तथा बीहड़ तराई के रास्ते से रात के समय सात घन्टो के दुर्गम तथा कष्टकर अभियान मे इन्होने दूसरे लोगो को भी प्रोत्साहित किया। जिससे वे दुश्मनो के छिपने के स्थान तक पहुचने मे सफल हुए: विरोधियो के साथ मुठभेड़ के दौरान अपनी सुरक्षा की चिन्ता किये बिना और गोलियो से छिले हुए घायल पैरो की चिन्ता किये बिना ये आगे बढ़ते रहे और इन्होने दो विरोधियो को मार दिया और एक विरोधी को पकड़ लिया।

इस कार्रवाई मे लास नायक सोरमन राय ने अनुकरणीय साहस दृढ़-निश्चय, पहलशक्ति और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

10 जे० सी०-82020 नायब सूबेदार राम कुमार यादव, कुमाऊं रेजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 8 दिसम्बर, 1976)।

कुमाऊं रेजिमेंट के नायब सूबेदार राम कुमार यादव जब पूर्वी क्षेत्र मे काम कर रहे थे। तो उन्हे एक चौकी पर तैनात किया गया था। 7 दिसम्बर, 1976 को सूचना मिली कि कुछ विरोधी पास ही एक गाव मे छिपे हुए हैं। नायब सूबेदार यादव को इन विरोधियो को रोकने के लिए एक विशेष गश्ती दल का नेतृत्व करने का काम सौपा गया।

8 दिसम्बर, 1976 को बेस मे पहुचने पर उन्हे सूचना मिली कि विरोधी चौकी से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक दूसरे गाव मे है। वे उस गाव की ओर चल दिये और बिना आराम किये दो दिन तक चलते रहे। विरोधियो की खोज करते समय उन्हे छोटे हथियारो की गोलीबारी का सामना करना पड़ा। निर्भीकता से उन्होने विरोधियो पर आक्रमण कर दिया परन्तु इस आक्रमण मे उन्हे एक गोली लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गयी। नायब सूबेदार यादव के बलिदान से अनुप्रमाणित होकर गश्ती दल ने अपना आक्रमण जारी रखा और हथियार तथा गोला-बारूद पकड़ने के अलावा दो विरोधियो को मार दिया।

इस कार्रवाई में नायब सूबेदार राम कुमार यादव ने अनुकरणीय साहस, नेतृत्व, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

11 266278 कारपोरल ऋषि केश तिवारी,
टी० ई० एम० एम० टी०/आर० टी०/आपरेटर।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 10 दिसम्बर, 1976)।

कारपोरल ऋषि केश तिवारी 1963 मे वायुयान मे भर्ती हुए। 10 दिसम्बर, 1976 को अपनी बिलिट से अपने मैस को जाते समय इन्हे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वे तुरन्त जिस स्थान से गोली चलने की आवाज आई थी की ओर चले इन्होने देखा कि रक्षा सुरक्षा कोर का एक सिपाही राइफल हाथ मे लिये हुए चार व्यक्तियो को एक पंक्ति मे खड़ा होने का आदेश दे रहा है। इसके तत्काल बाद इन्होने देखा कि उसने एक गोली चलाई जिससे चार व्यक्तियो मे से एक घायल हो गया। इन्होने सिपाही को ललकारा और, अपनी जान की परवाह किये बिना, उसे आगे गोली चलाने से रोकने के लिये उसकी ओर दौड़ पड़े। इनके वहां पहुचने से पहले उस सिपाही ने एक और गोली चला दी जिससे दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। कारपोरल तिवारी ने सिपाही को पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। तुरन्त ही अन्य दो व्यक्ति भी आ गये और उनकी सहायता से राइफल छीन ली गई।

इस कार्रवाई मे कारपोरल ऋषि केश तिवारी ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति, सूझबूझ तथा उत्कृष्ट जनसेवा की भावना का परिचय दिया।

12 297734 कारपोरल राम प्रसाद,
एयरक्राफट हैंड जनरल ड्यूटीज।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 28 फरवरी, 1977)।

कारपोरल राम प्रसाद 18 मई, 1975 से वायुसेना मे है। 18 फरवरी, 1977 की रात के करीब 11.30 बजे लांस नायक एल० आर० सोनी के घर पर आग लगी; लांस नायक सोनी बाहर गये हुए थे और उनकी पत्नी और तीन बच्चे घर में सो रहे थे। नींद खुलने पर जब श्रीमती सोनी ने आग लगी देखी तब तक तो आग बहुत फैल चुकी थी और वह सहायता के लिये घर से बाहर दौड़ी। कारपोरल राम प्रसाद घटनास्थल पर पहुचने वालो में पहले व्यक्ति थे। लेकिन तब तक पूरा मकान आग की लपटो से घिर चुका था। श्रीमती सोनी विक्षुब्ध अवस्था में चिल्ला रही थी कि उनके तीनो छोटे बच्चे जलते हुए मकान के अन्दर हैं। कारपोरल राम प्रसाद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए तीन बार उस दहकते हुए मकान मे घुसे और आग में फसे तीनो बच्चो को एक-एक करके बाहर ले आये।

इस कार्रवाई मे कारपोरल राम प्रसाद ने अनुकरणीय साहस, सूझ-बूझ और उच्चकोटि की जनसेवा की भावना का परिचय दिया।

13 श्री मेसनाम निगथू सिंह,
सुपुत्र स्वर्गीय तोंकपीशक सिंह,
ग्राम लोकचाओ, जिला तेगनौपाल,
मणिपुर।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 12 मार्च, 1977)।

12 मार्च, 1977 की सुबह 7 बजे श्री मेसनाम निगथू सिंह जब जंगल के बीच लकड़ी काट रहे थे तो इन्होने लगभग 13 मीटर की दूरी पर अपनी ओर आता हुआ राइफल से लैस एक विरोधी देखा। ये तत्काल घने जगल मे छुप गये और अकेले ही उस विरोधी को पकड़ने के लिये घात लगाकर बैठ गये। जब विरोधी उक्त स्थान से गुजरने लगा तो श्री निगथू सिंह अचानक उसके ऊपर कूद पड़े और गुत्थम-गुत्थी के बाद उसे पकड़ लिया। इसके बाद इन्होने उस विरोधी के दोनो हाथ पीछे बाध दिये और एक जी-3 राइफल तथा 253 गोलियां सहित उसे सुबह 8 बजे मणिपुर राइफल की पाचवी बटालियन की लोकचाओ स्थित चौकी मे ले आये।

इस विरोधी से की गई पूछताछ के फलस्वरूप मणिपुर राइफल की पाचवी बटालियन ने नौ विरोधियो को जीवित तथा एक मृत पकड़ लिया जिनसे बहुत से शस्त्र, गोलाबारूद तथा दस्तावेज बरामद किये गये।

इस कार्रवाई मे श्री मेसनाम निगथू सिंह ने अनुकरणीय साहस, सूझबूझ, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की जन सेवा की भावना का परिचय दिया।

14 3362796 हवलदार सुखविन्दर सिंह, सिख। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 12 अप्रैल, 1977)।

हवलदार सुखविन्दर सिंह काइट अभियान दल के सदस्य रहे और "हाई एल्टीच्यूड वारफेयर स्कूल" के अनुदेशक होने के नाते ये कश्मीर तथा लद्दाख में बहुत से पर्वतो पर चढ़े। इन्हे 1977 के थलसेना कचनजंगा अभियान दल का सदस्य चुना गया था। जब ये गगटोक से लचेन को सामान ले जा रहे थे तो इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमे ये और इनका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गये। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर, डाक्टर ने इन्हे यूनिट मे जाने की सलाह दी थी परन्तु इन्होने अपनी कमजोरी की हालत मे भी डाक्टर की सलाह की परवाह नही की और फिर से अभियान दल में शामिल हो गये। इन्होने अग्रिमबेस कैम्प स्थापित करने मे सहायता दी और ये उस रस्सा दल के सदस्य थे जिसने एक खतरनाक पहाड़ी के आर-पार जाने का रास्ता बनाया। कैम्प-2 से नीचे उतरने में एक दुर्गम क्षेत्र से आते समय ये फिसल गये और इनकी गर्दन टूट गई। इनकी अचानक मृत्यु से अभियान दल को भारी क्षति पहुंची।

हवलदार सुखविन्दर सिंह ने इस प्रकार अदम्य साहस, दृढ़-निश्चय तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

15 1432414 सैपर आनन्दी यादव, इंजीनियर्स। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 29 अप्रैल, 1977)।

एक इंजीनियर रेजिमेंट की एक फील्ड कम्पनी को बारहमासी एक चौकी के लिये आश्रम बनाने का काम सौंपा गया। 29 अप्रैल, 1977 को लगभग 0845 बजे सैपर आनन्दी यादव अपने सैक्शन के साथ इंजीनियरी का सामान ले जाने के लिये एक गाड़ी का लदान कर रहे थे। जब गाड़ी भरी जा रही थी उस समय अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर गिरने लगे। चेतावनी सुनते ही गाड़ी भरने वाले सभी कार्मिक अपने बचाव के लिये भाग गये। सैपर यादव ने भी पहाड़ी के नीचे आड़ ले ली। थोड़ी देर बाद उन्होने देखा कि गिरने वाले एक पत्थर की चोट से उनके दल का एक जवान सड़क पर गिर गया है। पत्थर अब भी गिर रहे थे परन्तु सैपर यादव अपने साथी को बचाने के लिये उसकी ओर भागे। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुचते, ऊपर से गिरने वाले एक बड़े पत्थर से वे टकराये जिसने उन्हे समीपस्थ बहने वाली एक नदी मे फेंक दिया। इससे वे बुरी तरह घायल हो गये और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गयी।

इस प्रकार सैपर आनन्दी यादव ने महान साहस, साथी के प्रति लगन और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

16 2767711 सिपाही श्रीकृष्ण सुखदेवराव काले, (मरणोपरांत)
मराठा लाइट इन्फैन्ट्री।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 3 मई, 1977)।

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री बटालियन के सिपाही श्रीकृष्ण सुखदेवराव काले एक एकाकी चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे। 30 अप्रैल, 1977 को भारी

हिमपात के कारण सेक्शन चौकी और प्लाटून मुख्यालय के बीच टेलीफोन संचार व्यवस्था भंग हो गई । 3 मई 1977 को एक लाइन पार्टी को टेलीफोन लाइन की मरम्मत करने के आदेश दिये गये और सिपाही काले को लाइन पार्टी की सुरक्षा के लिये साथ भेजा गया। इस पार्टी को एक ऐसे चट्टानी ढलानी क्षेत्र में काम करना था जहाँ चट्टानें गिरने का भय था । सिपाही काले ने बर्फ काटकर टेलीफोन लाइन का रास्ता साफ किया और लाइन पार्टी उनके पीछे-पीछे लाइन पर काम करती गई । आठ घंटे के अन्दर लाइन को पुनः चालू कर दिया गया । जब लाइन पार्टी वापस लौट रही थी उसी समय हिमपात शुरू हो गया और इनका रास्ता पहले से भी अधिक खतरनाक हो गया । सिपाही काले ने वापसी में भी लाइन पार्टी के मार्ग-दर्शन का काम स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया । जब ये लोग एक अत्यन्त खतरनाक स्थल से गुजर रहे थे जहां से रास्ता एक चट्टान के ऊपर होकर गुजरता था, सिपाही काले फिसल गये और लगभग 400 फीट नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए ।

सिपाही श्रीकृष्ण सुखदेवराव काले ने इस प्रकार महान साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

17 स्क्वाड्रन लीडर सुखमन्दर सिंह सिधु, वी० एम० (10117), उड़ान (पायलट) ।

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 15 अक्तूबर, 1977) ।

15 अक्तूबर, 1977 को इन्हें समुद्र तल से 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक बेस कैम्प में गम्भीर रूप से बीमार पड़े हुए "समुद्र से आकाश अभियान" के नेता सर एडमंड हिलेरी को ले जाने का आदेश मिला । घायलों को बचा लाने के अनेकों काम कर चुकने वाले अनुभवी स्क्वाड्रन लीडर सिंधु ने इस बड़ी जिम्मेदारी की गम्भीरता को समझा । इन्होंने सबसे पहले एक स्पष्ट योजना बनाकर वायुयान से सर एडमंड हिलेरी को ढूंढ निकाला और यह देखा कि बर्फ से ढकी जिस ढलान और तंग घाटी में सर एडमंड हिलेरी टिके हुए थे, वहां से उन्हें निकाल पाना बहुत जोखिमपूर्ण काम था । जैसे ही ये बड़ी कुशलता से हेलिकोप्टर को जमीन से कुछ इंच ऊपर ले आये तो नीचे फैली हुई नरम बर्फ चारों ओर उड़ने लगी और बर्फीला तूफान सा उठ खड़ा हुआ । इससे विचलित हुए बिना इन्होंने हेलिकोप्टर को 17,500 फुट की ऊंचाई पर तब तक सही स्थिति पर मंडराते रखा, जब तक कि इनका सह-पायलट नीचे कूदकर सर एडमंड हिलेरी को हेलिकोप्टर में वापस नहीं ले आया ।

इस कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर सुखमन्दर सिंह सिंधु ने अदम्य साहस, दृढ़ता और उच्चकोटि की व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया ।

के० सी० मादप्पा
राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 8 अप्रैल, 1978

नियम

सं० 17011/3/77-ए०आई०एस०-IV—भारतीय वन सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए 1978 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं —

1. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किए जायेंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

3. उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप में रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गए हों, या

(ङ) ऐसा भारत मूलक व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों और वियतनाम से आया हो ।

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिये ।

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है ।

4 (क) उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जुलाई, 1978 को 20 वर्ष पूरी हो गई हो किन्तु 26 वर्ष न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जुलाई, 1952 से पहले और 1 जुलाई, 1958 के बाद नहीं हुआ हो ।

(ख) ऊपर निर्धारित अधिकतम आयु में निम्नलिखित स्थितियों में छूट दी जा सकती है —

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और वह 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो और वह 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से प्रव्रजन कर आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(iv) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से मूलरूप में वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ या आने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का हो और साथ ही अक्तूबर 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ या आने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष

(vi) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(viii) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष में अथवा अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए,

(ix) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष में अथवा अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों और जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं,

(x) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए और उसके परिणाम-स्वरूप निर्मुक्त हुए हों, और

(xi) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए और उसके परिणाम-स्वरूप निर्मुक्त हुए हों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हों,

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलत भारतीय व्यक्ति, (जिसके पास भारतीय पार-पत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ग) ऐसा उम्मीदवार जो निर्धारित की तारीख अर्थात् पहली जनवरी 1978 को निर्धारित उपरी आयु-सीमा से अधिक आयु का हो जाता है और जो आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था या 25-6-75 तथा 21-3-77 के बीच की आन्तरिक आपातस्थिति की अवधि के दौरान अभिकथित राजनैतिक कार्य कलापों या तत्कालीन प्रतिबंधित संगठनों से सम्बन्धित होने के कारण भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन गिरफ्तार या कैद हुआ था और इस प्रकार उक्त परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु-सीमा के अन्दर होते हुए भी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया गया था, इस शर्त पर परीक्षा में बैठने का पात्र होगा कि जून, 1975 और मार्च, 1977 के बीच की अवधि के दौरान वह परीक्षा में कम से कम एक बार भी नहीं बैठ पाया है अर्थात् (उसने परीक्षा छोड़ दी हो)।

टिप्पणी —इस रियायत के अन्तर्गत जो कि 31-12-1979 के बाद होने वाले किसी भी परीक्षा में प्रवेश के लिये ग्राह्य नहीं होगी, एक से अधिक अवसर नहीं दिया जाएगा।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

5. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम, द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप से मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था से प्राप्त वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू-विज्ञान, गणित, भौतिकी और प्राणि विज्ञान में से एक विषय के साथ स्नातक डिग्री अवश्य होनी चाहिये अथवा कृषि विज्ञान या इंजीनियरी की स्नातक डिग्री होनी चाहिये।

नोट 1—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है, जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा में बैठने का शैक्षिक रूप से पात्र होगा, परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

नोट 2—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो, जिसके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

6. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 5 में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

7. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हों, पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों, उन सब को अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान की ओर से आयोग के नोटिस के अनुबन्ध के पैरा 2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

8. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

9. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिये दोषी घोषित कर दिया गया हो कि उसने —

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिन में तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है अथवा

(vi) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हो, अथवा उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ix) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(x) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या कराने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका व उम्मीदवार है, बैठने के लिये अनर्ह ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से,

अपवर्जित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा मे है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमो के अधीन अनुशासनिक कारवाई की जा सकती है ।

11 जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा मे उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवार इन जातियो के लिये आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त सख्या मे व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिये नही बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारो को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

12 परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारो के द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर योग्यता क्रम मे उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारो मे से जितने लोगो को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियो पर नियुक्त करने के लिये अनुशसा की जायेगी । ये नियुक्तिया जितनी अनारक्षित रिक्तियो को भरने का निर्णय किया जाता है उसको देख कर होगी ।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के लिये आरक्षित रिक्तियो की सख्या तक अनुसूचित जातियो अथवा अनुसूचित जन जातियो के उम्मीदवार नही भरे जा सकते हो तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिये आयोग द्वारा स्तर से छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान क्यो न हो, नियुक्ति के लिये उनकी अनुशसा की जा सकेगी बशर्ते ये उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हो ।

13 प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वय करेगा । आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नही करेगा।

14 परीक्षा मे पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नही मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जाच के बाद सतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा मे नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है।

15 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमे कोई ऐसा शारीरिक दोष नही होना चाहिये जिससे वह सबधित सेवा के अधिकारी के रूप मे अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे म यह पाया जाए कि वह उन अपेक्षाओ को पूरा नही कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारो की डाक्टरी परीक्षा करायी जा सकती है । उम्मीदवार द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिये चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नही देना होगा।

नोट —बाद में निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीदवारो को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा मे प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जाच करवा ले। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारो की किसी प्रकार की डाक्टरी जाच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिये, इसके ब्यौरे इन नियमो के परिशिष्ट-III मे दिये गए हैं । रक्षा सेवाओ के भूतपूर्व विकलांग सैनिको को और 1971 के भारत-पाक सघर्ष के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिको को सेवाओ की आवश्यकताओ के अनुरूप डाक्टरी जाच के स्तर मे छूट दी जाएगी ।

पुरुष उम्मीदवारो के लिये 4 घटे मे 25 किलोमीटर पैदल चलने की और महिला उम्मीदवारो के लिये 4 घटे मे 14 किलोमीटर पैदल चलने की स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षमता की शर्त की ओर विशेषत ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

16 ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो,

उक्त सेवा मे नियुक्ति का पात्र नही होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से सतुष्ट हो कि ऐसे पुरुष/स्त्री तथा जिस स्त्री/पुरुष से उसने विवाह किया हो, उन पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा किया जा सकता हो और ऐसा करने के अन्य आधार हो, तो उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है।

17. उम्मीदवारो को सूचित किया जाता है कि सेवा मे भर्ती से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओ को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारो की सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है ।

18 इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिये भर्ती की जा रही है उसका सक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट II मे दिया गया है।

आर० एल० अग्रवाल, अवर सचिव

परिशिष्ट—I

खण्ड—I

परीक्षा की रूपरेखा

भारतीय वन सेवा के लिये प्रतियोगिता परीक्षा मे निम्नलिखित सम्मिलित है —

(क) लिखित परीक्षा—

(1) दो अनिवार्य विषय अर्थात् सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान [नीचे खड—II का उपखण्ड (क) देखें] पूर्णांक ।

(ii) निम्नलिखित खण्ड-II के उपखड (ख) मे दिये गए वैकल्पिक विषयो मे से चुने गए विषय । इस उप खड की व्यवस्था के अधीन उम्मीदवार उनमे से कोई दो विषय लें ।
पूर्णांक

(ख) ऐसे उम्मीदवारो का, जो आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए (इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'ख' के अनुसार) बुलाए जायेंगे, का व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार ।

खण्ड—II

परीक्षा के विषय

(अ) अनिवार्य विषय [ऊपर खण्ड-I के उप खंड (क) (1)] के अनुसार —

(1) सामान्य अंग्रेजी	पूर्णांक	150
(2) सामान्य ज्ञान	पूर्णांक	150

(ख) वैकल्पिक विषय—(ऊपर खंड-I के उपखंड (क) (ii) के अनुसार :—

विषय	कोड संख्या	पूर्णांक
कृषि विज्ञान	01	200
वनस्पति विज्ञान	02	200
रसायन विज्ञान	03	200
सिविल इंजीनियरी	04	200
भू-विज्ञान	05	200
कृषि इंजीनियरी	06	200
रसायन इंजीनियरी	07	200
गणित	09	200
यांत्रिक इंजीनियरी	10	200
भौतिकी	11	200
प्राणि विज्ञान	13	200

परन्तु उपर्युक्त विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी :—

(i) कोई भी उम्मीदवार कोड 01 तथा 06 वाले विषयों को एक साथ नहीं ले सकेगा।

(ii) कोई भी उम्मीदवार कोड 03 तथा 07 वाले विषयों को एक साथ नहीं ले सकेगा।

नोट :—ऊपर लिखे विषयों का स्तर और पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिया गया है।

खण्ड-III

सामान्य

(1) सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे।

(2) उपर्युक्त खण्ड-II के उपखण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये 3 घंटे का समय दिया जाएगा।

(3) उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिये किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी।

(4) आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

(5) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

(6) अनावश्यक ज्ञान के लिये अंक नहीं दिए जाएंगे।

(7) परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रम बद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग और सही हो।

(8) प्रश्न-पत्र में आवश्यक होने पर केवल प्रश्नों में तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे।

अनुसूची

भाग-क

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐसा होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के विज्ञान/इंजीनियरी ग्रेजुएट से आशा की जाती है।

अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग भारतीय विश्वविद्यालयों की स्नातक उपाधि (पास) के समान होगा।

किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जाएगी।

सामान्य अंग्रेजी :

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे उनके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके।

सामान्य ज्ञान :

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा प्रतिदिन के प्रेक्षण और अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

कृषि विज्ञान (कोड-01)

उम्मीदवारों को नीचे खण्ड (क) और (ख) या खण्ड (क) और (ग) में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

(क) कृषि अर्थ शास्त्र

कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र, अध्ययन का महत्व तथा अन्य विज्ञानों से संबंध, भारतीय आर्थिक स्थिति में कृषि का महत्व, राष्ट्रीय आय में उसकी देन, अन्य देशों से तुलना, भारतीय कृषि उत्पादन, विपणन, श्रम उधार श्रम उधार इत्यादि महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन।

फार्म प्रबन्ध के अध्ययन के तरीके, इसका अर्थ तथा क्षेत्र, अन्य भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से सबंध, फार्म प्रबन्ध की अवधारणाएं और मूल सिद्धांत। फार्म के निर्धारण के प्रकार और तरीके भूमि जल श्रम और उपस्कर के लाभकारी प्रयोग का आयोजन, फार्म की क्षमता को मापने के तरीके, फार्म के हिसाब-किताब के प्रकार और उद्देश्य, फार्म के अभिलेख तथा लेखे, वित्त लेखा-विधि उद्यम लेखा-विधि तथा पूर्ण लागत लेखा-विधि।

(ख) शस्य विज्ञान

फसल उत्पादन—खरीफ की फसलों—धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, गन्ना, मूंग, उड़द—का विस्तृत अध्ययन जो उनके प्रारम्भण, वितरण बीज डालने योग भूमि तैयार करना, सुधरी किस्म बुआई तथा बीजों के मिश्रण की मात्रा, कटाई, भण्डारण, फसलों के भौतिक निवेश के सन्दर्भ में हो।

रबी की महत्वपूर्ण फसलों गेहूं, जौ, चना, सरसों, ईख, तम्बाकू बरसीम का विस्तृत अध्ययन, जो उनके उद्गम इतिवृत्त, बटन, भूमि तथा जलवायु की आवश्यकताएं, बीज की क्यारियों की तैयारी, सुधरी प्रकार की किस्में, बोना और बीज की मिश्रण दर, कटाई, भण्डार में रखने, फसलों के भौतिक निवेश के सदर्भ में हो।

घास-पात और घासपात नियंत्रण—घासपात का वर्गीकरण, भारत की प्रमुख घास-पात के प्राकृतिक वास तथा विशेषताएं, घास-पात के बोने की प्रमुख एजेन्सियां और घास-पात पर सवर्धन, जैविक और रासायनिक नियंत्रण,

सिंचाई और जल निकास के सिद्धान्त—सिंचाई जल की आवश्यकता और स्रोत, फसलों का जल की आवश्यकता की मात्रा, साधारण जल की लिफ्टें, जल मान, सिंचाई के जल का व्यर्थ जाने से रोकना, सिंचाई के तरीके और ढंग, प्रत्येक ढंग के लाभ और सीमाएं। सिंचाई के जल की माप, पृथ्वी की नमी, पृथ्वी की नमी के विभिन्न प्रकार और उनका महत्व, जल-निकास और इसकी आवश्यकता, जल की अधिकता के कारण क्षति पहुंचना, जल निकास के ढंग।

मृदा-विज्ञान और मृदा सरक्षण

मृदा-(सोयल) की परिभाषा, इसके मुख्य अंग, मृदा प्रोफाइल, मृदा खनिज कोलाइड्स धनायन विनिमय, क्षमता, आधार, सतृप्ति प्रतिशत, आयन विनिमय, पौधे की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ भूमि में उनकी आकृति और पौधे के पोषण में उनका कार्य मृदा जैव पदार्थ इसका गलना और इसका भूमि के उपजाऊ होने पर प्रभाव। एसिड और क्षारीय मिट्टी, उनकी बनावट और भूमि उद्धार। भूमि गुणा पर आर्गेनिक खादों, हरी खादों और उर्वरकों का प्रभाव। साधारण नाइट्रोजनी, फास्फेटिक और पोटेशीय उर्वरकों के गुण।

यांत्रिक बनावट और भूमि की रचना, भूमि रन्ध्रान्तर, भूमि संरचना भूमि जल के प्रकार, इसकी रुकने की क्रिया, भूमि जल का सुलभ होना तथा भूमि जल की मांग। भूमि का तापमान, भूमि वायु तथा इसका महत्व, भूमि संरचना, इसके प्रकार तथा भूमि के भौतिक रासायनिक गुणों पर उनका प्रभाव।

भूमि आकारिकीय और भूमि का सर्वेक्षण—भूमि का टूटना, मृदा बनाने वाली चट्टानें और खनिज, मृदा बनाने में उनका घटन और महत्व चट्टानों तथा खनिजों का अपक्षय, मृदा बनाने के कारक और प्रक्रम, संसार के बड़े मृदा समूह तथा उनका कृषि संबंधी महत्व। भारतीय मृदाओं का अध्ययन, मृदा का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण।

भूमि संरक्षण के सिद्धान्त—मृदा का अपरदन, अपरदन के कारण, भूमि संरक्षण, शास्य तथा इंजीनियरी तरीकों से संबंधित मृदा के गुण, कृषि भूमियों के लिए भूमि में जल निकास की आवश्यकताएं तथा प्रचलित तरीके, भूमि-प्रयोग का वर्गीकरण, भूमि संरक्षण, योजना तथा कार्यक्रम।

वनस्पति विज्ञान (कोड 02)

1. पादप जगत का सर्वेक्षण—पशुओं तथा पादपों में अन्तर, जीवित प्राणियों के गुण, एक सैल तथा अधिक सैल वाले प्राणी, वाइरस, पादप जगत के विभाजन का आधार।

2. आकारिकी—(i) एक सैल वाले पादप सैल, इसकी बनावट तथा भाग, सैलों का विभाजन तथा गुणन।

(2) अधिक सैल वाले पादप

संवहनी और संवहनी-रहित पादपों के तना में विभिन्नता, संवहनी पादपों की बाहरी तथा भीतरी आकारिकी।

3. जीवन वृत, नीचे दिए गए पादपों में कम से कम एक प्रकार के पादप का अध्ययन-जीवाणु, माइनोफाइस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फाइकोम्फीइट्स एसकोमीसाइट्स, बेसीडाइया, मीभाइट्स, लिवरवोर्टस काइया टेरियोडोफाइट्स, जिमनोस्पर्म्स और एंजीओस्पर्म्स।

4. वर्गिकी—वर्गीकरण के सिद्धान्त—एंजियोस्पर्म्स के वर्गीकरण के प्रमुख ढंग निम्नलिखित प्रजातियों के भिन्न-भिन्न लक्षण तथा आर्थिक महत्व—ग्रेमीनिया साइटोमिनाए, पामेसिआए, लिलीएसाई, आरकाइसीआई, मोरासीआए, लोरान्थ-सियाए, मगनोलियासिआए, लोरासी कुसीफराए, रोसासीएई, लेगुमानामाई रुटासीएई, मैलियासीएई, यूफोरबियासीई, एनाकार्डिएसाई, मालवासीएई, अपामी नेसेई, एसलेडीसेई, डिप्टरोकार्पेसेई, मिरटेसई, अम्बलीफरेलाविएटई, सोलेनाइमी, रबियासियाई, कुकरबाइटेसाई, बरकानासेई और कम्पोजिटाई।

5. पादप-शारीर-क्रिया-विज्ञान—स्वपोषण, परपोषण जल तथा पोषकों का भीतर लेना, वाष्पोत्सर्जन, फोटोसिन्थेसिस, खनिजपोषण, श्वसन, वृद्धि, पुनर्जनन, पादप/पशु संबंध, सिम्बलासिस परजीविता, एन्जाइम, आक्सीन्स, हार्मोन, फाटोपेरियोडिज्म।

6. पादप रोगविज्ञान—पादप रोगों के कारण तथा उपचार, रोगी, भाग, वाइरस, हीनताजन्यरोग, रोग से बचाव।

7. पादप परिस्थिति विज्ञान—भारतीय पेड़-पौधों तथा भारतीय वनस्पति क्षेत्रों के विशेष सन्दर्भ में परिस्थिति तथा पादप भूगोल से सम्बन्ध बुनियादी सिद्धान्त।

8. सामान्य जीव विज्ञान—कोशिकाविज्ञान, आनुवंशिकी, पादप प्रजनन, मन्डेलिज्म, संकर ओज उत्परिवर्तन विकास।

9. आर्थिक वनस्पति विज्ञान—मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों में विशेषकर पुष्प पादपों के आर्थिक प्रयोग की विशेषता ... उत्पादों के सन्दर्भ में हो खाद्यान्न, दालें, फल, चीनी तथा स्टार्च, तिलहन, मसाले, पेय तन्तु, लकड़ी, रबड़ की दवाइयां और आवश्यक तेल।

10. वनस्पति विज्ञान का इतिहास—वनस्पति विज्ञान से संबंधित ज्ञान के विकास की जानकारी।

रसायन विज्ञान (कोड 03)

1. अकार्बनिक रसायन विज्ञान

तत्वों का इलेक्ट्रानिकी विन्यास, आफ-बाऊ सिद्धान्त, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण परमाणु क्रमांक। संक्रमण तत्व और उनके लक्षण। परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव। इलैक्ट्रान बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता।

प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनाभिकता। नाभिकीय विखण्डन और संलयन।

संयोजकता का इलैक्ट्रानिकी सिद्धान्त, सिग्मा और पाई बन्ध के बारे में प्रारम्भिक विचार, सहसंयोजी आबन्ध की संकरण और दिशिक प्रकृति।

वारनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धान्त, उभयनिष्ठ तथा धातुकर्मीय विश्लेषीय प्रचालनों में निहित सम्मिश्रों का इलैक्ट्रानिकी विन्यास।

आक्सीकरण स्थितियां और आक्सीकरण संख्या। सामान्य उपचायक तथा अपचायक आक्सीकारक। आयनिक समीकरण।

ल्युइस और ब्रान्सटेड के अम्ल और क्षार सिद्धान्त।

सामान्य तत्वों का रसायन विज्ञान और उनके आमिश्र जिनकी विशेष रूप से आवर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया की गई हो। निष्कर्षण के सिद्धान्त महत्वपूर्ण तत्वों का वियोजन (और धातुकी)

हाइड्रोजन पर आक्साइड की संरचना, डाईबोरेन, ऐलूमिनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण आक्सीऐसिड।

अक्रिय गैस वियोजन तथा रसायन।

अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धान्त।

सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम नाइट्रिक अम्ल, गन्धकीय अम्ल, सीमेंट ग्लास और कृत्रिम उर्वरकों के निर्माण की रूप रेखा।

2 कार्बनिक रसायन विज्ञान

सहसंयोजी आबन्ध की आधुनिक संकल्पनाएं, इलेक्ट्रान विस्थापन मैसोमरी और अति संयुग्मन प्रभाव। अनुनाद और कार्बनिक रसायन में उनका अनु-प्रयोग। वियोजन स्थिरांक (डिसोसियेशन कॉन्स्टेंट) पर संरचना का प्रभाव।

ऐल्केन, ऐल्कीन और ऐल्काइन। कार्बनिक मिश्रण के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम, एलिफेटिक मिश्रणों के सरल व्युत्पन्न। ऐल्कोहल, ऐल्डीहाइड्स, कीटोन, अम्ल, हैलाइड, एस्टर्स, ईथर अम्ल ऐनाइड्राइड क्लोराइड और अमिड एकक्षारकी हाइ-ड्राक्सी कीटोनी और ऐमीनो अम्ल। कार्ब धात्विक मिश्रण और एसीटो एसीटिक एस्टर। टार्टरिक, सिट्रिक, मैलेइक और अमेरिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया। ग्लूकोस, फल शर्करा और इक्षु शर्करा।

त्रिविम रसायन प्रकाशकीय और ज्यामितीय समावयता। संरूपण की संकल्पना।

बेन्जीन और इसके साधारण व्युत्पन्न, टालुईन जाइलीन, फीनाल, हैलाइट, नाइट्रो और एमीनो मिश्रण। बेन्जोइक सैलिसिक, सिनेमिक, मैंडेलिक और सल्फोनिक अम्ल। एरोमैटिक ऐल्डिहाइड और कीटोन डाइएजो, एजो और हाइड्रेजो मिश्रण। एरोमेटिक प्रतिस्थापन। नैफ्थलीन, पिरिडीन और क्यूनोलिन।

3—भौतिक रसायन

गैसों और गैस नियमों का गतिक सिद्धान्त। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। वान डेरवाल का समीकरण। सगत अवस्थाओं का नियम। गैसों का द्रवण। गैसों की विशेष ऊष्मा। सी० पी०/सी० वी० का अनुपात।

ऊष्मागतिकी

ऊष्मागतिकी का पहला नियम। समतापी और रुद्धोष्म प्रसार। पूर्ण ऊष्मा। ऊष्मा धारिता। ऊष्म-रसायन—अभिक्रिया ऊष्मा, विरचन, विलयन और दहन। आबन्ध ऊर्जाओं की गणना। किरचॉफ समीकरण।

स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्ड। ऊष्मा-गतिकी का दूसरा नियम। एन्ट्रापी। मुक्त ऊर्जा। रासायनिक सन्तुलन का मानदण्ड।

घोल परासरणीय दाब, वाष्प दाब को कम करना, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। घोल में अणुभार निश्चित करना।

विलेयों का संगणन और वियोजन।

रसायनिक संतुलन। द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया और समांगी तथा विषमांगी संतुलन। ला-शातेलिए नियम। रासायनिक संतुलन पर ताप का प्रभाव।

विद्युत रसायन: फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, विद्युत अपघटन की चालकता, तुल्यांकी चालकता और तनुता में उसका परिवर्तन, अल्प विलेय लवणों की विलेयता। विद्युत अपघट्यों का वियोजन। आस्टवाल्ड तनुता नियम, प्रबल विद्युत अपघट्यों की असंगति। नियतांक, गुणनफल, अम्लता और क्षारों की प्रबलता। लवणों का जल अपघटन। हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता, उभय प्रतिरोधी क्रिया (बफर क्रिया)। सूचक सिद्धान्त।

उत्क्रमणीय सेल। मानक हाइड्रोजन और कैलोमल इलेक्ट्रोड और रेडाक्स विभव। सान्द्रता सेल। पी० एच० का निर्धारण। अभिगमनांक, पानी का आयनी गुणनफल। विभव में लक्ष्य अनुमापन।

रासायनिक बलगतिविज्ञान। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया। तापमान अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया। तापमान अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, अपक्रान्तिकता तापांक और सक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया दरों का संघट्ट सिद्धान्त। सक्रियित संकुल सिद्धान्त।

प्रावस्था नियम: इसकी शब्दावलियों की व्याख्या। एक और दो घटक तन्त्र का अनुप्रयोग। वितरण नियम।

कोलाइड: कोलाइडी विलयन का सामान्य स्वरूप और उनका वर्गीकरण, कोलाइड के विरचन और गुणों की सामान्य रीति। स्कन्दन। रक्षक क्रिया और स्वर्णांक। अधिशोषण।

उत्प्रेरण: समांग और विषमांग उत्प्रेरण, विषाक्तन, वर्धक।

प्रकाश रसायन: प्रकाश रसायन के नियम। सरल संख्यात्मक।

सिविल इंजीनियरिंग (कोड 04)

1—भवन निर्माण कार्य सामग्री तथा उस सामग्री के गुण तथा सामर्थ्य।

भवन निर्माण कार्य सामग्री—इमारती लकड़ी, पत्थर, ईंट, चूना, टाइल, सैन्ड, सुरखी, मार्टर तथा कंक्रीट आदि तथा काच इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में प्रयुक्त होने वाली धातुओं और अयस्कों के गुण।

स्ट्रेस तथा स्ट्रेन—इलास्टिसिटी की थ्योरी। टारशन तथा डाइरेक्ट स्ट्रेस। शहतीरों के मुड़ने का इलास्टिक सिद्धान्त, केन्द्रीय रूप से बोझ पड़ने के कारण अधिकतम और न्यूनतम दबाव। बेंडिंग मूमेंट और शियर फोर्स के डायग्राम तथा स्थिर और चलायमान दबाव के अधीन शहतीरों का विक्षेप।

2—भवन निर्माण, जल प्रदाय और सफाई से सम्बन्धित इंजीनियरिंग

निर्माण—ईंट तथा पत्थर की चिनाई—दिवार, फर्श तथा छत, जीने, लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी, छत, दरवाजे, खिड़कियां तैयार करना। प्लास्टर, प्वाइंटिंग, पेन्ट तथा वार्निश आदि से संबंधित अन्तिम कार्य।

मृदा यांत्रिकी (सॉइल मैकेनिक्स) मृदा और उससे संबंधित खोज, भार वहन क्षमता और भवनों तथा निर्माण की बुनियादी डिजाइन बनाने के सिद्धान्त।

भवन निर्माण सम्बन्धी अनुमान तैयार करना—नाप के सिद्धान्त, इकाईयां, भवनों के लिए उनकी मात्रा निर्धारित करना तथा होने वाले व्यय तथा महत्वपूर्ण मदों के विवरण तैयार करना।

जल प्रदाय—पानी के स्रोत, विशुद्धता के मानक, शुद्ध करने की प्रणालियां, जल प्रदाय के ढंग, पम्प तथा वाटर वर्क्स आदि की रूप रेखा तैयार करना।

सफाई—गंदी नालियां, तूफान में बहते हुए पानी के लिए और मकानों के लिए अपेक्षित नालियों की आवश्यकताएं, जांचना, सैप्टिक टैंक, इम्होफ टैंक, कचरे को रखने के लिए व्यवस्था तैयार करना—कम्पोस्ट, सैनिटरी लैंडफिल।

3—सड़क [illegible]।

सर्वेक्षण तथा परीक्षण (इन्वेस्टिगेशन)—[illegible] सामग्री तथा उनके विनियोग, डिजाइन के सिद्धान्त, जीव तथा पगडंडियों की चौड़ाई, कम्बर, ग्रेडिएन्ट, मोड़ और सुपर एलिवेशन, ट्रैफिक [illegible]।

निर्माण—कच्ची सड़कें, स्थिर तथा पानी के बने हुए मेकडेम सड़क, बिटुमिनस, नलीवाली तथा कंक्रीट सड़कें, सड़कों पर नालियां, पुल—उनके प्रकार, इकानिमिकल स्पैन, आई०आर०सी० लोडिंग, छोटे पुलों के ऊपरी ढांचों के डिजाइन बनाने, पुलों के पाये तथा पायर, पायर तथा कुएं की नीव के डिजाइन तैयार करने के सिद्धान्त तैयार करना।

4—सड़कों और बहन के लिए मिट्टी के काम का प्राक्कलन

5—संरचना इंजीनियरिंग

इस्पात के ढांचे—अनुमत दाब, साधारण शहतीर तथा तैयार किए गए स्तंभ और साधारण छत के ट्रस और गार्डरों के डिजाइन तैयार करना, स्तम्भों के आधार तथा चारों ओर से बीच से दबाव पड़ने वाले स्तम्भों के लिए ढांचे बनाना—चटकनी लगे, रिवेट लगे हुए और वेल्ड किए हुए जोड़।

आर० सी० सी० स्ट्रक्चर (ढांचे)—प्रयुक्त सामान का विवरण—अपेक्षित मजबूती और उसके हिसाब से उनके प्रयोग आवंटन करना। डिजाइन लोडस के लिए भारतीय मानक संस्थान के मानक आर० सी० सी० के पदार्थों में अनुमत स्ट्रेस जोड़ सीधी बैंडिंग स्ट्रेस के अनुसार हो। साधारण रूप से सहारे के साथ लटकते हुए कैन्टीलीवर लट्ठे, चौकोर तथा टीशक्ल के लट्ठे जो फर्शों, छतों और लिंटल में प्रयुक्त होते हैं—चारों ओर से दबाव सहारने वाले स्तंभ तथा उनके आधार।

भू-विज्ञान (कोड 05)

सामान्य भू विज्ञान

पृथ्वी की उत्पत्ति, काल और आंतरिक भाग, विभिन्न भूवैज्ञानिक एजेंसियां और स्थलाकृति अपक्षय और अपरदन (इरोजन) पर उनका प्रभाव, मृदा के प्रकार, उनका वर्गीकरण और भारत के मृदा समूह, भारत के भू आकृति उप-भाग, वनस्पति और स्थलाकृति, भूकम्प, पर्वत पटल विरूपण।

2—संरचनात्मक भूविज्ञान

आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान, नति नति लम्ब और ढलान, वलन, भ्रंश और विषम विन्यास और दृश्यांशों पर उनका प्रभाव, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की विधियों के संबंध में प्रारम्भिक जानकारी।

3—क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान

क्रिस्टल सममिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी। क्रिस्टल विज्ञान के नियम, क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन (ट्विनिंग) सामान्य खनिज खनिजों, महत्वपूर्ण शैल रचना, रासायनिक संघटन, भौतिक गुण प्रकाशिक गुण धर्म, परिवर्तन और वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन।

4 आर्थिक भू विज्ञान

भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी उपस्थिति की अवस्था का अध्ययन। अयस्क निक्षेपों का उद्भव और वर्गीकरण।

5 शैल विज्ञान

आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों तथा उनके उद्भव और वर्गीकरण का प्रारम्भिक ज्ञान। चट्टानों के सामान्य प्रकारों का अध्ययन।

6 स्तर क्रम विज्ञान

स्तर क्रम विज्ञान के नियम, भू विज्ञान अभिलेखों का भूगर्भ वैज्ञानिक और कालानुक्रम उप विभाजन। भारतीय स्तर क्रम विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं

7 जीवाश्म विज्ञान

जीवाश्म विज्ञान संबंधी आधार सामग्री का विकास से संबंध। जीवाश्म (फासिल) उनका स्वरूप और उनके परिरक्षण की विधि। प्राणि जीवाश्मों और पादप जीवाश्मों की निरूपण आकृतियों के आकृति विज्ञान और विभाजन की प्रारम्भिक जानकारी।

कृषि इंजीनियरिंग (कोड—06)

1 मृदा तथा जल संरक्षण: मृदा संरक्षण की व्यवस्था, व्याख्या तथा उसका क्षेत्र, संरक्षण [illegible] जल विज्ञान, उनके कारण, जल विज्ञान सम्बन्धी चक्र [illegible] तथा [illegible] आकार, गार्जिंग, वर्षा के जलवाह का मूल्यांकन, भूरक्षण पर नियंत्रण के उपाय, जैविक तथा इंजीनियरी।

मूलभूत खुले हुए जलमार्गों को बनाना। मृदा संरक्षण सम्बन्धी ढांचों टैरेस बांध नालियों तथा घास उगाते हुए पानी के निकास के भागों का डिजाइन बनाना बाढ़ नियंत्रण के सिद्धान्त बाढ़ के पानी की निकासी के लिए मार्ग बनाना, फार्म के लिए तालाब तथा मिट्टी के बांध तैयार करना, नदी के किनारों पर भूरक्षण तथा उसका नियंत्रण, वायुजनित भू-क्षरण तथा उस पर नियंत्रण जल संवरण की देखभाल के सिद्धान्त।

नदी घाटी परियोजनाओं से सम्बन्धित जांच तथा योजनाओं को तैयार करना।

2. सिंचाई तथा ड्रेनेज.—मृदा-जल पौधों के पारस्परिक संबंध, सिंचाई के स्रोत तथा प्रकार। लघु सिंचाई परियोजनाओं की योजना तथा डिजाइन तैयार करना, मिट्टी की नमी का पता लगाने की तकनीक।

जल के उपयोग। फसलों के लिए जल की आवश्यकता। सिंचाई का परिमापन तथा उसका व्यय। रंध्रों, नालों तथा नालियों द्वारा जल प्रभाव नापने की प्रणाली। सिंचाई प्रणालियों की रूप-रेखाएं बनाना। नहरों, खेतों की नालियों, पाइप लाइनों हैड गेट्स, डाइवर्जन बाक्स स्ट्रक्चर तथा रोड क्रासिंग के डिजाइन बनाना तथा उनका निर्माण करना। भू जल प्राप्ति कुओं को द्रव इंजीनियरी, कुओं के प्रकार, उनके निर्माण तथा उनकी खुदाई की प्रणाली कुओं के विकास। कुओं को टेस्ट करना।

ड्रेनेज—परिभाषा—जलाक्रांति के कारण। ड्रेनेज के ढंग। सिंचाई की जाने वाली भूमि में नालियों को बनाना तल तथा भूमि से नीचे नालियां बनाने के डिजाइन तैयार करना।

3. निर्माण सामग्री—निर्माण सामग्री के प्रकार—उनके गुण धर्म :

टिम्बर, ब्रिक वर्क्स तथा आर० सी० कंस्ट्रक्शन, शहतीरों, छतों के जोड़ तथा स्तम्भों के डिजाइन तैयार करना। फार्म स्टैड की योजना बनाना। फार्म हाउसेज, पशुशाला तथा भंडार के लिए ढांचों का डिजाइन बनाना। ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई की व्यवस्था

4. फार्म विद्युत तथा मशीनरी :

भिन्न-भिन्न प्रकार के आंतरिक दहन इंजन लगाना। आंतरिक दहन इंजिनों का वातानुकूलन तथा नियंत्रण तथा उनमें तेल डालना और उनके लिए दहन की सामग्री उपलब्ध करना। ट्रैक्टरों, चेसिस ट्रांसमिशन और स्टेयरिंग के भिन्न भिन्न प्रकार। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक जुताई के लिए कृषि की मशीनरी, बीजने की मशीनरी, गुडाई के औजार आदि। पौधों के संरक्षण का सामान। फसलों की कटाई, अनाज गाहने के औजार भूमि विकास के लिए मशीनरी पम्प और पम्पिंग मशीनरी।

5. बिजली तथा ग्रामों में बिजली उपलब्ध करना।

बिजली तैयार करना तथा उसका वितरण, ए० सी० तथा डी० सी० सर्किट। फार्मों में बिजली ऊर्जा के उपयोग। कृषि में प्रयोग होने वाले बिजली के मोटर उनके प्रकार संबंधी चयन, उन्हें लगाना तथा उनकी देख-रेख।

रसायन इंजीनियरिंग : (कोड—07)

1. परिवहन की घटनाएं (स्थिर स्थिति के अधीन) :

(क) मोमन्टम ट्रांसफर :

(i) बहाव के विभिन्न ढंग तथा उनके मापदंड।

(ii) वलोसिटी प्रोफाइल।

(iii) फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूज।

(iv) तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों का बहाव।

(ख) ऊष्मा स्थानान्तरण: ऊष्मा स्थानान्तरण के विभिन्न डाइमेंशन ढंग: चपटे, बेलनाकार वर्गाकार, एकमात्र तथा मिश्रित, शीशों की तहों के लिए गति मापना।

कन्वेक्शन फोर्स्ड और फ्री कन्वेक्शन में प्रयुक्त विभिन्न डाइमेंशन रहित ग्रुप।

अलग तथा पूर्ण रूप से स्थानान्तरण का रूप निर्धारित करना।

वाष्पीकरण—विकीरण—स्टेफन, बोल्टजमैन का नियम—एमिसिविटी तथा एबजोर्पटोविटो। ज्योमेट्रीकल शेप फैक्टर, भट्टियों में ऊष्मा के बहाव का हिसाब लगाना।

(ग) सहित स्थानान्तरण : गैसों तथा तरल पदार्थों का विसरण। एबजोर्पशन, डिसोर्पशन, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, ड्राइंग तथा डिस्टिलेशन। मोमेंटम हीट तथा भाप और ट्रांसफर के भेद।

2. ऊष्मा गतिकी :

(क) ऊष्मागतिकी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम।

(ख) इन्टरनल एनर्जी एन्ट्राफी, एन्थालफी और स्वतंत्र ऊर्जा निर्धारण। सजातीय तथा विजातीय सिद्धान्तों के लिए कैमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निर्धारित करना। दहन, डिस्टिलेशन तथा ऊष्मा स्थानान्तरण में ऊष्मा गतिकी का उपयोग तरल पदार्थों ठोस और तरल पदार्थों तथा ठोस पदार्थों के मिश्रण के सिद्धान्त तथा मैकेनिज्म।

3. प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग :

(i) बलगतिकी : सजातीय और विजातीय प्रतिक्रियाएं प्रथम और द्वितीय प्रकार की प्रतिक्रियाएं बैच तथा फिलो-रिएक्टर तथा उनके डिजाइन।

(ii) कैटेलेसिस कैटेलेसिस का चुनाव, तैयारी। मैकेनिज्म पर आधारित कैटेलेसिस का मिकैनिक रूप।

4. ट्रांस्पोर्टेशन :

सामग्री, विशेषतः पाउडरों, रेजिन, उड़ जाने वाले तथा न उड़ने वाले पदार्थ, एमल्शन, और डिसपर्शन, पम्पों कम्प्रेसरों तथा ब्लोअर्स एकत्रित करना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।

मिक्सचर मिलाने का सिद्धान्त तथा प्रक्रिया।

5. सामग्री :

वे सामग्री जिनसे रासायनिक उद्योग में निर्माण की सामग्री का चुनाव किया जाता है। धातु और एलाए चीनी मिट्टी, प्लास्टिक तथा रबर, इमारती लकड़ी तथा उससे बनी चीजें, प्लाईवुड लेमिनेट।

बाट और वैरल, फिल्टर प्रेसेज आदि के निर्माण के लिए उपस्कर तैयार करना।

6. यंत्रीकरण तथा प्रक्रिया नियंत्रण.

यांत्रिक हाइड्रोलिक न्यूमेट्रिक, थरमल, आप्टिकल, मैगनेटिक, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक औजार। नियंत्रण तथा नियंत्रण के ढंग। आटोमेशन।

गणित : (कोड—09)

भाग 'क'

बीजगणित समुच्चय (सैट्स)—बीजगणित, सम्बन्ध तथा फलन (फंक्शन), फलन का प्रतिलोम, मिश्रित फलन, तुल्यता संबंध,

संख्या : पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या (गुणधर्मों के विवरण) सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित।

समूह: उप समूह, प्रसामान्य उप समूह, चक्रीय तथा क्रमचय समूह, लागरेंज को प्रमेय, आइसोमीफिज्म।

परिमेय इन्डेक्स की डी-मोइवर्स प्रमेय तथा इसके साधारण प्रयोग।

समीकरण के सिद्धान्त—बहुपदीय समीकरण, समीकरणों का रूपान्तर बहुपदीय समीकरणों के मूलों तथा गुणांकों के बीच सबंध त्रिघात तथा चतुर्घात समीकरणों के मूल का सममित फलन, मूलों का स्थान निर्धारण तथा मूल निकालने का न्यूटन का सिद्धान्त।

आव्यूह, (मैट्रीसेजज). आव्यूहों—सारणिकों का बीज-गणित, सारणिकों का साधारण गुणधर्म, सारणिकों का गुणनफल, सह खंडज आव्यूह, आव्यूहों का प्रतिलोमन, आव्यूहों की जाति, रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए आव्यूहों का प्रयोग (तीन अज्ञात संख्याओं में)।

असमताएं : गणित तथा ज्यामितीय माध्य, कोशी, श्वार्ज, असमता केवल परिमित सख्याओं के लिए)।

द्वितीय और त्रिविम को विश्लेषिक ज्यामिति :

द्विविम को विश्लेषिक ज्यामिति—सीधी रेखाएं, युग्ल सरल रेखाएं, वृत्त, निकाय, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय (मुख्याक्ष के नाम से निर्दिष्ट)। द्वितीय अंश के समीकरण का मानक रूप तक लघु करण। त्रिज्याएं तथा अभिलम्ब।

त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति—

समतल सीधी रेखाएं तथा गोलक (केवल कार्तीय निर्देशक)। कलन और विभिन्न समीकरण।

कलन (कैलकुलस) और विभिन्न समीकरण :

अवकल गणित: सीमांत की संकल्पना, वास्तविक चर फलन का सांतत्य और अवकलनीयता, मानक फलन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन। रोल का प्रमेय। मध्यमान प्रमेय, मेकलारिन और टेलर सीरिज (प्रमाण आवश्यक नहीं है) और उनका अनुप्रयोग, परिमेय सूचकांकों के लिए द्विपद—प्रमारण चरघांतांकी' प्रसरण, लघुगणीकीय त्रिकोणमितीय और अति परवलियिक फलन। अनिर्धारित रूप, एकल चर फलन का उच्चिष्ठ और अल्पिष्ठ, स्पर्श रेखा, अभिलम्ब, अर्धःस्पर्शी, अधोलम्ब, अनन्तस्पर्शी वक्रता (केवल कार्तीय निर्देशांक) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग। एनवेलप, आंशिक अवकलन। समांगी फलनों से संबंधित आयलर प्रमेय।

समाकलन—गणित (इंटीग्रल कैलकुलस) :

समाकलन को मानक-प्रणाली, एतत फलन के निश्चित समाकलन को रोमान-परिभाषा। समाकलन गणित के मूल सिद्धान्त परिशोधन, क्षेत्रकलन, आयतन और परिक्रमण धनाकृति का पृष्ठाय क्षेत्रफल। संख्यात्मक समाकलन के बारे में सिम्पसन का नियम।

अनुक्रम और सीरीज का अभिसरण, धन संख्याओं के साथ सीरीज अभिसरण का परीक्षण। अनुपात, मूल और गौस परीक्षण। एकांतर श्रेणी।

अवकल समीकरण : प्रथम कोटि के मानक अवकल समीकरण का हल निकालना। नियत गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि के रैखिक समीकरण का हल निकालना। वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल अनुपयोग। सरल आवर्त गति, सरल लोलक तथा उसके समदिग्र।

भाग 'ख'

यांत्रिकी (वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है)

स्थिति विज्ञान : बल का निरूपण, बल समान्तर चतुर्भुज, बल संयोजन और बल वियोजन और समतलीय तथा समांगी बलों की साम्यावस्था की स्थिति बल त्रिभुज। जातीय और विजातीय समान्त—बल। आघूर्ण। बल युग्म समतलीय बलों की साम्यावस्था की सामान्य स्थिति। साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र। स्थैतिक घर्षण। साम्य घर्षण और सीमांत घर्षण। घर्षण कोण। रथ आनत समतल पर के कण की साम्यावस्था। सरल नियम। साधारण मशीन (उत्तोलक घिरनी की निर्वेग पद्धति, गियर) कल्पित कार्य (दो आयामों में)।

गति विज्ञान—शुद्ध गति विज्ञान—कण का त्वरण, वेग चाल और विस्थापन, आपेक्षिक वेग। निरन्तर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा गति। न्यूटन के गति संबंधी सिद्धान्त। सकेन्द्र कक्षा। सरल प्रसंवदा गति। (निर्वात में) गुरुत्वावस्था में गति। आवेग कार्य और ऊर्जा। रैखिक संवेग और ऊर्जा का संरक्षण। एक समान वर्तुल गति।

खगोल विज्ञान:—

गोलीय त्रिकोण मिति:—ज्या एवं कोटिज्जया फार्मूला। समकोण युक्त गोलीय त्रिकोणों के गुण।

गोलीय खगोल विज्ञान—खगोलीय गोलक, समन्वित प्रणाली और उसका रूपान्तर। दैनिक गति। नक्षित्र समय, सौर समय, माध्य सौर समय स्थानीय और मानक समय, समय समीकार। सूर्य और नक्षत्रों का उदय और अस्त, क्षितिज नति। खगोलीय अपवर्तन। सांध्य प्रकाश, लंबन, अपेरण, पुरस्सरण और विदोलन। केपलर के नियम। ग्रह कक्षा और स्तम्भ बिंदु। चन्द्रमा की दृष्टि गति, चन्द्रमा की अवस्थाएं। खगोलीय गंत्र-मेक्सटेन प्रेषण यंत्र।

सांख्यिकी.

प्रायिकता की शास्त्रीय और सांख्यिकीय परिभाषा, संख्यात्मक प्रणाली को प्रायिकता का परिकलन, योग एवं गुणन सिद्धान्त, सप्रतिबंध प्रायिकता। यादृच्छिक चर (विविक्त और अविरत), घनत्व, घनत्व फलन, गणितीय प्रत्याशा।

मानक वितरण:—द्विपद परिभाषा, माध्य और प्रसरण, वैषम्य सीमांत रूप, सरल अनुप्रयोग। प्वासों-परिभाषा-माध्य और प्रसरण, योज्यता, उपलब्ध आंकड़ों में प्वासों बंटन का समंजन। सामान्य-सरल समानुपात और सरल अनुप्रयोग, उपलब्ध आंकड़ो में सामान्य और प्रसामान्य बंटन का समंजन।

द्विचर वितरण :— सह संबंध, दो चरों का रैखिक समाश्रयण, सीधी रेखा का समजन; परवलयिक और चल घातांकी वक्र, सह संबंधित गुणांक के गुणक।

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण:

यादृच्छिक प्रतिदर्श। सांख्यिकी प्रतिदर्श बटन और मानक त्रुटि मध्यपदों के अन्तर की अर्थवत्ता के परीक्षण में प्रसामान्य टी० सी० एफ० आई० (chi)^2 और एफ० का सरल वितरण।

नोट:—

उम्मीदवारों को पाठ्य विवरण के भाग "क" में से तीन विषयों में से नामतः (1) बीज गणित (2) द्विविम और त्रिविम विश्लेषक ज्यामिती, तथा (3) कलन (केलकुलस) और विभिन्न समीकरण, प्रत्येक पर, एक-एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। पाठ्य-विवरण के भाग ख में से तीन विषयों में से नामतः (1) यांत्रिकी, (2) खगोल विज्ञान और (3) सांख्यिकी, किसी एक पर कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

मिकेनिकल इंजीनियरी : (कोड-10)

1. पदार्थों की शक्ति

स्ट्रेसेज तथा स्ट्रेन-हुक का नियम तथा इलास्टिक कांस्टेटस के बीच के संबंध टेंशन व कम्प्रेशन वार्जे तथा तापमान में परिवर्तन के कारण हुए स्ट्रेसेज।

साधारण लदान के लिए समासामान्य सहारों के साथ लटकते हुए और कैन्टोलिवर बीम्स में बंकन आघूर्ण, अपरूपक बल और विक्षेपण।

राउंड वार्जे में टार्शन—

शैफ्ट्स द्वारा बिजली परिषण-स्प्रिंग्स।

सम्मिलित बंकन और सीधे प्रतिबल तथा सम्मलित व टार्शन के सामान्य मामले।

2. मशीनों और मशीन डिजाइनों का सिद्धांत :

मशीनों में पुर्जों की सापेक्ष वेलोसिटी ग्राफ तथा गणना करके दिखाना।

इंजनों के क्रैंक एफर्ट डायग्राम-फ्लाई व्हील को गतिविविधता। गवर्नर्स। बेल्ट ड्राइव द्वारा परिपित बिजली-जनरल तथा थ्रस्ट बियरिंग, बाल तथा रोलर बियरिंग की फ्रिक्शन तथा लुब्रिकेशन। फासनिंग और लाकिंग डिवाइस के डिजाइन बनाना-रिवट लगाए हुए, बोल्ट और वैल्ट किए हुए जोड़ों और फासनिंग के लिए मावाए।

3. प्रयुक्त उष्मा गतिकी।

इंधन दहन-वायु पूर्ति-इंधन तथा निष्कास गैस का विश्लेषण।

ब्वायलर्स, सुपर हीटर्स तथा इकोनोमाइजर्स-ब्वायलर ट्रायल।

वाष्प के भौतिक गुण धर्म—

वाष्प सारणियां और उनके उपयोग।

उष्मा गतिकी के नियम—गैस नियम—गैसों का विस्तार तथा संपीडन वायु-सम्पीडक।

आदर्श और वास्तविक इंजन क्रम

तापमान का उपयोग एन्ट्रापी, ताप एन्ट्रापी तथा प्रेशर वाल्यूम चार्ट और डायग्राम।

साधारण वाष्प इंजन और आंतरिक दहन वाले इंजन।

सूचक और सूचक डायग्राम यांत्रिक। तापीय, वायु मानक और वास्तविक दक्षताएं-सामान्य निर्माण-इंजन ट्रायल और ताप संतुलन।

4. प्रोडक्शन इंजीनियरी

ग्राम मशीन औजार-लैथ, शेपर्स प्लेनर, ड्रिलिंग मशीनों के प्रचालन सिद्धान्त-मिलिंग मशीनें-ग्राइन्डिंग मशीनें-जिग तथा फिक्सचर। धातु काटने वाले औजार-औजर सामग्री-औजार ज्यामिती।

कटिंग फोर्सेज-अपघर्षी ह्वीलस।

वैल्डिंग-सधानीयता और विभिन्न वैल्डिंग प्रक्रियाएं वैल्डों का टेस्ट करना।

फर्मिंग प्रासेस—धातुओं का मोल्डिंग, कास्टिंग फोजिंग, रोलिंग तथा ड्राइंग।

मापिकी—लाइनियर तथा एंगुलर परिमाप सीमाएं तथा आक्षेप। स्क्रू और गियर का परिमाप-सर्फेस फिनिश प्रकाशकीय यंत्र।

औद्योगिक इंजीनियरी-प्रणालीय अध्ययन और कार्य मापन—गति समय संबंधी तथ्य कार्य नमूना-कार्य मूल्याकन, मजदूरी और प्रोत्साहन आयोजन, नियंत्रण, संयंत्र की रूपरेखा।

5. तरल यांत्रिकी और पन बिजली

बरनौली का समीकरण-मूविंग प्लेट तथा वेन्स—पम्प और टरबाइन। अभिकल्पन नियम, प्रयोग और विशिष्ट वक्र, समानता के सिद्धान्त, गवर्निंग—जलीय सचायक और तीव्रक—क्रेन और लिफ्ट-सर्ज टेक और रिजर्वायर्स।

भौतिकी (कोड 11)

1 पदार्थ के सामान्य गुण और यांत्रिकी

यूनिटें और विमाएं, स्केलर और वेक्टर मात्राएं, जडत्व आघूर्ण, कार्य ऊर्जा और संवेग। यांत्रिकी के मूल नियम, घूर्णी गति गुरुत्वाकर्षण सरल आवर्त गति, सरल और असरल लोलक, कैटर लोलक प्रत्यास्थता—पृष्ठ तनाव, द्रव की श्यानता, रोटरी पम्प, मैकलियोड गेज।

2. ध्वनि

अवमंदित, प्रणोदित और मुक्त कम्पन, तरंग गति, डाप्लर प्रभाव, ध्वनि तरंग वेग, किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाब, तापमान, आर्द्रता का प्रभाव, डोरियों, छडों, प्लेटों और गैस स्तम्भों का कम्पन, अनुनाद विस्पद, स्थिर तरंग, ध्वनि का आवृति वेग तथा तीव्रता, स्वर ग्राम, स्थापत्यकला में ध्वनिकता, पराश्रव्य के मूल तत्व, ग्रामोफोन और लाउड स्पीकरों के प्रारम्भिक सिद्धान्त।

3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान:

तापमान और उसका मापन, तापीय प्रसार; गैसों मे समतापी तथा रुद्घोष्म (एडियाबेटिक) परिवर्तन/विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता, द्रव्य के अनुगति सिद्धान्त के तत्व, बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक बोध; वाडर वाल का अवस्था समीकरण; जूल थाम्पसन प्रभाव, गैसों का द्रवण, ऊष्मा ईजन, कार्नो प्रमेय, ऊष्मा गति विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग, कृष्णिका विकिरण।

4. प्रकाश

ज्यामिती प्रकाशिकी, प्रकाश का वेग, समतल और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में दोष और उनका निवारण, नेत्र और अन्य प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश का तरंग सिद्धान्त; व्यातिकरण, सरल व्यातिकरण मापी, विवर्तन, विवर्तन ग्रेटिंग, प्रकाश का ध्रुवण, स्पेक्ट्स विज्ञान के तत्व।

5. विद्युत और चुम्बकत्व

सरल मामलों में विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव का परिकलन, गाउस प्रमेय और उसके सरल अनुप्रयोग, विद्युत मापी, विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा द्रव्य के वैद्युत और चुम्बकीय गुण धर्म, हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृति; विद्युत धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र, मूविंग मैग्नेट एण्ड मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर; धारा और प्रतिरोध का मापन, रिएक्टिव सर्किट एलिमेंटस के गुण धर्म और उनका निर्धारण, ताप विद्युत प्रभाव; विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराओं का उत्पादन, ट्रांसफार्मर और मोटर। इलैक्ट्रानिक वाल्व और उनके सरल अनुप्रयोग।

बोर के परमाणु सिद्धान्त के तत्व इलैक्ट्रान, कैथोड-रे और एक्स-रे इलैक्ट्रानिक चार्ज और द्रव्यमान का मापन।

प्राणि विज्ञान (कोड 13)

प्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण।

रज्जु रहित (नान-कार्डेट) किस्म के प्राणियों की बनावट, आदतें और जीवन-वृत्त,

अमीबा, मलेरिया—पर जीवी। स्पज, लिवरफ्लू, फीता कृमि, गोल कृमि, केचुआ, जोक, तिलचट्टा, गृह मक्खी, मच्छर, बिच्छू, ताजे पानी का मस्ल, ताल घोंघा, स्टार फिश (केवल बाह्य लक्षण)।

कीटों का आर्थिक महत्व। निम्नलिखित कीटों की परिस्थिति और जीवन वृत्त —

दीमक, टिड्डी, शहद की मक्खी और रेशम का कीडा।

रज्जुकी, क्रम वर्गीकरण

निम्नलिखित प्रकार के रज्जुमान प्राणियों की बनावट और तुलनात्मक शरीर —

ब्रन्किओस्टोमा, स्कोलिओडान, मेढक, यूरोमिस्टिक्स या कोई अन्य छिपकली (वनस्म का अस्थिपंजर), कबूतर (कुक्कट का अस्थि पंजर), और खरगोश चूहा या गिलहरी।

मेढक और खरगोश के संदर्भ में जन्तुकार्य में विभिन्न अंगों के ऊतक विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी, अन्तःस्रावी ग्रंथियां और उनका कार्य।

मेढक और चूजे के विकास की रूप रेखा स्तनी जन्तुओं की बनावट और कार्य।

विकास के सामान्य नियम, विविधता, आनुवंशिकता, अनुकूलन, पुनरावर्तन परिकल्पना, मेडलीय आनुवंशिकता, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की विधियां अनिषेक जनन (पार्थ नोजेनेसिस), कायांतरण, पीढ़ी एकांतरण।

विशेष रूप से भारतीय जन्तु समूह के संदर्भ में जन्तुओं का पारिस्थितिक और भू-वैज्ञानिक वितरण।

भारत के वन्य प्राणी जिनमें विषैले और विषहीन सांप भी शामिल हैं; शिकार पक्षी।

भाग 'ख'

व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवन वृत्त होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि इस सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उम्मीदवार उपयुक्त है अथवा नहीं। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रुचि न लेते हों अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है तथा आधुनिक विचार-धाराओं और उन नई खोजों में रुचि ले, जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

2. साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं है अपितु स्वाभाविक निदेशन और प्रयोजनयुक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है, बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

परिशिष्ट II

(देखिए नियम 18)

भारतीय वन सेवा सम्बधी संक्षिप्त ब्यौरे (देखिए 18)—

(क) नियुक्तिया परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित हो, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर खंड (ख) और (ग) के अन्तर्गत सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ सकती है।

(च) वेतनमान

कनिष्ठ वेतनमान	रु० 700-40-900 द० रो० 40-1100-50 1300 (15 वर्ष)
वरिष्ठ वेतनमान	रु० 1100 (छठे वर्ष या उससे पहले) 50-1600 (16 वर्ष)
वन संरक्षक उप वन संरक्षक (राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान् है)।	रु० 1300-60-1600-100-1800
अपर मुख्य वन संरक्षक (राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान् है)।	रु० 2250-125/2-2500
मुख्य वन संरक्षक	रु० 2500-125/2-2750
उप वन महानिरीक्षक	रु० 2000-125/2-2750 तथा साथ में रु० 300/ प्र० मा० विशेष वेतन।
वन महानिरीक्षक तथा भारत सरकार के पदेन अपर सचिव	रु० 3000-100-3500

समय समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार महगाई भत्ता मिलेगा।

परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में प्रारम्भ होगी और उसे परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय वेतनमान में अवकाश, पेंशन या वेतनवृद्धि के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(छ) भविष्य निधि—भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय वन सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) अवकाश—भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली 1955 से शासित होते हैं

(झ) डाक्टरी परिचर्या—भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत प्राप्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) सेवा निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय वन सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु वन सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

परिशिष्ट III

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(देखिए नियम 15)

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं।

2 भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

1 नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2 चलने की परीक्षा—पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में पूर्ण होने वाली 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में पूर्ण होने वाली 14 किलोमीटर चलने की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। वन महा-निरीक्षक, भारत सरकार द्वारा इस परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि वह स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के साथ-साथ हो सके।

3 (क) भारतीय (एंग्लो इंडियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सब से अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

(ख) कद और छाती के घेर के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित है, जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता .

कद	छाती का घेर (पूरा फुला कर)	फैलाव
163 सें० मी०	84 सें० मी०	5 सें० मी० (पुरुषों के लिए)
150 सें० मी० .	79 सें० मी०	5 सें० मी० (महिलाओं के लिए)

अनुसूचित जन जातियों तथा गोरखाओं, गढ़वालियों, असमियों, नागालैंड की जन जातियों आदि के उम्मीदवारों के मामले में, जिनका औसत कद विशिष्टतया कम होता है, कद में छूट देने के लिए कम से कम निर्धारित मानक निम्नलिखित है —

पुरुष . . .	160 सें० मी०
महिला . .	145 सें० मी०

4 उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा —वह अपने जूते उतार देगा और उस माप दण्ड (स्टेण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिण्डलियां, नितम्ब

और कंधे माप दंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आए। कद सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।

5 उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है:—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे और इसका ऊपरी कनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते की छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93.5 आदि। नाम की रिकार्ड करते करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट:—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापने चाहिए।

6 उम्मीदवार का वजन भी किया जायेगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

7 उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(क) सामान्य (जनरल):—किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मिलिटि) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की भेंगापन या आंखों, पलकें अथवा साथ लगी संरचनाओं (कंटिगुअस स्ट्रैक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की संभावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुयल एक्विटी)—दृष्टि की तीक्ष्णता का निर्धारण करने के लिए दो बार जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना नजर (नैकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक मामले में मडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा।

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख (ठीक की हुई आंख)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई आंख)	खराब आंख
6/6	6/12	जे० I	जे० II
या			
6/9	6/9		

नोट:—(1) फंडस परीक्षा—मायोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में जांच करानी चाहिए और उसके नतीजों को रिकार्ड किया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार को ऐसी रोगात्मक अवस्था हो जिसके बढ़ने और उससे उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर असर पड़ने की सम्भावना हो तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

मायोपिया का कुल परिमाण (सिलेन्डर सहित)—4.00 डी० से नहीं बढ़ेगा। हाइपरमेट्रोपिया (सिलेन्डर सहित) 4.00 डी० से नहीं बढ़ेगा।

शर्त यह है कि उम्मीदवार भारी निकट दृष्टि के कारण अयोग्य पाया जाए तो यह मामला तीन दृष्टि विशेषज्ञों के विशिष्ट बोर्ड को भेज दिया जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं। यदि यह मामला रोगात्मक नहीं हो तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जायेगा। बशर्ते वह अन्यथा दृष्टि संबंधी अपेक्षाएं पूरी करे।

(2) कलर विजन, (i) रंगों के संदर्भ में नजर की जांच आवश्यक होगी।

(ii) नीचे दी हुई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी .	16 फीट
2 द्वारक (एपर्चर) का आकार . .	1.3 मीटर
3. दिखाने का समय . . .	5 सैकण्ड

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहिचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन को जांच करने के लिए बिलकुल विश्वसनीय समझा जायेगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

(3) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुख विधि। (कन्फेटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(4) रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है। रतौंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच के लिए कोई नियम स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

(5) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीसन्स):

(क) आंख को इस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफेक्टिव ऐरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता से कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझाना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा)—यदि रोहे जटिल न हो तो ये आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भेंगापन—द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजिमी है। नियत स्टैन्डर्ड की दृष्टि की तीक्ष्णता होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) एक आंख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की अनुशंसा नहीं की जाती।

8. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर) :

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आयकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 + आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आयकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए। यह तरीका बिलकुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर से सिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (ऑर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय की एक्स-रे और इलैक्ट्रोकार्डियाग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :—

नियमतः पारे वाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर से कंधे तक कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजा के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगें। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रम ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाएं यह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिये क्षोभकार होता है और इससे रीडिंग गलत होता है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं, निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलंट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है)।

9. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिह्न और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मह अमूत्रमेही (नान डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मैडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड आरोग्यता की स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य-पत्र के लिए उसके फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

11. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए।

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग दर्शक जानकारी दी जाती है :—

(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण हरापान, दूसरा कान सामान्य होगा।		यदि उच्च फ्रीक्वसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2) दोनों कानों में बहरेपन का त्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।		यदि 1000 से 4000 तक की स्पीचफिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार काम के लिये योग्य।
(3) सेन्ट्रल अथवा माजिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र।	(i)	एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मैम्बरेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में माजिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिये गये नियम 4 (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है।

		(ii) दोनो कानो मे मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य।
		(iii) दोनो कानो मे सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप मे अयोग्य।
(4)	कान के एक ओर से/दोनो ओर मे मस्टायड कैविटी से सबनार्मल श्रवण।	(i) किसी एक कान के सामान्य रूप से एक ओर से सुनाई देता हो, दूसरे कान मे सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनो प्रकार के कामो के लिए योग्य।
		(ii) दोनो ओर मे मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीबेल हो जाने पर गैर तकनीकी कामो के लिए योग्य।
(5)	बहते रहने वाला कान—आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनो प्रकार के कामो के लिए अस्थायी रूप मे अयोग्य।
(6)	नासपट की हड्डी सबन्धी/ विरूपताओ (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा।	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
		(ii) यदि लक्षणों सहित नासापट अपभरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप मे अयोग्य।
(7)	टासिल्स और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(i) टासिल और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा—योग्य।
		(ii) यदि आवाज मे अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
(8)	कान, नाक, गले (ई० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम ट्यूमर।	(i) हल्का ट्यूमर—अस्थायी रूप से अयोग्य।
		(ii) दुर्दम ट्यूमर अयोग्य।
(9)	आस्टोक्लिरोसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीबेल के अन्दर होने पर योग्य।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(i) यदि काम काज मे बाधक न हो तो योग्य।
		(ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11)	नेजल पोलो	अस्थायी रूप मे अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने मे हकलाता/हकलाती नही हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत मे हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे है या नही। (अच्छी तरह भरे हुए दातो को ठीक समझा जाएगा।)

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नही और छाती काफी फैलती है या नही तथा उसके दिल या फफड़े ठीक है या नही।

21. (ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नही।

(च) उसे रप्चर है या नही।

(छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई वैरिकोसिल, वेरिकाजशिरा (वेन) या बवासीर है या नही।

(ज) उसके अगो हाथों और पैरो की बनावट और विकास अच्छा है या नही और उसकी ग्रंथिया भली भाति स्वतंत्र रूप से हिलती है या नही।

(झ) उसके कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नही।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नही।

(ट) उसमे किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नही जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नही।

(ड) उसके कोई सचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

(12) दिल और फेफड़ो की किसी ऐसी विलक्षता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलो मे नेमी रूप से छाती की एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र मे अवश्य नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी मे उसमे बाधक पड़ने की सभावना है या नही।

किसी उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे मे कोई सन्देह होने पर मेडिकल बोर्ड का अध्यक्ष किसी उम्मीदवार की सरकारी सेवा के लिए उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए किसी अस्पताल के उपयुक्त विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है अर्थात् यदि किसी उम्मीदवार पर किसी मानसिक राग अथवा विपथन से पीड़ित होने की आशका हो तो बोर्ड का अध्यक्ष किसी अस्पताल के मनोविकार-विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है।

नोट—उम्मीदवारो को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओ के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हे अपील करने के लिए कोई हक नही है, किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जाच मे निर्णय की गलती की सभावना के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे मे तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसी प्रमाण उम्मीदवार का प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नही किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की सभावना के बारे में प्रमाण-पत्र के रूप मे उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण-पत्र पेश करे तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत मे विचार नही किया जाएगा जबकि इनसे सबधित मेडिकल प्रैक्टीशनर इस आशय का नोट नही होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओ के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका है।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है —

(1) शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड मे सबधित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामलों में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को कोई बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है। यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारण तया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें ————————————
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें————————————

3. (क) क्या आप अनुसूचित जन जाति या गोरखा-गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड जन जाति आदि में से किसी जाति से सम्बन्धित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है। "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए। उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताइए।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शैय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का टीका आखिरी बार कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई।

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण।

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर "हां" में हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिये आपकी परीक्षा की गई थी?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ?————————

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो————————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर ————
मेरे सामने हस्ताक्षर किये————
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर————

नोट.—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति को खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो बाधेक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ———————————— (उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट——

(1) सामान्य विकास :—अच्छा ————बीच का ————
कम पोषण पतला ————औसत ————
भार ————————
कद (जूते उतारकर) ———————— (वजन) ————
अत्यन्तम वजन ————————कब था ————————
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन ————————

तापमान ——————————————

छाती का घेर ——————————————

(1) पूरा सांस खींचने पर ——————

(2) पूरा सांस निकालने पर ——————

2. त्वचा —कोई जाहिरा बीमारी ——————

3. नेत्र :—

(1) कोई बीमारी

(2) रतौंधी

(3) कलर विजन का दोष

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)

(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी)

(6) फंडस की जाच

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे के बिना चश्मे से	चश्मे की पावर गोल सिलि- एक्सिस
दूर की नजर . .	दा० ने० बा० ने०	
पास की नजर . .	दा० ने० बा० ने०	
हाईपरमेट्रोपिया (व्यक्त) .	दा० ने० बा० ने०	

4. कान : निरीक्षण ——————————सुनना

दयां कान ——————————

बांया कान ——————————

5. ग्रंथियां ——————— थाइराइड ———

6 दांतो की हालत ——————————

7. श्वसन तंत्र (रसिपरेटरी सिस्टम) ——————क्या शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगो मे किसी असमानता का पता लगा है यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलिटरी सिस्टम)

(क) हृदय/कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन) ——————

गति रेट ——————————

खड़े होने पर ——————————

कुदाए जाने के बाद ——————————

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद ——————————

(ख) ब्लड प्रेशर ——————सिस्टालिक ——————

डायस्टालिक ——————————

9. उदर (पेट) घेर —————————— स्पर्श सहायता

(टेंडरनेस) हर्निया ——————————

(क) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर ——————

तिल्ली —————————— गुर्दे ——————

ट्यूमर ——————————

(ख) रक्तार्श ——————————

भगंदर ——————————

10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिका या मासिक अशक्तता का संकेत ——————————

अशक्तता का संकेत ——————————

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) ——————————

कोई असमानता ——————————

12. जनन मूत्र तंत्र जेनिटो यूरिनरी सिस्टम—हाइड्रोसील/वैरिकासोल-आदि का कोई संकेत ——————————

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है।

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्बुमन

(घ) शक्कर ——————————

(ङ) कास्ट ——————————

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य मे कोई ऐसी बात है जिसमे वह भारतीय वन सेवा की ड्यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट :—यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि वह 1 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो, उसे विनियम 10 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षता पूर्व और निरन्तर ड्यूटी निभाने के लिए सभी तरह से योग्य पाया गया है।

नोट :—बोर्ड को अपना परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट), जिसका कारण——————

(iii) अस्थायी आधार पर अयोग्य, जिसका कारण——————

स्थान ——————

तारीख ——————

अध्यक्ष ——————

सदस्य ——————

सदस्य ——————

सं० 20/33/76 के० से० II—कर्मचारी चयन आयोग, (गृह मंत्रालय) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक दो महीने मे एक बार अर्थात् अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होने वाले महीने से एक एक महीने के अन्तर से प्रत्येक महीने के द्वितीय शनिवार तथा रविवार और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद पड़ने वाली छुट्टी रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम जन साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2 केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा मे परीक्षा के परिणामो के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की सख्या का निर्धारण सरकार द्वारा समय समय पर किया जायेगा और कर्मचारी चयन आयोग को इस की सूचना आयोग द्वारा परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने से पहले दे दी जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के रिक्तियो की संख्या लगभग 50 होगी। भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रिक्तियों के सम्बन्ध मे अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के उम्मीदवारो के लिए आरक्षण किए जायेंगे।

अनुसूचित जाति/जन जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान, अनुसूचित जन जाति संघराज्य क्षेत्र में आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश, 1962 संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश, 1967, अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1970 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। प्रवेश के प्रयोजन के लिये उन्हें अपने आवेदन-पत्र परिशिष्ट-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर भेजने होंगे। इन आवेदन पत्रों को सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा समुचित संवीक्षा के बाद परीक्षा लिये जाने वाले महीने के पूर्ववर्ती महीने की अधिक से अधिक 10 तारीख तक कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेषित कर दिया जायेगा।

4. नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई भी स्थायी या अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक इस परीक्षा में बैठने तथा उन रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा।

(1) सेवा की अवधि :—उसने केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में एक जनवरी, 1978 को कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1 :—यदि किसी उम्मीदवार को गिनने योग्य कुल सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में हों तो दो वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा की सीमा लागू होगी।

टिप्पणी 2 :—केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निःसंवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर है, यदि अन्यथा पात्र हो तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी निःसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

टिप्पणी 3 :—अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, नियम, 1962 के आरम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी संवर्ग में आबंटन हो या उसके पश्चात् उस सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च ग्रेड में दीर्घकालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हो।

(2) आयु—उसको 1 जनवरी, 1978 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1928 से पहले नहीं होना चाहिए।

5. ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रवर्जन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष;

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(6) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया मलावी तथा इथोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(7) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(8) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(9) किसी दूसरे से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(10) किसी दूसरे देश में संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(11) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष तक; और

(12) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान हमलों में विकलांग हुए तथा उनके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हों।

(13) यदि उम्मीदवार वियतनाम से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और जुलाई, 1975 से पहले का भारत में प्रवासित हुआ न हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

6. परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा, परन्तु उससे अगली या उसके बाद की ही परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जिसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

8. सामान्य उम्मीदवारों को रुपए 8.00 (केवल रु० 8.00) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को रु० 2.00 (केवल रु० 2.00) की निर्धारित फीस पोस्टल आर्डरों या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा देनी होगी।

9. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी साधन द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किये जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्हक किया जा सकेगा।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है कि उसने—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया है, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य किए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा भवन में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(9) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उसे परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए, तथा

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा एक सूची में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार रखा जायेगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों का, जितनों को आयोग द्वारा उत्तीर्ण समझा जाएगा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड घ, के पदों में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य स्तर के अनुसार उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर देने पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा के लिए परिणामों के आधार पर सेवा के ग्रेड 'घ' में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के लिए सरकार पूर्णता सक्षम है। अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर, ग्रेड घ आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

12. अलग अलग उम्मीदवारों के परीक्षा-परिणामों की सूचना के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जाएगा और आयोग उसके साथ परीक्षा फल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

13. परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच पड़ताल न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में अपनी चरित्र की दृष्टि से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात अथवा उसमें बैठने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देता है अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है। अथवा उसके साथ विच्छेद कर लेता है, उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी, समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार, 'स्थानातरण' पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उसका पूर्व ग्रहणाधिकार नहीं होता है इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता है जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी नि.सवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

के० बी० नायर,
अवर सचिव

परिशिष्ट-I

उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख की परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें 65 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा। और जो उम्मीदवार हिन्दी परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमशः 75 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा। आशुलिपिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 होंगे।

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और जो उम्मीदवार आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिंदी आशुलिपि सीखनी होगी।

2. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर लिप्यान्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने साथ अपने अपने टाइपराइटर लाने होंगे।

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग

ग्रेड 'घ' आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा

अन्तिम तारीख—परीक्षा के महीने से पहले के महीने की 10 तारीख।

> यहां उम्मीदवार के पासपोर्ट साइज के फोटो की हस्ताक्षरित प्रति चिपकाई जाए दूसरी हस्ताक्षरित फोटो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(1) पोस्टल आर्डर्स/बैंक ड्राफ्ट का विवरण और मूल्य

(2) उम्मीदवार का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी
(साफ अक्षरों में)

(3) सही जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)

(4) जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हों उसका नाम तथा पता

(5) क्या आप
(i) अनुसूचित जाति,
(ii) अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं?
उत्तर 'हां' अथवा 'नहीं' में दें

(6) (i) पिता का नाम
(ii) पति का नाम
(महिला उम्मीदवार के मामले में)

(7) जिस भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में आप आशुलिपि परीक्षा देना चाहते हों, उसका नाम लिखें।

(8) क्या आप पिछली परीक्षा में बैठे थे, यदि हां, तो अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा का महीना लिखें।

(9) क्या आप केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड/उच्च श्रेणी ग्रेड के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी हैं? और क्या आपने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें परीक्षा होनी है संगत ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा करली है।

(10) यदि आप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त पर हैं अथवा संवर्ग बाह्य पद पर स्थानान्तरण के आधार पर हैं तो क्या आप पूर्व-पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखेंगे।

. . . .
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने के लिए जिसमें उम्मीदवार सेवा कर रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि :—

(1) आवेदन पत्र के कालमों में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियों की उसके सेवा रिकार्डों से जांच कर ली गई और वे सही हैं।

(2) उसके आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है तथा वह परीक्षा में बैठने के लिए सभी तरह से पात्र है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

विभाग/कार्यालय

संख्या——————————

तारीख——————————

4—11GI/78

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है, वह केवल अगले तीनों महीनों के बाद ही परीक्षा में बैठ सकता है अर्थात्—जो उम्मीदवार अप्रैल में ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो जाए तो वह अगस्त अथवा उसके बाद होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है।

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1978

संकल्प

सं० क्यू०/हिन्दी/621/9/78—इस मंत्रालय के 18 मार्च 1977 के संकल्प सं० क्यू०/हिन्दी/621/26/76 का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने इस मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है।

इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विदेश मंत्री	अध्यक्ष
2. श्री समरेन्द्र कुंडू, विदेश राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री गंगाशरण सिंह	सदस्य
4. डा० मलिक मोहम्मद	सदस्य
5. श्री रमा प्रसन्न नायक, सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
6. श्री जगत सिंह मेहता, विदेश सचिव	सदस्य सचिव

यह उप समिति सरकार की सामान्य नीति के अन्तर्गत कार्य करेगी और हिन्दी के प्रयोग और प्रगति से सम्बद्ध मामलों पर मंत्रालय को सलाह देगी। इस समिति की कार्य-अवधि इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियन्त्रक व महालेखाकार परीक्षक, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

अनवर खलीली, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 1978

संकल्प

सं० जेड०-28015/93/77-एम०—किन-किन क्षेत्रों में कमी है, इसका पता लगाने के उद्देश्य से सफदरजंग/विलिंगडन अस्पतालों, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, के कार्य संचालन की एक विस्तृत समीक्षा करने की आवश्यकता को समझते हुए इस प्रयोजन के लिये एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया है।

2. इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री एम० एम० एस० सिद्धू, संसद सदस्य . .	अध्यक्ष
2. श्री एन० एन० वोहरा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय . . .	सदस्य

3. डा० पी० के० मिश्र, 10, मार्डन स्कूल, ओल्ड टीचर्स फ्लैट्स, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली . . सदस्य

4. श्री रमेश मेहता, वरिष्ठ प्रबन्ध परामर्शदाता, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, श्राफ इण्डिया, हैदराबाद . सदस्य

5. डा० जे० के० जैन
अध्यक्ष, दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन,
दरिया गंज, दिल्ली . . . सदस्य

6. डा० टी० श्रार० श्रानन्द, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली . . सदस्य सचिव

3. यह समिति उपयुक्त अस्पतालों/संस्थाओं में इस समय उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करेगी और इन सुविधाओं में सुधार के लिए अपेक्षित अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाएगी ताकि रोगियों को यथासंभव संतोषजनक इलाज आदि की सुविधाएं सुलभ करने के लिए अस्पताली सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

4. समिति के विचारार्थ विषय अनुबन्ध में दिये गए हैं।

5. यह समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर पेश कर देगी।

6. समिति के सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सम्बन्धी खर्च और किसी अन्य कारण से होने वाला खर्च, जिसमें इस समिति से सम्बद्ध स्टाफ का वेतन और भत्ते शामिल हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/सफदरजंग अस्पताल/विलिंगडन अस्पताल/लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/समीक्षा समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

के० पी० सिंह, अपर सचिव

अनुबन्ध

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

1. अस्पतालों के वर्तमान कार्यसंचालन की समीक्षा करना और जन साधारण के असंतोष और आलोचना के लिए मुख्य रूप से क्या कारण हैं उनका पता लगाना।

2. अस्पतालों में की जाने वाली आम सेवाओं में विशेष कर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए सुधार करने के लिये सुझाव देना;

(1) कैज्युअल्टी सेवाएं जिनमें गहन उपचार यूनिटें भी शामिल हैं।
(2) बाह्य रोगी विभाग सेवाएं, खासकर प्रतीक्षा समय में कमी करना।
(3) एम्बुलेंस सेवा।
(4) जन सम्पर्क और स्वैच्छिक संगठनों का योगदान।
(5) सफाई सेवाओं में सुधार।
(6) लाण्ड्री सेवाएं।
(7) रसोईघर तथा भोजन वितरण।
(8) केन्द्रीय विसंक्रमण यूनिटों का कार्यसंचालन।
(9) प्रयोगशाला सेवाएं।
(10) अन्तः शिरा तरलों (इन्ट्रावीनस फ्ल्यूड्स) का निर्माण।

. वर्तमान अस्पतालों में, विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों को आरम्भ करने के उपाय सुझाना :—

(क) अस्पताल प्रशासन के उच्च और मध्यवर्ती अधिकारियों का प्रशिक्षण।
(ख) भण्डार एवं सूची व्यवस्था।
(ग) चिकित्सा रिकार्ड अनुभाग।
(घ) रसोई घर।
(ङ) लाण्ड्री।

4. चिकित्सा उपचर्या, परा-चिकित्सा और अन्य वर्गों के कर्मचारियों के कार्य सम्बन्धी परिस्थितियों की समीक्षा करना।

5. सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों समेत वर्तमान हरेक अस्पताल की अस्पताल प्रणाली में समाकलित करने के उपाय सुझाना ताकि किसी खास अस्पताल में जिस विशेषज्ञता की सुविधा दी जा रही है उनकी अतिव्याप्तता की बजाय उसमें कतिपय विशेषज्ञताओं का विकास किया जा सके।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1978

संकल्प

सं० एफ० 12-18-77-यू०-I—भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के नियम 3, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा साथ में नियम 13 को पढ़ते हुए भारत सरकार ने श्री ए० आर० कुलकर्णी, अध्यक्ष इतिहास विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पुणे, को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष उस दिन से 3 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करने का निश्चय किया है जिस दिन से वे परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्य भार ग्रहण करते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किया जाए।

सोम नाथ पंडित, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1978

संकल्प

सं० 55027/1/77-सी० पी० सी०—भारत सरकार ने नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, को खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण के संयुक्त बोर्ड में सम्मिलित करके बोर्ड की सदस्य संख्या बढ़ाने का निश्चय किया है। तदनुसार, 21 फरवरी, 1978 के संकल्प के अनुसार खनन इंजीनियरी शिक्षा और प्रशिक्षण के संयुक्त बोर्ड की सदस्यता में क्रमांक 14 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

15 नियन्त्रक, भारतीय खान ब्यूरो।

एस० के० बोस, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 मार्च 1978

संकल्प

सं० डी०जी०ई० टी०-5(9)/77-ई०ई०-I—रोजगार कार्यालयों की कार्यविधि के बारे में समय समय पर आलोचना की जाती रही है। सरकार

समस्या के विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल करवाने की इच्छुक है और इसलिये रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की जांच और उपयुक्त उपचारी उपाय सुझाने के लिये एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार का होगा :—

अध्यक्ष :

श्री पी० सी० मैथ्यू, आई० सी० एस० (रिटायर्ड) भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय।

सदस्य

(1) श्री एम० अब्दुल कादिर,
भूतपूर्व महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण तथा संयुक्त सचिव (श्रम मंत्रालय)

(2) प्रोफेसर (मिस) मालथी बोलार,
निदेशक, एप्लाईड मेनपावर रिसर्च संस्थान

(3) श्री आई० सी० कुमार,
सचिव, बिहार सरकार,
श्रम विभाग।

(4) श्री एल० मिश्रा,
श्रम आयुक्त, उड़ीसा सरकार।

(5) श्री के० जी० वर्मा,
श्रम आयुक्त और निदेशक,
रोजगार हरियाणा सरकार।

(6) श्री आर० शंकरप्पा,
निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, कर्नाटक सरकार।

(7) श्री एच० आर० मलकानी,
निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, गुजरात सरकार।

(8) श्री विजय मर्चेन्ट,
अध्यक्ष, विकलांग सम अवसर,
राष्ट्रीय समिति, बम्बई।

सदस्य सचिव :

(9) श्री के० एस० बरोई,
उप सचिव, भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय (डी०जी०ई० एण्ड टी०)

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) रोजगार सेवा के विभिन्न पहलुओं को, बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु अध्ययन और उन पर अपनी सिफारिशें देना;

(ii) रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के स्वरूप और क्षेत्र की जांच-पड़ताल और उसकी समाप्ति हेतु उपयुक्त उपाय और साधन सुझाना ताकि रोजगार कार्यालयों की प्रतिकृति और कार्य-कुशलता में सुधार हो सके;

(iii) सरकार (केन्द्र तथा राज्य) और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों दोनों में, रोजगार कार्यालयों में पंजीयकों की नियुक्ति को बढ़ावा देना तथा नियोजकों द्वारा रोजगार सेवा का अधिकतम तथा प्रभावी उपयोग करने सम्बन्धी उपयुक्त उपायों को ढूंढना और सिफारिश करना;

(iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्प संख्यक, विकलांग इत्यादि ऐसे अलाभकारी और विकलांग वर्गों की नियुक्ति सेवाओं के मामलों में लिए जाने वाले विशेष कदम, अगर कोई हों, की जांच पड़ताल तथा सिफारिश करना;

(v) योजना संबंधी नीति के पुनर्निर्धारण के अन्तर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार समस्या को प्राथमिकता देने की परिवर्तित नीति से उत्पन्न होने वाले ग्रामीण रोजगार समस्या से निपटने के लिये उसमें रोजगार सेवा को अन्तर्ग्रस्त करने की संभावना की जांच करना;

(vi) रोजगार कार्यालयों में जनता के लिये जो सुविधाएं, सहूलियतें तथा कल्याण उपाय करने अपेक्षित हैं उनके लिये न्यूनतम मूल मापदण्ड निर्धारित करना तथा उनको कार्यान्वित करने के उपाय और साधनों का सुझाव देना; और

(vii) किसी भी अन्य सम्बद्ध मामले पर विचार करना और उस सम्बन्ध में सिफारिशें करना।

4. इस समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. समिति से अनुरोध है कि वह अपनी रिपोर्ट तीन महीनों की अवधि के अन्दर-अन्दर दे।

6. समिति अपनी कार्यपद्धति स्वयं निर्धारित करेगी। यह कोई भी ऐसी सूचना मांग सकती है तथा ऐसा साक्ष्य ले सकती है जिसे यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ऐसी सूचना, सामग्री तथा दस्तावेज पेश करेंगे तथा ऐसी सहायता देंगे जिसे यह समिति आवश्यक समझे।

7. भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन, सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रम, नियोजकों और श्रमिकों के संगठन तथा अन्य सभी संबंधित संगठन, ऐसोसिएशनें, और संस्थाएं, समिति को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और अन्य सम्बन्धित संस्थाओं को भेजी जाए।

यह भी आदेश है कि संकल्प भारत के राजपत्र में जन साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाए।

गुलाम हुसैन
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक
एवं संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1978

No. 13-A-Pres/78.—The President is pleased to approve of the award of "KIRTI CHAKRA" to the undermentioned persons for acts of conspicuous gallantry :—

1. SHRI KANWAR LAL SAREEN,
PIPELINE ENGINEER (REFINERIES AND PIPE-LINE DIVISION),
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED.

(*Effective date of the award* : 13*th May*, 1974)

On the 10th May, 1974, Tank No. 3 containing about 2000 Kilo Litres of a mixture of Superior Kerosene and Naphtha at Mourigram Installation was struck by lightning and caught fire. The fire could not be brought under control for 3 days inspite of the efforts made by fire fighting personnel at Mourigram, the West Bengal State Fire Brigade, the Army Fire Fighting Units and the Durgapur Fertilizer Unit. The available water supply was insufficient and due to defect in the telephone lines, immediate contact with the Fire Brigade was not possible. The foam spreading instrument, which could extinguish the oil fire, could not be used effectively as the foam could not be reached over the 35 feet high tank from the ground level. There was a possibility of tank collapsing or bursting causing further damage to the other 10 tanks containing various petroleum products and loss of human lives.

On the 13th May, 1974, Shri K. L. Sareen, Pipeline Engineer, went up the blazing tank under cover of water jets and successfully hooked a foam nozzle to the tank from where it was possible to inject foam on to the floating roof. This helped in putting out the fire without causing any further damage to the installation or death or injury to any person and saved a petroleum products worth several lakhs of rupees.

In this action, Shri Kanwar Lal Sareen displayed conspicuous courage, determination and devotion to duty of a very high order.

2. MASTER KURPATI, SON OF SHRI DOOMAR SUNDI,
BHALUGUNDA PARA,
VILLAGE UINAR,
P. S. NAGARNAR,
DISTRICT BASTER,
MADHYA PRADESH.

(*Effective date of the award—29th May,* 1976)

On the night of 29th May, 1976, seven dacoits armed with country made pistols and other deadly weapons, entered the house of Shri Manorath Sundi. Four of them beat up the inmates of the house while one dacoit fired shots from his pistol to terrorize the villagers. The dacoits had sealed all exists. Some of the inmates who tried to escape were assaulted by the dacoits. But Master Kurpati, aged 14 years, managed to get out of the house and armed himself with a lathi. While the dacoits were running away with the body, Master Kurpati followed them alone stealthily and hit one of the dacoits with his lathi from behind. On receiving the sudden below, the dacoit dropped the box of stolen property on the ground and fired with his pistol at the boy, but luckily the cartridge misfired. He tried to flee but Master Kurpati chased the dacoit and with the help of some villagers, who had joined him by then, disarmed him and caputured the dacoit alive. The arrest of this dacoit led to the unearthing of a gang of desperate criminals of Banda District in Uttar Pradesh who had committed another dacoity a few days earlier in a nearby village.

In this action, Master Kurpati displayed conspicuous courage, presence of mind and determination of a high order.

3. SQUADRON LEADER DEEPAK YADAV (8991), FLYING (PILOT).

(*POSTHUMOUS*)

(*Effective date of the award : 28th September,* 1976

Squadron Leader Deepak Yadav was commissioned in the Indian Air Force in 1964. He served as a Squadron pilot in an operational fighter squadron for six years. During the Indo-Pak Conflict, 1971, he flew 20 operational missions deep into enemy territory with unflagging zeal and complete disregard for personal safety. For this he was mentioned in Despatches. An excellent fighter Squadron Pilot during his entire service period, he later volunteered for flight testing and made a significant contribution to test flying and the development of indigenous aircraft and systems.

On the 28th September, 1976, he was flight testing an aircraft to examine a specific problem area which he himself had identified on two previous flights. During the course of this flight-test, the aircraft experienced a structural failure resulting in complete loss of control. Squadron Leader Deepak Yadav was killed in the ensuing crash. Squadron Leader Deepak Yadav sacrificed his life in the cause of test flying.

Squadron Leader Deepak Yadav thus displayed conspicuous courage, determination and devotion to duty of a high order.

4. 2857207 LANCE NAIK HOSHIAR SINGH RAJPUTANA RIFLES.

(*POSTHUMOUS*)

(*Effective date of the award—3rd November,* 1976)

On the 2nd November, 1976, it was learnt that an armed gang of seventy hostiles was on its way to the border through South Mizoram. Lance Naik Hoshiar Singh formed part of a patrol which was ordered to intercept this gang. On the 3rd November, 1976, the hostile gang was sighted and a quick raid was mounted by the patrol. Lance Naik Hoshiar Singh was ordered to destroy a strong position from where the hostiles were bringing down effective fire. In the face of intense fire, Lance Naik Hoshiar Singh moved forward and silenced the gun. Seeing them fleeing from their positions, he chased them and inflicted casualties on the hostiles. Undeterred by injuries received by him from a burst fired by a wounded member of the gang from point blank range, he kept firing and moving forward. Inspired by his personal courage, the rest of the patrol pursued the running hostiles. In the meantime, he was hit by a burst for the second time and succumbed to his injuries. The single handed actions of Lance Naik Hoshiar Singh resulted in the killing of a number of hostiles and the capture of a large quantity of weapons and ammunition.

In this action, Lance Naik Hoshiar Singh displayed exemplary courage, initiative, determination and devotion to duty of a very high order.

5. 14208539 SIGNALMAN RAMA RAO DATTATARYA DESHMUKH, SIGNALS.

(*POSTHUMOUS*)

(*Effective date of the award—11th November,* 1976)

Signalman Rama Rao Dattatarya Deshmukh was an indoor patient at a General Hospital in the Northern Sector. On the 11th November, 1976, a block of the hospital caught fire and within a short period, spread almost to the entire hospital. As a result, the ward in which Signalman Deshmukh was admitted, was soon engulfed in smoke and flames.

Signalman Deshmukh, although a patient, was not bed ridden and could walk. He immediately got up from his bed and, in utter disregard of his personal safety, started helping in the evacuation of bed-ridden patients to a place of safety outside the ward. By the time he had evacuated two patients the flames became so intense that it was almost impossible to go near the ward. This did not deter him, and he once again dashed inside the ward with an over-powering urge to save more lives. Unfortunately, he never came back from the burning ward. His charred body was later recovered after the fire had been put out.

Signalman Rama Rao Dattatarya Deshmukh thus displayed exemplary courage, determination and sense of public service of a very high order.

6. 13922218 SEPOY DHAN SINGH,

(*POSTHUMOUS*)

ARMY MEDICAL CORPS.

(*Effective date of the award—11th November,* 1976)

Sepoy Dhan Singh was on duty in the cook house of a General Hospital in Northern Sector on 11th November, 1976, when a fire broke out at the hospital. On receiving news of fire, he rushed to the Medical Inspection Room where the fire had started and tried his best to extinguish it. He soon realised that the fire was getting out of control and was spreading fast. He was then directed by the Senior JCO to go to the Acute Surgical Ward and help bed cases to be taken to safety. He went inside the burning ward twice and carried out two bed patients and brought them to a safe place outside the ward. He went inside for the third time but could not come out. His charred body was recovered later from the debris after the fire had been put out.

In this action, Sepoy Dhan Singh displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a very high order.

7. 1515952 NAIK AJIT SINGH, ENGINEERS.

(*POSTHUMOUS*)

(*Effective date of the award—2nd June,* 1977)

Naik Ajit Singh of an Engineer Regiment was employed on the construction of a vital tactical road in the Northern Sector. The task was particularly hazardous as the alignment of the road followed a steep, rocky and precipitous feature, directly above the Indus River, and subject to heavy rock avalanches. The construction of the road in this terrain, involved cutting through vertical rock faces by the use of explosive charges. Several of these rock faces, being inaccessibly perched, were unapproachable by normal means and the placing and firing of charges at such places required great skill and courage. A situation subsequently arose when it was contemplated to abandon further work due to the extreme risk involved but a change of alignment at that stage could have resulted in considerable delay in completion of the important task. Volunteers were called up for the demolition of particularly difficult rock faces. Naik Ajit Singh volunteered to undertake this assignment. From 4th May, 1977 to 2nd June, 1977 Naik Ajit Singh untiringly carried out the firing of approximately 100 explosive charges at great personal risk. On the 2nd June, 1977, while Naik Ajit Singh was in the process of lighting the safety fuze for one such charge, there was a pre-detonation which blew him to pieces.

Naik Ajit Singh thus displayed courage, determination and devotion to duty of a very high order.

8. MAJOR PREM CHAND (IC 21802) VSM, DOGRA REGIMENT.

(*Effective date of the award—16th June, 1977*)

Major Prem Chand climbed Chomolhari, the highest peak climbed in Bhutan, in 1970. He climbed Nanda Devi in 1975 and its difficult neighbour Nanda Devi East in 1976. He made the maximum contribution to the Army Kanchenjunga Expedition of March, 1977. He was responsible for opening the advance base camp, finding a way through ice fall and opening a route to the first camp and finding a way to an establishing the second camp. In an accident during this expedition, Havildar Sukhvinder Singh lost his life. This adversely affected the morale of the team and members dreaded the North East ridge which looked impossible to scale. Even though it was not Major Prem Chand's turn to go to the mountain, he volunteered to do so and started work on the ridge. The task required tremendous courage. Taking personal risks many times, he opened the route to a point just below the third camp When the team got stuck due to innumerable technical difficulties in between the third and fourth camps, he went back to the ridge and opened the route on the most difficult portion of the ridge which enabled the team to progress ahead.

He was selected as leader of the first summit party and made a ferry to the North ridge. It would not have been possible to build up the logistical support for the first summit party but for his timely decision. During the summit climb, he showed courage technique and determination in leading the team to the summit. He climbed 1900 feet on the last bit, a feat which will be remembered in the annals of Himalayan Mountaineering.

Major Prem Chand thus displayed exemplary courage, leadership, determination and devotion to duty of a very high order.

9. 5840308 NAIK NIMA DOREJE SHERPA, 3 GORKHA RIFLES.

(*Effective date of the award—16th June,* 1977

Naik Nima Doreje Sherpa was a member of the Kamet Expedition, the Randerpunch Expedition, the Renti Expedition, the Trisul Expedition and made the first ascent of Sickle Moon, the highest peak in the Kistwar Himalayas, in 1975. During the Army Kanchenjunga Expedition in March 1977, he was a member of the team which opened the ice fall of Semu Glacier. While doing so, he fell into a crevasse where he remained hanging for a long time before he was rescued. He showed great courage and calmness during this accident. Despite this, he continued to work on the ice fall and helped in opening the route to a Camp. After the death of Havildar Sukhvinder Singh, he came up and did a tremendous job during the evacuation which was a very difficult and hazardous operation. Later he helped Major Prem Chand in opening the route on the most difficult portion of the ridge between the two camps. For this great performance, he was selected as a member of the first summit party along with Major Prem Chand. After Camp 6, an unexpected obstacle, a sharp knife ridge had to be negotiated. Notwithstanding his own chances of ascent to the top, he worked with great dedication and cleared the obstacle in two days time which others thought would take at least ten days. During the summit climb he covered approximately 2000 feet which is a remarkable feat at that altitude by any standards.

Naik Nima Doreje Sherpa thus displayed great courage, determination and devotion to duty of a very high order.

No. 14-Pres/78.—The President is pleased to approve of the award of the "SHAURYA CHAKRA" to the under-mentioned persons for acts of gallantry to :—

1. 1368 (VILLAGE GUARD) JAMADAR IMTISUKM PHOM

(*Effective date of the Award : 13th October,* 1974)

Jamadar Imtisukm Phom was a village Guard Commandar of a Post in Nagaland. On 11th October, 1974, he received information that 70 to 80 hostiles, bound for the border had crossed the Dikhu River on the previous night. He immediately mustered up all available village guards, numbering about twenty and went in search of the gang into the jungle area around. The search went on continuously till the 13th October, when the gang was located some distance away. Sensing that they were being pursued, the gang started fleeing on which Jamadar Phom opened fire at them. The gang returned the fire with great intensity. Undeterred by his limited fire power and strength, he continued the chase, wounded a self styled Sergeant, and forced a much superior and better equipped gang to disengage. Hearing the exchange of fire, a battalion of an Infantry Regiment, which was at a distance, rushed to the scene and took up the chase.

In this action, Jamadar Imtisukm Phom displayed initiative courage and determination of a high order.

2. SHRI HARI KARAN, SON OF SHRI JAGMAL GUJAR,
VILLAGE : PAPARANI
POLICE STATION : KARAHAL,
DISTRICT : MORENA

(*Effective date of award : 15th March,* 1975).

On the 15th March, 1975 Shri Ramdeo Singh and Shri Hari Karan went to the jungle near Paparani Village in Morena District for grazing cattle. A notorious gang of dacoits and a person kidnapped by them were present in the jungle at that time. On noticing Shri Ramdeo Singh, the dacoits called him with the ulterior motive of killing or kidnapping him, but he refused. This annoyed the dacoits and one of them gave a heavy lathi blow on Shri Ramdeo Singh's head but he, with utter disregard for his own safety, caught hold of this dacoit and tried to bring him down on the ground. In the meantime, another dacoit thrust a long knife into the abdomen of Shri Ramdeo Singh, which resulted in his death. Shri Hari Karan who had rushed to the spot to save the life of Shri Ramdeo Singh, started hitting the dacoits with his axe and killed a notorious dacoit on the spot. Meanwhile, three other villagers joined him and attacked the dacoits with lathis and axes, as a result of which the dacoits fled away leaving behind the kidnapped person.

In this action, Shri Hari Karan displayed exemplary courage and determination of a very high order.

3. SQUADRON LEADER KAILASH SINGH PARIHAR (9071)
FLYING (PILOT).

(Effective date of the award : 7th August, 1976)

Squadron Leader Kailash Singh Parihar was commissioned in the Indian Air Force in 1964 and since then has flown 2197 accident-free hours on various aircraft. In August, 1976, there were unprecedented floods in Luni river in Jodhpur District and a number of villages were isolated. The fury of the river did not permit plying of rescue boats. The Air Force was, therefore, called to effect the rescue of the marooned villagers. Squadron Leader Parihar volunteered to rescue the marooned villagers. On arrival at the village, it was discovered that many houses in and around Lamba village had been washed away and that sixty villagers had taken shelter on top of the village temple. The front portion of the temple had been washed away and it was feared that the rest of the building might collapse of any time endangering the lives of all the persons.

As it was not possible to land the helicopter on the temple top, Squadron Leader Parihar decided to effect the evacuation by directing the hovering helicopter from the temple top and simultaneously assisting those people to board. Knowing full well that a slight slip might be fatal, he jumped on to the temple top from the helicopter which was at a considerable height. Taking his position, he marshalled the helicopters to correct positions, near the roof of the temple one after the other. The helicopters made about 18 shuttle flights and evacuated all the 60 people.

In this operation, Squadron Leader Kailash Singh Parihar displayed exemplary courage, professional skill, determination and devotion to duty of a high order.

4. FLIGHT LIEUTENANT RAMESH CHANDRA GHILDIYAL (9031)
FLYING (PILOT).

(*POSTHUMOUS*)

(*Effective date of the award : 28th September,* 1976)

Flight Lieutenant Ramesh Chandra Ghildiyal was commissioned in the Indian Air Force in 1964 and served as a Squadron Pilot. As a Flight Commander in an operational

helicopter unit he flew over 1650 hours while carrying out casualty evacuations, relief operations, logistic support missions and flights of dignitaries over hazardous terrain with great efficiency. He volunteered for the Flight Inspectors' Course in 1971-72 and on the basis of his performance and aptitude he was selected for the Experimental Test Pilots Course in France in 1974 which he completed with high merit. He was posted to Aircraft and Systems Testing Establishment in 1975. He took great interest in the development and testing of fixed wing aircraft and regularly assisted in their flight testing. On 28th September, 1976, while assisting Squadron Leader Deepak Yadav in the conduct of a flight trial, the aircraft suffered a structural failure leading to complete loss of control. Flight Lieutenant Ramesh Chandra Ghildiyal was killed in the ensuing crash thereby sacrificing his life in the cause of test flying.

Flight Lieutenant Ramesh Chandra Ghildiyal thus displayed courage, determination and devotion to duty of a high order.

5. G-60124 EEM RAMNATH SHARMA
GREF

(*POSTHUMOUS*)

(*Effective date of the award* : *18th October,* 1976).

Ramnath Sharma was incharge of a Detachment Field Workshop at Misol in Manipur. On the 17th October, 1976, a very violent storm accompanied by torrential rain blew over the area. Due to the strong gale, the roof of a store shed where costly equipment and spares were stored, was blown off. Amidst heavy down-pour and in pitch darkness, Shri Ramnath Sharma with the help of his men started shifting the costly stores and succeeded in transferring the bulk of it to a safer place. While the shifting operation was still in progress, a huge tree suddenly fell on the shed crushing Shri Ramnath Sharma under it. He was extricated by his colleagues with great difficulties but was badly wounded and, as no medical aid was readily available, he succumbed to his injuries the next morning.

Shri Ramnath Sharma thus displayed exemplary courage and devotion to duty of a very high order.

6. JC 60328 SUBEDAR NAND RAM
RAJPUTANA RIFLES

(*Effective date of the award* : *3rd November,* 1976).

On the 2nd November, 1976 Subedar Nand Ram was detailed as Second in Command of a partol to intercept a gang of seventy hostiles trying to escape to the border. On the 3rd November, 1976, the patrol sighted the hostiles' camp and a quick raid was mounted on it. Subedar Nand Ram, leading an assault group in the face of intense fire, silenced the hostile Light Machine Gun. Though injured by a bullet and bleeding profusely, he continued to press forward till he was hit a second time by a burst. Undeterred by his injuries, Subedar Nand Ram crawled forward to a position and inflicted casualties on the hostiles by lobbing grenades His bold action led to the capture of a large number of weapons and ammunition.

In this encounter Subedar Nand Ram displayed exemplary courage, leadership, determination and devotion to duty of a high order.

7. SHRI MOHINDER SINGH
CIVILIAN DRIVER.

(*Effective date of the award* : *11th November,* 1976).

On the 11th November, 1976, at 1700 hours, Truck Driver Shri Mohinder Singh arrived at Leh from Srinagar carrying commercial goods for the Leh market. In the evening when he was in Leh city, he saw fire in the direction of the General Hospital. Shri Mohinder Singh rushed with his vehicle which was still loaded, to the scene with a view to providing assistance. The fire was advancing towards the Hospital gas plant. Anticipating the danger from the explosion of the gas plant, Shri Mohinder Singh dismantled the corridor connecting the Gas plant with the Hospital block, by ramming his vehicle against it. Although, in the process, his vehicle was damaged, he succeeded in isolating the fire from the gas plant and thus saved the lives of people as well as Government property.

In this action, Shri Mohinder Singh displayed initiative, courage, determination and high sense of public service.

8. SQUADRON LEADER SHIVACHARAN SINGH TOMAR (8059) LOGISTICS

(*Effective date of the award* : *25th November,* 1976).

Due to unusually heavy rains on 24th and 25th November, 1976, low lying areas of Madras city were inundated and a large number of citizens were marooned. On the 25th November, 1976, Squadron Leader Shivacharan Singh Tomar of Air Force Station, Avadi, was called upon to assist the civil authorities in the evacuation of marooned people. In the absence of any other satisfactory arrangement, he used some dingies as make-shift boats. The extremely limited capacity of these dingies, the difficult conditions due to floods and incessant rains and the handicaps caused by darkness in the evening, did not deter Squadron Leader Tomar from undertaking the rescue operations. He ceaselessly continued the operations throughout day and night on the 25th and 26th November, 1976, and was able to rescue three hundred and sixty seven persons.

In this operations, Squadron Leader Shivacharan Singh Tomar displayed great initiative, skill, courage and devotion to duty of a high order.

9. 9410300 LANCE NAIK SORMAN RAI
11 GORKHA RIFLES

(*Effective date of the award* : *6th December,* 1976).

On the 6th December, 1976, Lance Naik Sorman Rai of a Gorkha Rifles Battalion, deployed in Mizoram, formed part of a patrol which was entrusted with the task of locating and raiding a hostile hidcout in thick jungles, covering a large area. From the very outset, Lance Naik Rai maintained a lead and inspired others during seven hours of arduous and tire some night march through a rough and rugged terrain to reach the hideout. During the encounter with the histiles, in disregard of his personal safety and undeterred by his wounded legs which had been grazed by bullets, he dashed forward and killed two hostiles and overpowered yet another.

In this action, Lance Naik Sorman Rai displayed exemplary courage, initiative, determination and devotion to duty of a high order.

10. JC-82020 NAIB SUBEDAR RAM KUMAR YADAV
(*POSTHUMOUS*)
KUMAON REGIMENT.

(*Effective date of the award* : *8th December,* 1976).

Naib Subedar Ram Kumar Yadav of the Kumaon Regiment, while serving in the Eastern Sector, was detailed for duty at a post. On the 7th December, 1976, information was received that some hostiles were hiding in a nearby village. Naib Subedar Yadav was assigned the task to lead a special patrol for intercepting these hostiles. On the 8th December, 1976, he received information that the hostiles were located in a village about 11 kilometres away from the post. He set off and moved without rest for two days. While searching for the hostiles, he came under fire. Undaunted, he made a charge on the hostiles but was hit by a bullet and killed on the spot. Inspired by the sacrifice made by Naib Subedar Yadav, the patrol continued the attack and captured arms and ammunition besides killing two hostiles.

In this action, Naib Subedar Ram Kumar Yadav displayed exemplary courage, leadership, determination and devotion to duty of a high order.

11. 266278 CORPORAL RISHI KESH TIWARI
TELST/RT/OPERATOR

(*Effective date of the award* : *10th December,* 1976).

Corporal Rishi Kesh Tiwari was enrolled in the Air Force in 1963. On the 10th December, 1976, at about 1900 hours, while going from his billet to his mess, he heard the sound of a gun-shot. He immediately proceeded towards the place from where the shot had been fired and saw a Defence Security Corps sepoy will a rifle ordering four persons to stand in a line and subsequently firing one round which injured one of the four persons. He shouted at the sepoy and unmindful of his own safety, ran towards him to prevent him from firing any more. Before he could reach him, the sepoy fired another round and injured another person. Corporal Tiwari caught the sepoy and pulled him down. He was immediately joined by the other two persons and the rifle was snatched away from him.

In this action, Corporal Rishi Kesh Tiwari displayed exemplary courage, initiative, presence of mind and sense of public duty of a very high order.

12. 297734 CORPORAL RAM PRASAD AIRCRAFT HAND GENERAL DUTIES

(Effective date of the award : 28th February, 1977)

Corporal Ram Prasad is in the Air Force since 18th May, 1975. On the night of 28th February, 1977, at about 2330 hours, a fire broke out in the quarter of L/NK LR Soni. L/NK Soni was then away and his wife and three children were sleeping in the house. By the time Smt. Soni discovered the fire, it had already assumed serious proportions and she ran out of the house to shout for help. Corporal Ram Prasad was the first to respond and by the time he reached the scene, the while house was engulfed in flames and smoke. Smt. Soni was in a state of shock and was crying that her three small children were in the burning house. Corporal Ram Prasad, in utter disregard of his personal safety, went inside the burning house thrice and one by one brought out the three children who were trapped inside.

In this action, Corporal Ram Prasad displayed exemplary courage, presence of mind, determination and a high sense of public duty.

13. SHRI MAISNAM NINGHTHOU SINGH, SON OF LATE SHRI TOKPISHAK SINGH LOKCHAO VILLAGE, TENGNOUPAL DISTRICT (MANIPUR)

(Effective date of the award : 12th March, 1977)

On 12th March, 1977 at 7 a.m., Shri Maisnam Ninghthou Singh, while cutting firewood in the interior jungles, spotted one insurgent armed with a rifle coming towards him at a distance of about 13 metres. He immediately concealed himself in the thick forest and laid an ambush single-handed to trap the insurgent. When the insurgent was crossing the place, Shri Ninghthou Singh suddenly jumped on him and captured the insurgent after grappling with him. Thereafter he tied both the hands of the insurgent on his back and brought him to 5th Battalion Manipur Rifles post at Lokchao, at about 8.30 a.m. along with one G-3 Rifle and 253 rounds of ammunition.

The interrogation of the captured insurgent resulted in the capture by the 5th Battalion Manipur Rifles of nine more insurgents alive and one dead along with a large number of arms, ammunition and documents.

In this action, Shri Maisnam Ninghthou Singh displayed exemplary courage, presence of mind determination and sense of public duty of a very high order.

14. 3362796 HAVILDAR SUKHVINDER SINGH, SIKH. *(POSTHUMOUS)*

(Effective date of the award : 12th April, 1977)

Havildar Sukhvinder Singh was a member of Kite Expedition and did a lot of climbing in Kashmir and Ladakh as an instructor of the High Altitude Warfare School. He was selected as a climbing member of the Army Kanchenjunga Expedition 1977. When he was escorting loads from Gangtok to Lachen, the vehicle met with an accident in which he and the driver were badly hurt. On discharge from hospital, even though weak, he refused to go to his unit as suggested by his doctors and rejoined the Expedition. He helped to open the Advance Base Camp and was a member of the rope which worked on the horizontal traverse of a deadly ridge. While coming down from Camp-2 over a very difficult portion, he slipped and broke his neck. In his sudden death, the Expedition suffered a great loss.

Havildar Sukhvinder Singh thus displayed great courage, determination and devotion to duty of a very high order.

15. 1432414 SAPPER ANANDI YADAV, ENGINEERS. *(POSTHUMOUS)*

(Effective date of the award—29th April, 1977)

A Field Company of an Engineer Regiment, was assigned the construction of accommodation at an all weather post. On the 29th April, 1977, at about 0845 hours, Sapper Anandi Yadav was deployed, along with his section for loading engineering stores into a vehicle. While the vehicle was being loaded, boulders suddenly started falling down from the top of the hill. On hearing the alarm, all personnel involved in loading ran, to take cover. Sapper Yadav also took cover near the hill side. Soon after, he noticed that one of the jawans of his party had fallen down on the road side on being hit by a falling boulder. Since the boulders were still falling, Sapper Yadav, in a bid to rescue his comrade, ran towards him but, before he could reach him, he himself was hit by a huge boulder and was thrown off into the stream flowing nearby. This resulted in multiple injuries to him to which he succumbed later the same day.

Sapper Anandi Yadav thus displayed great courage, spirit of comradeship and devotion to duty of a high order.

16. 2767714 SEPOY SHRIKRISHNA SUKHDEORAO KALE, MARATHA LIGHT INFANTRY. *(POSTHUMOUS)*

(Effective date of the award : 3rd May, 1977)

Sepoy Shrikrishna Sukhdeorao Kale of a Maratha Light Infantry battalion was performing duties at an isolated Section Post. On the 30th April 1977, due to heavy snow fall, the telephone link between the Section Post and the Platoon Headquarters went off. On the 3rd May 1977, a line party was ordered to repair the line and Sepoy Kale was instructed to act as a guard to the line party, which had to work along a precipitous rocky outcrop. Sepoy Kale opened the track and the line party followed him working on the line Within eight hours, the lines were put through. When the line party was on its way back, it began to snow heavily and the track became all the more dangerous. Sepoy Kale volunteered to lead the line party on its return trip also. Whilst negotiating an exceptionally dangerous portion where the track ran across a rock face, Sepoy Kale slipped and fell to his death approximately 400 feet below.

Sepoy Shri Krishna Sukhdeorao Kale thus displayed great courage, determination and devotion to duty of high order.

17. SQUADRON LEADER SUKHMANDER SINGH SIDHU, VM (10117) FLYING PILOT.

(Effective date of the award : 15th October, 1977)

On 15th October, 1977, Squadron Leader Sidhu was ordered to evacuate Sir Edmund Hillary the leader of "Ocean to Sky Expedition" who was lying critically ill at the base camp located at a height of 17,500 feet above Mean Sea Level. A vetern of many casualty evacuation missions, Squadron Leader Sidhu could easily comprehend the gravity of the situation. He planned his mission immaculately, got airborne and spotted Sir Edmund Hillary. He realised that the steep and narrow snow covered gorge on which Sir Edmund Hillary was perched, would make evacuation extremely hazardous. As he adroitly manoeuvred the helicopter so that it was inches above the ground, loose and scattered snow started flying all around and caused a mini blizzard. Undeterred by this, he kept the helicopter stationary by maintaining a perfect hover, at an altitude of 17,500 feet. till his co-pilot jumped down and helped Sir Edmund Hillary into the helicopter.

In this action, Squadron Leader Sukhmander Singh Sidhu displayed great courage, determination and professional skill of a high order.

K. C. MADAPPA
Secretary to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 8th April 1978

No. 17011/3/77-AIS(iv).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1978 for the purpose of filling vacancies in the Indian Forest Service are published for general information.

1. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

4. (a) A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 26 years on 1st July, 1978 i.e. he must have been born not earlier than 2nd July, 1952 and not later than 1st July, 1958.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(ix) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(x) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities in 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

(xii) upto a miximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975.

(c) A candidate who exceeds the prescribed upper age limit on the crucial date *viz.*, 1st July, 1978 and who was detained under the Maintenance of Internal Security Act or was arrested or imprisoned under the Defence and Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder during the period of Internal Emergency between 25-6-75 and 21-3-77 on account of alleged political activities or association with erstwhile banned organisations and thus presented from appearing at the examination while he was still within the age-limits prescribed for admission to this examination, will be eligible to appear at the examination subject to the condition that he should not have sat for i.e. (he should have foregone) the examination at least once during the period between June 1975 and March, 1977.

NOTE.—Under this concession, which will not be admissible for admission to any examination held after 31-12-1979, not more than one chance will be allowed.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

5. A candidate must hold a Bachelor's degree with at least one of the subjects, namely, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture or in Engineering of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally quaified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

6. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

7. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, will be required to submit a 'No Objection Certificate' from the Head of their Office/Department in accordance with the instructions contained in para 2 of Annexure to the Commission's Notice.

8. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

9. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

11. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test:

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

12. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

13. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

14. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Service.

15. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination. No fee shall be payable to the Medical Board by the candidate for medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the Standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled *ex*-Defence Services personnel and Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with requirements of the Service.

Attention is particularly invited to the condition of medical fitness involving a walking test of 25 Kilometers in 4 hours in the case of male candidates and 14 Kilometres in 4 hours for female candidates.

16. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing; exempt any person from the operation of this rule.

17. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into service.

18. Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

R. L. AGGARWAL,
Under Secy.

APPENDIX I

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination for the Indian Forest Service comprises :—

(A) Written examination in—

(i) two compulsory subjects viz., General English and General Knowledge [*See* Sub-Section (a) of Section II below]—Maximum marks : 300

(ii) a selection from the optional subjects set up in Sub-Section (b) of Section II below. Subject to the provisions of that Sub-Section candidates must take any two of those subjects—Maximum marks : 400

(B) Interview for Personality Test (*vide* Part B of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission—Maximum marks : 200.

SECTION II

Examination Subjects

(a) Compulsory subjects *vide* Sub-Section A (i) of Section I above :—

	Maximum marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge	150

(b) Optional subjects vide Sub-Section A (ii) of Section I above :—

Subject	Code No.	Maximum Marks
Agriculture	01	200
Botany	02	200
Chemistry	03	200
Civil Engineering	04	200
Geology	05	200
Agricultural Engineering	06	200
Chemical Engineering	07	200
Mathematics	09	200
Mechanical Engineering	10	200
Physics	11	200
Zoology	13	200

Provided that the following restrictions shall apply to the above subjects :

(i) No candidate shall be allowed to take both the subjects with codes 01 and 06,

(ii) No candidate shall be allowed to take both the subjects with codes 03 and 07.

NOTE The standard and syllabi of the subjects mentioned above are give in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

2. The duration of each of the papers referred to in Sub-Sections (a) and (b) of Section II above will be 3 hours.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

8. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in General English and General Knowledge will be such as may be expected of a Science/Engineering graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will approximately be that of the Bachelor's degree (Pass) of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write an essay in English Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis

GENERAL KNOWLEDGE

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study

AGRICULTURE—(Code—01)

Candidates will be required to answer questions from Sections (A) and (B) or Sections (A) and (C) below.

(A) *Agricultural Economics*

Meaning and scope of agricultural economics, significance of study and its relationship with other sciences, importance of agriculture in Indian economy, contribution to national income, comparison with other countries, study of significant economic problems in Indian agricultural production, marketing, labour, credit etc.

Nature of study of farm management, its meaning and scope, relation to other physical and social sciences, concepts and basic principles in farm management. Types and systems of farming-determining factors. Planning for profitable use of land, water, labour and equipment methods of measuring farm efficiency, nature and purpose of farm book-keeping, farm records and accounts, financial accounting, enterprize accounting and complete cost accounting.

(B) *Agronomy*

Crop Production—Detailed study of KHARIF crops; Paddy, Maize, Jowar, Bajra, Groundnut, Til, Cotton, Sunhemp, Moong, Urd with reference to their introduction, distribution, seedbed preparation, improved varieties sowing and seed-rate inter-culture, harvesting and physical inputs of production of crops.

Detailed study of important RABI crops; Wheat, Barley, Gram, Mustard, Sugarcane, Tobacco, Berseem, with reference to their origin, history, distribution soil and climate requirements seedbed preparation, improved varieties, sowing and seed-rate interculture, harvesting storing, physical inputs of crops.

Weeds and Weed Control—Classification of weeds; habitat and characteristics of important weeds of India Injurious effects and losses caused by weeds, chief agencies of weed dissemination, cultural, biological and chemical control of weeds.

Principles of Irrigation and Drainage—Necessity and sources of irrigation water, water requirements of crops, common water lifts, duty of water, prevention of wastage of irrigation water, system and methods of irrigation; advantage and limitations of each method. Measurement of irrigation water. Soil moisture different forms of soil moisture and their importance. Drainage and its necessity, harm caused by excessive water methods of drainage.

(C) *Soil Science & Soil Conservation*

Definition of soil, its main components, soil profile, soil mineral colloids, cation exchange capacity, base saturation percentage ion exchange, essential nutrients for plant growth, their forms in the soil and their role in plant nutrition. Soil organic matter, its decomposition and its effect on soil fertility. Acid and alkali soils, their formation and reclamation Effect of organic manures, green manures and fertilizers on soil properties. Properties of common nitrogenous, phosphatic and potassic fertilizers.

Mechanical composition and soil texture, soil pore space, soil structure, soil water, types of soil water, its retention movement, availability and measurement of soil water Soil temperature, soil air and its importance. Soil structure, its forms and their effect on the physio-chemical properties of soil.

Soil Morphology and Soil Surveying—Earth's crust: soil forming rocks and minerals: their composition and importance in soil formation Weathering of rocks and minerals factors and processes of soil formation great soil groups of the world and their agricultural importance Study of Indian soils Soil survey and classification.

Principles of Soil Conservation—Soil erosion, factors effecting erosion, soil conservation, soil properties in relation to agronomic and engineering practices, land drainage needs and practices for agricultural lands, land use classification. Soil conservation, planning and programme.

BOTANY—(Code—02)

1. *Survey of the Plant Kingdom.*—Difference between animals and plants: Characteristics of living organism: Unicellular and multicellular organism : Viruses : basis of the division of the plant kingdom.

2. *Morphology*.—(i) Unicellular plants—cell, its structure and contents : division and multiplication of cells.

(ii) Multicellular plants—Differentiation of the body of non-vascular plants and vascular plants : external and internal morphology of vascular plants.

3. *Life history*.—Of at least one member of the following categories of plants.—Bacteria, cyanophyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae, Phycompycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Liverworts, Mosses, Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms.

4. *Taxonomy*.—Principles of classification : principal systems of classification of angiosperms : distinctive features and economic importance of the following families—Graminea. Scitaminae. Palmaceae. Liliaceae. Orchidaceae. Moraceae. Loranthaceae. Magnoliaceae. Lauraceae Crucifcrae. Rosaceae. Leguminosae. Rutaceae. Meliaceae, Euphorbiaceae. Anacardiaceae. Malvaceae. Apocynaceae. Asclepiadaceae. Dipterocarpaceae. Myrtaceae. Umbeliferalabiatae. Solanaceae. Rubiceae. Cucumbitaceae. Vercanaceae and Compositae.

5. *Plant Physiology*.—Autotrophy, heterotrophy. Intake of water and nutrients, transpirations, pholosynthesis, mineral nutrition, respiration, growth, reproduction : Plant/animal relation, symblosis, parasitism, enzymes, auxins, hormones, photopariodism.

6. *Plant Pathology*.—Cause and cure of plant diseases; Disease organisms. Viruses, deficiency disease; Disease resistance.

7. *Plant Ecology*.—The basic facts relating to ecology and plant geography, with special relation to Indian flora and the botanical regions of India.

8. *General Biology*.—Cytology, Genetics, plant, breeding. Mendelism, hybridvigour, Mutation Evolution.

9. *Economic Botany*.—Economic uses of plants, esp. flowering plants, in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products like foodgrains, pulses, fruits, sugars and starches, oilseeds, spices, beverages, fibres woods, rubber drugs and essential oils.

10. *History of Bontany*.—A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

CHEMISTRY—(Code—03)

1. *Inorganic Chemistry*

Electronic configuration of elements. Aufbau Principle Periodic classification of elements. Atomic number. Transition elements and their characteristics.

Atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity and electronegativity.

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission and fusion.

Electronic Theory of valency. Elementary ideas about sigma and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent bonds.

Werner's theory of coordination compounds. Electronic configurations of complexes involved in the common metallurgical and analytical operations.

Oxidation states and Oxidation number. Common oxidising and reducing agents. Ionic equations.

Lewis and Bronsted theories of acids and bases.

Chemistry of the common elements and their compounds treated especially from the point of view of periodic classification. Principles of extraction isolation (and metallurgy) of important elements.

Structures of hydrogen peroxide diborane, aluminium chloride and the important oxyacids of nitrogen, phosphorus, chlorine and sulphur.

Inert gases : Isolation and chemistry.

Principles of inorganic chemical analysis.

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate, sodium hydroxide, ammonia, nitric acid, sulphuric acid, cement, glass and artificial fertilizers.

2. *Organic Chemistry*

Modern concepts of covalent bonding. Electron displacements—inductive mesomeric and hyperconjugative effects Resonance and its application to organic Chemistry. Effect of structure on dissociation constants.

Alkanes, alkenes and alkynes. Petroleum as a source of organic compounds. Simple derivatives of aliphatic compounds . Alcohols, aldehydes, Ketones, acids, halides, esters, ethers, acid anhydrides, chlorides and amides. Monobasic hydroxy, ketonic and amino acids. Organometallic compounds and acetoacetic esters. Tartaric citric, maleic and fumaric acids. Carbohydrates, classification and general reactions. Glucose fructose and sucrose.

Stereochemistry : Optical and geometrical isomerism. Concept of conformation.

Benzene and its simple derivatives : Toluence, xylenes, phenols, halides, nitro and amino compounds. Benzoic, salicylic cinnamic, mandelic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes and ketones. Diazo, azo and hydrazo compounds. Aromatic substitution. Napthalene, pyridine and quinoline.

3. *Physical Chemistry*

Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell's law of distribution of velocities. Van der Waal's equation. Law of corresponding states. Liquefaction of gases. Specific heats of gases. Ratio of Cp/Cv.

Thermodynamicse : The first law of thermodynamics, Isothermal and adiabatic expansion. Enthalpy, Heat capacities. Thermochemistry—heats of reaction, formation solution and combustion. Calculation of bond energies. Kirchhof equation.

Criteria for spontaneous change. Second Law of Thermodynamics. Entropy. Free energy. Criteria of Chemical equilibrium.

Solutions, Osmotic pressure, lowering of vapour pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point. Determination of molecular weights in solution. Association and dissociation of solutes.

Chemical equilibria. Law of mass action and its application to homogeneous and heterogeneous equilibria. Le Chatelier principle. Influence of temperature on chemical equilibrium.

Electrochemistry : Faraday's laws of electrolysis; conductivity of an electrolyte : equivalent conductivity and its varaition with dilution; solubility of sparingly soluble salts; electrolytic dissociation. Ostward's dilution law; anomaly of strong electrolytes; solubility product strength of acids and basis; hydrolysis of salts; hydrogenion concentration; buffer action; theory of indicators;

Reversible cells. Standard, hydrogen and calomel electrodes. Electrode and red-ox-potentials. Concentration cells. Determination of pH. Transport number. Ionic product of water. Potentiometric titrations.

Chemical Kinetics; Molecularity and order of a reaction First order and second order reactions. Determination of order of a reaction, temperature coefficients and energy of activation Collision theory of reaction rates. Activated complex theory.

Phase rule ; Explanation of the terms involved. Application to one and two component systems. Distribution law.

Colloids : General nature of Colloidal solutions and their classification; general methods of preparation and properties of colloids. Coagulation. Protective action and gold number. Adsorption.

Catalysis : Homogeneous and heterogeneous catalysis. Promotors. Poisoning.

Photochemistry : Laws of photochemistry. Simple numerical problems.

CIVIL ENGINEERING—(Code—04)

1. *Building materials and Properties and strength of materials*—

Building material—Timer, stone, brick, lime, tile, sand surkhi, mortar and concrete, metal and glass—Structural properties of metals and alloys used in engineering practice.

Stresses and strains—Hooke's law—Bending. Torision and direct stresses; Elastic theory of bending of beams maximum and minimum stresses due to eccentric loading. Bending moment and Shear force diagrams and deflection of beams under static and live loads.

2. *Building construction and water supply and sanitary engineering*—

Construction—Brick and stone masonry walls, floors and roofs, staircases, carpentry in wooden floors, roofs ceiling, doors and windows, finishes (plastering, pointing, painting and varnishing etc.)

Soil mechanics—Soils and their investigations. Bearing capacities and foundations of buildings and structures—principles of design.

Building estimates—Principles units of measurement: Taking out quantities for building and preparation of abstract of costs—specifications and data sheets for important items.

Water supply—Sources of water. Standards of purity, methods of purification, lay out of distribution system, pumps and boosters.

Sanitation—Sewers, storm water overflows, house drainage requirements and appurtenances, septic tanks, Imhoff tanks, sewage treatment and dispersion trenches—Activated sludge process.

3. *Roads and bridges*—

Survey and alignment—Highway materials and their placements, Principles of design—width of foundation and pavement, camber, gradient surves and super-elevation—Retaining walls.

Construction—Earth roads, stabilized and water bound macadam roads bituminous surfaces and concrete roads. Drainage of roads: Bridges—Types, economical spans, I.R.C. loadings, designing superstructure of small span bridges—Principles of designing foundation of abutments and piers of bridges, pile and well foundations.

Estimating Earthwork for roads and canals.

4. *Structural Engineering*—

Steel structures—Permissible stresses, Design of beams simple and built-up columns and simple roof trusses and girders column bases and grillages for axially and eccentrically loaded columns—Bolted; rivetted and welded connections.

R.C.C. structures—Specification of materials used—proportioning workability and strength requirement—I.S.I. standards for design loades permissible stresses in R.C.C. members subject to direct and bending stresses—Design of simply supported overhanging and cantilever beams, rectangular and Tee beams in floors, roofs and lintels—axially loaded columns; their bases.

GEOLOGY—(Code—05)

1. *General Geology*:

Origin, age and interior of the Earth, different geological agencies and their effects on topography, weathering and erosion: Soil types their classification and soil groups of India; Physiographic sub-divisions of India. Vegetation and topography, Volcanoes, earthquakes, mountains, diastrophism.

2. *Structural Geology*:

Common structures of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Dip, strike and slopes; folds, faults and unconformities including their effects on outcrops. Elementary ideas of methods of Geological Surveying and Mapping.

3. *Crystallography and Mineralogy*:

Elementary knowledge of crystal symmetry. Laws of crystallography. Crystal habits and twinning.

Study of important rock-forming including clay minerals with regard to their chemical composition, physical properties, optical properties, alteration, occurrence and commercial uses.

4. *Economic Geology*:

Study of important economic minerals of India including mode of occurrence. Origin and classification of ore deposits.

5. *Petrology*:

Elementary study of igneous, sedimentary and metamorphic rocks including origin and classification. Study of common rock types.

6. *Stratigraphy*:

Principles of stratigraphy; lithological and chronological sub-divisions of geological records. Outstanding features of Indian Stratigraphy.

7. *Palaeontology*:

The bearing of palaeontological data upon evolution. Fossils, their nature and mode of preservation. An elementary idea of the morphology and distribution of representative forms of animal and plant fossils.

AGRICULTURAL ENGINEERING—(Code—06)

1. *Soil and Water Conservation.*—Definition and scope of soil conservation; Mechanics and types of erosion their causes. Hydrologic cycle rainfall and runoff—factors affecting them and their measurements, stream gauging—Evaluation of runoff from rainfall. Erosion control measures—Biological and Engineering.

Basic open channel hydraulics. Design of soil conservation structures—terraces, bunds, outlets and grassed waterway. Principles of flood control. Flood routing. Design of farm ponds and earth dams. Stream bank erosion and its control. Wind erosion and its control. Principles of watershed management.

Investigation and planting in River Valley projects.

2. *Irrigation and drainage.*—Soil-water-plant relationships. Sources and types of irrigation. Planning and design of minor irrigation projects. Techniques of measuring soil moisture.

Duty of water-consumptive use. Water requirements of crops. Measurement and cost of irigation water. Measuring devices—flow through orifices, wires and flumes. Levelling and layout of irrigation systems. Design and construction of, cannals, field channels, pipe lines, head-gates, diversion boxes, structures and road crossings. Occurrence of ground water, Hydraulics of wells. Types of wells, their construction, drilling methods. Well development. Testing of wells.

Drainage—Definition—causes of water logging. Methods of drainage. Drainage of irrigated lands. Design of surface and sub-surface systems.

3. *Building materials.*—Kind of building materials—their properties. Timber, brickwork and R. C. construction. Design of columns, beams, roof trusses, joints. Layout of a farmstead. Design of farm houses, animal shelters and storage structures. Rural water supply and sanitation.

4. *Farm power and machinery.*—Construction of different types of internal combustion engines. Ignition, fuel lubricating, cooling and governing systems of IC engines. Different types of tractors. Chasis transmission and steering. Farm machinery for primary and secondary tillage, seeding machinery, interculture tools and machinery. Plant protection equipment. Harvesting and threshing equipment. Machinery for land development. Pumps and pumping machinery.

5. *Elastricity and rural electrification.*—Power generation and transmission; Distribution of electricity for rural electrification: A.C. and D.C. circuits.

Uses of electric energy on the farm. Electric motors used in agriculture—types selection, installation and maintenance.

CHEMICAL ENGINEERING—(Code—07)

1. Transport phenomena: (Under steady state conditions):

(a) *Momentum transfer*: (Under steady state conditions): *and their criteria.*

(ii) Velocity profile.

(iii) Filtration; sedimentation; centrifuge.

(iv) Flow of solids through fluids.

(b) *Heat transfer*: Different modes of heat transfer: Conduction—calculation for single and composite walls of flat, cylindrical and spherical shapes

Convention—different dimensions groups used in forced and free convection. Equivalent diameter. Determination of individual and overall heat transfer coeff.

Evaporation—Radiation—Stefan-Boltzman law.

Emmissivity and absorptivity. Geometrical Shape factor.

Heat load of furnaces—calculation.

(c) *Mass transfer* : Diffusion in gases and liquids. Absorption, desorption, humidification, dehumidification, drying and distillation. Analogy between momentum, heat and mass and transfer.

2. *Thermodynamics* :

(a) 1st; 2nd and 3rd Laws of thermodynamics.

(b) Determination of internal energy, entropy, enthalpy and free energy—Determination of chemical equilibrium constants for homogeneous and hetrogeneous systems. Use of thermodynamics in combustion, distillation and heat transfer. Mechanism and theory of mixing, various mixers for liquid—liquid, solid liquid and solid—solid.

3. *Reaction engineering* :

(i) Kinetics : Homogeneous and heterogeneous reactions 1st and 2nd order reactions.

Batch and flows—Reactors and their design.

(ii) Catalysis—Choice of catalysis; Preparations;

Mechanics of catalysis based upon mechanism.

4. Transportation.—Storage and transport of materials and in particular, powders, resins, volatile and non-volatile liquids, emulsions and dispersions, pumps, compressors and blowers Mixers—Mechanisms and theory of mixing various mixers for liquid—liquid; solid—liquid; solid—solid.

5. Materials—Factors that determine choice of materials of construction in chemical industries.—Metals and alloys, ceramic, plastics and rubbers. Timber and timber products, plywood laminates.

Fabrication of equipment with particular reference to production of vats, barrels, filter presses etc.

6. Instrumentation and process control—Mechanical, hydraulic, pneumatic, thermal, optical, magnetic, electrical and electronic instruments. Controls and control systems. Automation.

MATHEMATICS—(Code- 09)

PART A

Algebra :

Algebra of sets, relations and functions, inverse of a function, composite function, equivalence relation.

Numbers : integers, rational numbers, real numbers (statement of properties), complex numbers, algebra of complex numbers.

Group, sub-groups, normal sub-groups, cyclic and permutation groups, Lagrange's theorem, isomorphism.

De-Moivre's theorem for rational index and its simple applications.

Theory of Equations : Polynominal equations, transformation of equations, relations between roots and coefficients of a polynomial equation, symmetric function of roots of cubic and biquadratic equations, location of roots and Newton's method for finding roots.

Matrices : algebra of matrices, determinants—simple properties of determinants, product of determinants, adjoint of a matrix, inversion of matrices, rank of a matrix, application of matrices to the solution of linear equations (in three unknowns).

Inequalities : arithmetic and geometric means, Cauchy-Schwarz inequality (only for finite sums).

Analytic Geometry of two and three dimensions :

Analytic Geometry of two dimensions.—Straight lines, pair of straight lines, circles, systems of circles, Ellipse, parabola, hyperbola (referred to principal axes), Reduction of a second degree equation to standard form. Tangents and normals.

Analytic Geometry of three dimensions—Plances, straight lines and spheres (Cartesian Co-ordinates only).

Calculus and Differential Equation :

Differential calculus :—Concepts of limit; continuity and differentiability of a function of one real variable, derivative of standard functions, successive differentiation. Rolle's theorem, Mean value theorem. Maclaurin and Taylor series (proof not needed) and their applications; Binomial expansion for rational index, expansion of exponential, logarithmic, trigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminate forms. Maxima and Minima of a function of a single variable, geometrical applications such as tangent, normal, subtangent, subnormal, asymptotic curvature (Cartesian coordinates only). Envelopes. Partial differentiation. Euler's theorem for homogeneous functions.

Integral calculus : Standard methods of integration, Riemann definition of definite integral of continuous functions. Fundamental theorem of Integral calculus. Rectification. quadrature, volumes and surface area of solids of revolution. Simpson's rule for numerical integral.

Convergence of sequences and series, test of convergence of series with positive terms. Ratio, root and Gauss tests. Alternating series.

Differential Equations : Solution of standard first order differential equations. Solution of second and higher order linear differential equations with constant coefficients. Simple application of problems on growth and decay. Simple harmonic motion. Simple pendulum and the like.

PART B

Mechanics : (Vector methods may be used)

Statics—Representation of a force, parallelogram of forces, composition and resolution of forces and conditions of equilibrium of coplanar and concurrent forces. Triangle of forces. Like and unlike parallel forces. Moments. Couples. General conditions for equilibrium of coplanar forces. Centre of gravity of simple bodies. Friction—static and limiting friction, angle of friction, equilibrium of a particle on a rough inclined plane, simple problems, simple machines (lever, systems of pulleys, gear). Virtual work (two dimentions).

Dynamics.—Kinematics—displacement, speed, velocity and acceleration of a particle, relative velocity. Motion in a straight line under constant acceleration. Newton's laws of motion. Central Orbits. Simple harmonic motion. Motion under gravity (in vacuum). Impulse, work and energy. Conservation of energy and linear momentum. Uniform circular motion.

Astronomy :

Spherical Trigonometry.—Sine and cosine formulae, properties of right-angled spherical triangles.

Spherical Astronomy—Celestial sphere, Coordinate systems and their conversion Diurnal motion. Sidereal and solar times, mean solar time, local and standard times, equation of time. Rising and setting of the sun and stars, dip of the horizon. Astronomical refraction. Twilight. Parallax. aberration, procession and nutation. Kepler's laws. Planetary orbits and stationary points. Apparent motion of the moon, phases of the moon. Astronomical Instruments—Sextant, transmit instrument.

Statistics :

Probability.—Classical and statistical definitions of probability, calculation of probability of combinatorial methods, addition and multiplication theorems, conditional probability, Random variables (discrete and continuous), density function. Mathematical expectation.

Standard distributions.—Binomial—definition, mean and variance, skewness, limiting form, simple applications; Poison—definition, mean and variance, additive property, fitting of Poison distribution to given data; Normal—simple properties and simple applications, fitting a normal distribution to given data.

Bivariate distribution—Correlation, linear regression Involving two variables fitting of straight line, parabolic and exponential curves, properties of correlation coefficient.

Simple sampling distributions and simple tests of hypothesis: Random sample, Statistic. Sampling distribution and standard error. Simple applications of the normal, t.chi² and F distributions to testing of significance of difference of means.

NOTE :—Candidates will be required to answer compulsorily from Part A of the syllabus one question on each of the three topics viz. (1) Algebra (2) Analytic Geometry of two and three dimensions and (3) Calculus and Differential Equation. From Part B of the syllabus it will be compulsory to answer at least one question on any one of the three topics viz. (1) Mechanics (2) Astronomy and (3) Statistics.

MECHANICAL ENGINEERING—(Code—10)

1. *Strength of Materials*

—Stress and strains—Hooke's Law and relations between elastic constants—Compound bars in tension and compression and stresses due to temperature changes.

Bending Moment, shear force and deflection in simply supported overhanging and cantilever beams for simple loading.

Torsion in round bars—Transmission of power by shafts—springs.

Simple cases of combined bending and direct stresses, and combined bending and torsion.

Elastic Theory of failure—Stress concentration and fatigue

2. *Theory of Machines and Machine Designs*

Relative velocities of parts in machines graphically and by calculation

Crank effort diagram of engines—Speed-variation of flywheels. Governors. Power transmitted by belt drives—Friction and lubrication of journals and thrust bearings, ball and roller bearings Design of fastenings and locking devices—Proportions for rivetted, bolted and welded joints and fastenings.

3. *Applied Thermodynamics*

Fuels Combustion—Air supply—Analysis of fuels and exhaust gases.

Boilders, Superheaters and Economisers—Boilders mountings and accessories—Boiler trial.

Physical properties of steam—Steam tables and their use.

Laws of Thermodynamics—Gas Laws—Expansion and compression of gases—Air compressors.

Ideal and actual engine cycle—Use of temperature—entropy, heat-entropy and pressure-volume charts and diagrams.

Simple steam engines and Internal combustion engines. Indicators and Indicator Diagrams—Mechanical. Thermal, air standard and actual efficiencies—General construction—Engine trial and heat balance.

4. *Production Engineering*

Common machine tools—Working principles and design features of Lathes, shapers, planners, drilling machines—Milling machines—Grinding machines—Jigs and fixtures. Metal cutting tools—Tools materials—Tool geometry.

Cutting forces—Abrasive wheels.

Welding—Weldability and different welding processes—Testing of welds.

Forming process—moulding, casting, forging, rolling and drawing of metals.

Metrology—Linear and angular measurements—Limits and fits. Measurement of screws and gears—Surface finish—Optical instruments.

Industrial engineering—Methods study and work measurement—Motion-time data—Work sampling—Job evaluation Wages and incentives—Planning, control, Plant layout.

5. *Fluid Mechanics and Water power*

Bernoulli's equation—Moving plates and vanes—Pumps and turbines. Design principles, applications and characteristic curves; Prrinciples of similarity; Governing—Hydraulic accumulators and intensifiers—Cranes and lifts—Surge tanks and Storage reservoirs.

PHYSICS—(Code—11)

1. *General properties of matter and mechanics*

Units and dimensions; Scalar and vector quantities; Moment of inertia, work, energy and momentum. Fundamental laws of mechanics; Rotational motion; Gravitation; Simple harmonic motion; Simple and compound pendulum; Kater's pendulum; Elasticity. Surface tension; Viscosity of liquids, Rotary pump; Mcleod gauge.

2. *Sound*

Damped, forced and free vibrations; Wave motion, Doppler effect, Velocity of sound waves; Effect of pressure, temperature, humidity on velocity of sound in a gas; Vibration of strings, bars, plates and gas columns; Resonance; Beats; Stationary waves; Measurement of frequency, velocity and intensity of sound; Musical scales; Acoustics in architecture; Elements of ultrasonics. Elementary principles of gramophones, talkies and loudspeakers.

3. *Heat and Thermodynamics*

Temperature and its measurement; thermal expansion; Isothermal and adiabatic changes in gases; Specific heat and thermal conductivity; Elements of the kinetic theory of matter; Physical ideas of Boltzman's distribution law; Van der Waal's equation of States; Joule Thomson effect; liquefaction of gases; Heat engines; Carnot's theorem, Laws of thermodynamics and simple applications, Black body radiation.

4. *Light*

Geometrical optics. Velocity of light; Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces; Defects in optical images and their corrections, Eye and other optical instruments; Wave theory of light; Interference; simple interferometer, Diffraction; Diffraction Grating; Polarisation of light; Elements of spectroscopy.

5. *Electricity and magnetism*

Calculation of electric field intensity and potential in simple cases. Gauss theorem and simple applications; Electrometers, Energy due to a field; Electrical and magnetic properties of matter; Hysterisis permeability and susceptibility; Magnetic field due to electrical current; Moving magnet and moving coil galvanometers; Measurement of current and resistance; Properties of reactive circuit elements and their determination; thermoelectric effects; Electromagnetic induction; Production of alternating currents. Transformers and motors; Electronic valves and their simple applications.

Elements of Bohr's theory of atom; Electrons, Cathode rays and X-rays; Measurement of electronic charge and mass.

ZOOLOGY—(Code 13)

Classification of the animal kngdom into principal groups distinguishing features of the various classes.

The structure, habits, and life-history of the following non-chordate types :

Amoeba, malarial parasite, a sponge, hydra, liverflue, tapeworm, roundworm, earth worm, leech, cockroach housefly mosquito, scorpion, freshwater mussel, pond snail and starfish (external characters only).

Economic importance of insects. Bionomics and life-history of the following insects : termitelocust, honey bee and silk moth.

Classification of Chordata up to orders.

The structure and comparative anatomy of the following chardate types :

Branchiostoma; Scolidon; frog; Uromastix or any other lizard (Skeleton of *Varanus*); pigeon (Skeleton of fowl); and rabbit, rat or squirrel.

Elementary knowledge of the histology and physiology of the various organs of the animal body with reference to frog and rabbit, Endocrine glands and their functions.

Outlines of the development of frog and chief structure and functions of the mammalian placenta.

General principles of evolution, variations heredity; adaptation; recapitulation hypothesis, Mendelian inheritance; asexual and sexual modes of reproduction; parthenogenesis, metamorphosis; alternation of generations.

Ecological and geological distribution of animals with special reference to the Indian fauna.

Wild life of India including poisonous and non-poisonous snakes; game Birds.

PART B

Personality Test.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for the Service. The candidate will be expected to have taken an intelligent interests not only in his subject of academic study but also in events which are happening around him both within and without his own State or country, as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal the mental qualities of the candidate The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity critical, powers of observation and assimilation, balance of judgement and alertness of mind initiative, tact, capacity for leadership; the ability for social cohesion, mental and physical energy and powers of practical application : integrity of character; and other qualities such as topographical sense, love for out-door life and the desire to explore unknown and out of way places.

APPENDIX II

(*Vide* Rule 18)

Brief particulars relating to the Indian Forest Service (*vide* Rule 18).

(a) Appointments will be made on probation for a period of three years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examination during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Forest Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 (15 years)

Senior Scale—Rs. 1100—(6th Year or under) —50—1600 (16 years)

Conservator of Forests—Rs. 1300—60—1600—100—1800.

Deputy Conservator of Forests (in States where such a posts exists).—Rs. 2000—125/2—2250.

Additional Chief Conservator of Forests (in States where such a post exists).—2250—125/2—2500.

Chief Conservator of Forests.—2500—125/2—2750.

Deputy Inspector General of Forests.—Rs. 2000—125/2—2250 plus a special pay of Rs. 300 p.m.

Inspector General of Forests and *ex-officio* Additional Secretary to the Government of India.—Rs. 3000—100—3500.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will be started on the junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) Provident Fund.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) Leave.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Leave) Rules, 1955

(i) Medical Attendance.—Officers of the Indian Forest Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Service (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) Retirement Benefits.—Officers of the Indian Forest Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(*vide* Rule 15)

[These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners.

2. The Government of India, reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. *Walking test* : The male candidates will be required to qualify in walking test of 25 kilometres to be completed in 4 hours and female candidates 14 kilometres to be completed in 4 hours. The arrangement for conducting this test will be made by the Inspector General of Forests, Govt. of India so as to synchronise with the sittings of the Medical Board.

3 (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) The Minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :

Height	Chest girth (fully expanded)	Expansion
163 cms.	84 cms.	5 cms (for men)
150 cms.	79 cms.	5 cms (for Women)

The following minimum height standards may be allowed in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc., whose average height is distinctly lower :—

Men	160 cms.
Women	145 cms.

4. The candidates height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttock, and shoulders touching the standard the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

5. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be reorded in centimetres 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

6. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilogrames; fractions of half a kilogram should not be noted.

7. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded—

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sort as to render, or likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acquity.*—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follow :—

Distant Vision		Near vision	
Better eye (Corrected Vision)	Worse eye	Better eye (Correged vision)	Worse eye
6/6 or 6/9	6/12 6/9	J.I.	J. II

NOTE :—

(1) *Fundus Examination.*—In every case of Myopia Fundus Examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit.

The total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

Provided that in case a candidate is found unfit on grounds of high myopia, the matter shall be referred to a special board of three opthalmologists to declare whether this myopia is pathological or not. In case it is not pathological, the candidate shall be declared fit, provided he fulfils the visual requirements otherwise

(2) *Colour Vision.*—(i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Grade of Colour perception
1. Distance between the lam and candidate	16 feet
2. Size of aperture	1·3 mm.
3. Time of exposure	5 sec.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

(3) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(4) *Night Blindness.*—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough test, e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(5) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma, unless complicated, shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint*—As the presence of binocular vision is essential squint even if the visual acquity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

8. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15-25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B—As a general rule any systolic pressure over 144 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness on otherwise The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the

patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft succesive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff in irritating to the patient and will vitiate the readings. Re-checking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level, they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading).

9. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standards of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board wil refer the case to a spcified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submits his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

10. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

11. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defecttive the candidate should be got examined by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

(1)	Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Fit for non technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
(2)	Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3)	Perforation of tympanic memberance of central or marginal type.	(*i*) One ear normal other ear perforation of tympanic memberanc present Temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
		(ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
		(*iii*) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4)	Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(*i*) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity, Fit for both technical and non-technical jobs.
		(ii) Mastoid cavity of both sides. Unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
(5)	Persistently discharging ear operated/unoperated	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6)	Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformitites of nasal septum.	(*i*) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
		(*ii*) If deviated nasal Septum is present with symptoms –Temporarily unfit.
(7)	Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(*i*) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx—Fit.
		(*ii*) Hoarseness of voice of severe degree if present then--Temporarily unfit.
(8)	Benign or locally malignant tumours of the ENT	(*i*) Benign tumours—Temporarily unfit.
		(*ii*) Malignant Tumours—Unfit.
(9)	Otosclerosis	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10)	Congenital defects of ear nose or throat;	(*i*) if not interfering with functions—Fit.
		(*ii*) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11)	Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any obdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he bears marks of efficient vaccination; and disease;

(1) that he bears marks of efficient vaccination; and

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

12. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of th heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

In case of doubt regarding health of candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government service, e g., if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or aberration, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiarist/Psychologist, etc

NOTE—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board special or standing appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by a treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the maximum.* On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) ....

2. State your age and birth place ....

2. (a) Do you belong to Scheduled Tribes or to races such as Gorkhas,Garhwalis,Assamese Nagaland Tribals, etc. whose average height is distinctly, lower ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is Yes'state the name of the tribe/race.

3. (a) Have you ever had small-pox intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism appendicities .. ..

OR

(b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ? ....

4. When were you last vaccinated ?......................

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cuase ?........ ....

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age of living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ?NN ....

8. If answer to the above is, Yes please state what Service/Services you were examined for ? ....

9 Who was the examining authority ?..............

10. When and where was the Medical, Board held ? ....

11. Result of the Medical Boards' examination, if communicated to you or if known. ....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.
Signed in my presence

Candidate's Signature.

Signature of the Chairman of the Board.

Note :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information will incur the risk of losing the appointment and if appointed of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination.

1. General development; Good..........Fair........... Poor....................

Nutrition : Thin.. ..Average......Obese.......... Height (Without shoes)................Weight .... Best Weight................When ?......Any recent change in weight ?..........Temperature........................

Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

Skin : Any obvious disease...........................

3 Eyes :

(1) Any disease.................................

(2) Night blindness...............................

(3) Defect in colour vision ....

(4) Field of vision ....

(5) Visual acuity ....

(6) Fundus Examination............................

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glass Sp. Cyl. Axis
Distant vision	R.E.		
	L.E.		
Near vision	R.E.		
	L.E.		
Hypermetropia (manifest)	R.E.		
	LE.		

4. Ears : Inspection......Hearing : Right Ear.......... Left Ear..............

5. Glands.. .... Thyriod....................

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain, fully.. ....

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesions ?....................Rate Standing ....

After hopping 25 times ....

2 minutes after hopping..

(b) Blood Pressure : Systolic......Diastolic.... ....

9 Abdomen : Girth........ Tenderness............. Hernia........................

(a) Palpable Liver......Spleen .... Kidneys................Tumours................

(b) Haemorrhoids ....Fistulla..............

10. Nervous System Indication of nervous or mental disability ....

11. Loco-Motor System : Any Abnormality..............

12 Genito Urinary System Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance...............

(b) Sp. Gr. ....

(c) Albumen..........................

(d) Sugar ....

(e) Casts ....

(f) Cells ....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there any thing in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Indian Forest Service ?

NOTE.—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide Regulation 10.

15. Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Forest Service ?

Note.—The Board record their findings under one of the following three categories ?

(i) Fit

(ii) Unfit on account of............................

(iii) Temporarily unfit on account of.................

Place........................

Date........................

Chairman ....

Member ....

Member ....

RULES

No. 20/33/76-CS. II.—The rules for competitive examinations to be held by the Staff Selection Commission (Ministry of Home Affairs) (Department of Personnel & Administrative Reforms), New Delhi, once every two months i.e. every alternative month, commencing from the months of April, 1978, on Second Saturday and Sunday and, if necessary, on the holiday/Sunday following thereafter, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service are published for general information.

2. The number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service to be filled on the result of the examination will be determined by Government from time to time and intimated to the Staff Selection Commission before the results of the examinations are announced by the Commission. The approximate number of each examination will be 50, Reservations will be made for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes & Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 and Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission, in the manner prescribed in the Appendix I to these Rules. For the purpose of admission, they will be required to submit applications, on plain paper, as in the form given in Appendix II, which shall, after due scrutiny will be forwarded by the Ministry/Department/Office concerned to the Staff Selection Commission latest by the 10th of the month preceding the month in which the examination is to be held.

4. Any permanent or temporary regularly appointed LDC/UDC of the Central Secretariat Clerical Service shall be eligible to appear at the examination and compete for the vacancies.

(1) *Length of Service*.—He should have, on the 1st January, 1978 rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 1.—The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 2.—Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer, if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

NOTE 3.—Regularly appointed officers to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 or appointed thereafter on a long-term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Service as the case may be, according to the prescribed procedure.

(2) *Age*—He should not be more than 50 years of age on the 1st January, 1978 *i.e.* he must not have been born earlier than 2nd January, 1928.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe!

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 25th March, 1971);

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of India origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Vietnam, and has migrated to India, not earlier than July, 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate who fails in the examination will not be eligible to take the next examination but only that following the next examination or subsequent examination.

7 No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed of Rs. 8/- (Rupees eight only) for general candidates and Rs. 2/- (Rupees two only) for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates either by postal orders or bank draft.

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in one list, in order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade D.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission

by a Relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade D of the Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade D *on the basis of his performance in this examination* as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

13. Success in the examination confers no right to selection unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointments or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR, Under Secy.

APPENDIX I

Candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

NOTE.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English stenography and vice versa, after their appointment.

2. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

APPENDIX II

PROFORMA

STAFF SELECTION COMMISSION

GRADE D STENOGRAPHERS COMPETITIVE EXAMINATION

CLOSING DATE :—10TH OF THE MONTH PREVIOUS TO THE MONTH OF THE EXAMINATION.

Signed passport size photograph of the candidate to be pasted here. Another signed photograph should be firmly attached to the Application.

(1) Particulars of Postal Orders/Bank Draft and the value. ————————

(2) Name of the candidate (In capital letters) Shri/Smt./Kumari ————

(3) Exact date of birth (in Christian Era) ————

(4) Name and address of Office where working ————

(5) Are you a member of

(i) Scheduled Caste ————

(ii) Scheduled Tribe ————

Answer 'Yes' or 'No'.

(6) (i) Father's name ————

(ii) Husband's name (in case of lady candidate) ————

(7) State the language (Hindi or English) in which you wish to take the shorthand test. ————

(8) Whether appeared in the previous Examination, if so, indicate the month and Roll No. ————

(9) Are you a permanent or temporary regularly appointed officer of the Lower Division Grade/Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and have rendered not less than two years' approved and continuous service in the relevant grade on the 1st January of the year in which the Exam. is held.

(10) In case you are on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or the ex-cadre post is on transfer basis state whether you continue to hold a lien on the previous post.

————
Signature of candidate.

TO BE FILLED BY THE HEAD OF DEPARTMENT OF THE OFFICE WHERE THE CANDIDATE IS SERVING

Certified that :—

(i) the entries made by the candidate in columns of the application have been verified with reference to his/her service records and are correct.

(ii) his application has been scrutinised and it is certified that he fulfils all the conditions laid down in the rules and is eligible in all respects to appear at the examination.

Signature————

Name————

Designation————

Deptt./Office————

No.————

Date————

NOTE : A candidate who once fails can take the examination only after another three months, i.e. a candidate who fails in the examination to be held in April can take the examination to be held in August or subsequently.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd February 1978

RESOLUTION

No. Q/Hindi/621/9/78.—In supersession of this Ministry's Resolution No. Q/Hindi/621/26/76, dated the 18th March, 1977, the Government of India have decided to reconstitute the Sub-Committee of the Kendriya Hindi Samiti of this Ministry. The Samiti will consist of :—

Chairman

1. Shri Atal Behari Vajpayee
Minister of External Affairs

Vice-Chairman

2. Shri Samarendra Kundu,
Minister of State for External Affairs.

Members

3. Shri Ganga Sharan Sinha.

4. Dr. Malik Mohammad.

5. Shri R. P. Naik,
Secretary, Deptt. of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India.

Member-Secretary

6. Shri Jagat Singh Mehta,
Foreign Secretary.

This Sub-Committee will function within the framework of the general policy of the Government and advise this Ministry on matters relating to the use of Hindi and its progress. The term of the Sub-Committee will be three years from the date of its constitution.

The Headquarters of the Sub-Committee will be at New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrations of the Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues, New Delhi, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat and Indian Missions abroad.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. M. KHALEELI, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 14th March 1978

RESOLUTION

No. Z.28015/93/77-H.—Considering the need for undertaking comprehensive review of the working of Safdarjang/Willingdon Hospitals, Lady Hardinge Medical College and Hospital and All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, with a view to identifying areas of inadequacy, it has been decided to set up a Committee for the purpose.

2. The Committee shall consist of the following members :—

Chairman

1. Dr. M. M. S. Siddhu, M.P.

Members

2. Shri N. N. Vohra,
Joint Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.

3. Dr. P. K. Mishra,
10, Modern School Old Teachers Flats,
Barakhamba Road,
New Delhi.

4. Shri Ramesh Mehta,
Senior Management Consultant,
Administrative Staff College of India,
Hyderabad.

5. Dr. J. K. Jain,
President,
Delhi Medical Association,
Daryaganj, Delhi.

Member-Secretary

6. Dr. T. R. Anand,
National Institute of Health and Family Welfare,
New Delhi.

3. The Committee shall carry out a comprehensive survey of the medical facilities currently available in the above mentioned hospitals/institutes and make recommendations regarding the short term and long-term measures required for improvement of these facilities, in order to secure optimum utilisation of hospital services to provide maximum possible patient satisfaction, consistent with proper medical care.

4. The terms of reference of the Committee are set out in the Annexure.

5. The Committee shall submit its report within 3 months.

6. The expenditure involved on the TA/DA of Committee members and on any other account including the pay and allowances of staff attached to the Committee will be met from out of the sanctioned budget grant of the Ministry of Health and Family Welfare.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India/Directorate General of Health Services/Safdarjang/Willingdon Hospitals/Lady Hargine Medical College and Hospital/All India Institute of Medical Sciences/Chairman and Members of Hospital Review Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. P. SINGH, Addl. Secy.

ANNEXURE

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

The terms of reference of the Committee shall be as under :—

1. To review the present working of the hospitals and identify areas mainly responsible for public dissatisfaction and criticism.

2. To make recommendations for improving the hospital services in general with special reference to

(i) Casualty services including intensive care units.

(ii) O.P.D. services with particular reference to reduction in waiting time.

(iii) Ambulance service.

(iv) Public relations and the role of voluntary organisations.

(v) Improvement in Sanitary services.

(vi) Laundry services.

(vii) Kitchen and food distribution.

(viii) Functioning of central sterilisation units.

(ix) Laboratory services.

(x) Manufacture of intravenous fluids.

3. To suggest ways and means of introducing modern management techniques in the existing hospitals, particularly in the following fields :—

(a) Training of top and intermediate hospital administration.

(b) Stores and Inventory management.

(c) Medical Records Section.

(d) Kitchen.

(e) Laundry.

4. To review the working conditions of the staff, medical, nursing, para-medical and other categories.

5. To suggest ways and means to integrate the existing individual hospitals, including hospitals run by voluntary organisations receiving financial assistance from the Government into a hospital system so that certain specialities could be developed in a particular hospital, instead of overlapping facilities being provided in the same speciality.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 20th March 1978

RESOLUTION

No. F.12-18/77-U.1.—In accordance with the provisions contained in Rule 3, read with Rule 13, of the Rules of the Indian Council of Historical Research, the Government of India have decided to appoint Prof. A. R. Kulkarni, Head of the Department of History, University of Poona, Pune, as the Chairman of the Indian Council of Historical Research for a period of three years from the date he assumes office of the Chairman of the Council.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. PANDITA, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

DEPARTMENT OF COAL

New Delhi, the 28th February 1978

RESOLUTION

No. 55027/1/77-CPC.—The Government of India have decided to strengthen the membership of the Joint Board on Mining Engineering Education and Training by inclusion of the Controller, Indian Bureau of Mines. Accordingly, the following shall be added after S. No. 14 of the membership of the Joint Board on Mining Engineering Education and Training, vide Resolution dated 21st February, 1978 :—

15. Controller, Indian Bureau of Mines.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned including all the Ministries of the Government of India, the Cabinet Secretariat etc., the C&AG of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. BOSE, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi-110001, the 7th March 1978

RESOLUTION

No. DGET-5(9)/77-EE.I.—Criticisms have been made from time to time regarding the working of Employment Exchanges. Government are keen to have the various aspects of the problem comprehensively examined and have, therefore, decided to set up a Committee to go into the working of Employment Exchanges and to suggest suitable remedial measures.

2. The Committee will have the following composition :—

Chairman

Shri P. C. Mathew, I.C.S. (Retd.),
Formerly Secretary to Government of India,
Ministry of Labour.

Members

(1) Shri S. Abdul Qadir,
Ex-Director General of Employment & Training and Joint Secretary (Ministry of Labour).

(2) Prof. (Miss) Malathi Bolar,
Director, Institute of Applied Manpower Research.

(3) Shri I. C. Kumar,
Secretary to the Government of Bihar,
Labour Department.

(4) Shri L. Mishra,
Labour Commissioner,
Government of Orissa.

(5) Shri K. G. Verma,
Labour Commissioner and Director of Employment,
Government of Haryana.

(6) Shri R. Shankarappa,
Director of Employment and Training,
Government of Karnataka.

(7) Shri H. R. Malkani,
Director of Employment and Training,
Government of Gujarat.

(8) Shri Vijay Merchant,
Chairman, National Society for Equal Opportunties to the Handicapped,
Bombay.

Member-Secretary

(9) Shri K. S. Baroi,
Deputy Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour (DGE&T).

3. The following will be the terms of reference of the Committee :—

(i) to study various aspects of Employment Service with a view to making it more responsive to the changing circumstances and needs and to make recommendations thereon;

(ii) to examine nature and scope of complaints of malpractices in Employment Exchanges and to suggest suitable ways and means to eradicate them in order to improve the image and efficiency of the Employment Service;

(iii) to devise and recommend suitable measures to increase placement of registrants in Employment Exchanges, both in Governments (Centre and States) as also public and private sectors, as well as to secure maximum and effective utilisation of Employment Service by employers;

(iv) to examine and recommend special steps, if any, to be taken in the matter of placement services to the disadvantaged and handicapped sections, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities, physically handicapped, etc.;

(v) to examine the possibilities of involvement of the Employment Service for dealing with the rural employment problem arising out of the changed strategies of the Government in giving primacy to the rural employment problem under the reorientation of planning strategies;

(vi) to prescribe minimum basic norms for the amenities, conveniences and welfare measures which are required to be provided at the Employment Exchanges for the public and to suggest ways and means for the implementation of the same; and

(vii) to consider any other matter of relevance and to make recommendations thereon.

4. The headquarters of the Committee will be located at Delhi.

5. The Committee is requested to submit its report within a period of three months.

6. The Committee will devise its own procedure. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India will furnish such information, material and documents and render such assistance as may be required by the Committee.

7. The Government of India trust that the State Governments/Union Territory Administrations, public and private sector undertakings, organisations of employers and workers and all other concerned organisations, associations and institutions will extend to the Committee full co-operation and assistance.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Union Territory Administrations and others concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GHULAM HUSSAIN,
Director-General of Employment and Training and Joint Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978